पंचम माला, खंड 59, अंक 14, शुक्रवार, 26 मार्च, 1976/6 चैत्र, 1898(शक)

Fifth Series, Vol. LIX, No. 14, Friday, March 26, 1976/Chaitra 6, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 59 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LIX contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची CONTENTS

अंक 14, शुक्रवार, 26 मार्च, 1976/6 चैत्र, 1898 (शक)

No. 14, Friday, March 26, 1976/Chaitra 6, 1898 (Saka)

		PAGE
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	Oral Answers to Questions . . .	1—17
तारांकित प्रश्न संख्या 261 से 264, 267, 268, 271 और 272	Starred Questions Nos. 261 to 264, 267, 268, 271 and 272	1—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर	Written Answers to Questions . .	17—71
तारांकित प्रश्न संख्या 265, 266, 269, 270 और 273 से 280	Starred Questions Nos. 265, 266, 269, 270 and 273 to 280	17—24
अतारांकित प्रश्न संख्या 1352 से 1365 और 1369 से 1442	Unstarred Questions Nos. 1352 to 1365 and 1369 to 1442	24—71
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . .	72-73
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	73-74
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक	Bills as passed by Rajya Sabha . . .	74
विधेयकों पर अनुमति	Assent to Bills . .	74
सदस्य द्वारा त्याग पत्र (श्री शरद यादव)	Resignation by Member . . c (Shri Sharad Yadav) . . .	74-75
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee . . .	
202वां प्रतिवेदन	Two hundred and second Report .	75
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Sdheduled Tribes—	
49वां और 50वां प्रतिवेदन	Forty-ninth and Fiftieth Reports	75
लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति-	Joint Committee on Offices of Profit .	
17वां प्रतिवेदन	Seventeenth Report	76

किसी नाम पर अंकित यह † इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign † marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

दिल्ली परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में वक्तव्य	Statement re. Accident to a D.T.C. Bus —	
डा० जी० एस० ढिल्लों	Dr. G.S. Dhillon . .	76-77
सभा का कार्य	Business of the House . . .	77-78
गुजरात विनियोग विधेयक, 1976	Gujarat Appropriation Bill, 1976—	
विचार करने का प्रस्ताव——	Motion to consider—	
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . . .	78
खण्ड 2, 3 और 1——	Clauses 2, 3 and 1—	
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	78
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi . .	79
लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक और	Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess Bill &	
लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक	Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Bill . . .	79—86
विचार करने का प्रस्ताव——	Motion to consider—	
श्री झारखण्डे राय	Shri Jharkhande Rai . . .	79-80
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai . . .	80-81
श्री मूल चन्द डागा	Shri M.C. Daga . .	81
श्री श्रीकृष्ण मोदी	Shri Shrikishan Modi .	81-82
श्री बी०वी०नायक	Shri B.V. Naik . . .	82-83
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chapalendu Bhattacharyyia .	83-84
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	84-85
खण्डवार विचार	Consideration of clauses . . .	85
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass—	
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy . . .	86
बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक और बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक के सम्बन्ध में नियम 66 के परन्तुक को निलम्बित करने के बारे में प्रस्ताव	/Motion re suspension of Proviso to Rule 66 in relation to Beedi Workers Welfare Cess Bill and Bidi workers Welfare Fund Bill .	87

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकार विधेयक और बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक	Beedi Workers Welfare Cess Bill and Beedi Workers Welfare Fund Bill	87—101
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री के० रघुनाथ रेड्डी	Shri K. Raghunatha Reddy	87—89
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	89-90
श्री राम सिंह भाई	Shri Ram Singh Bhai	90
श्री इसहाक सम्भली	Shri Ishaque Sambhali	90-91
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	91
श्रीमती रोज़ा देशपांडे	Shrimati Roza Deshpande	91
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	91-92
श्री के० मायातेवर	Shri K. Mayathevar	92
श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य	Shri Chaplendu Bhattacharyyia	92-93
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	93-94
श्री राम हेडाऊ	Shri Ram Hedaoo	94
खण्डवार विचार	Consideration of clauses	94—101
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रुप में	Motion to pass, as amended	101
श्री रघुनाथ रेड्डी	Shri Raghunatha Reddy	94—101
श्री भानसिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura	101
(बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक	(Beedi Workers' Welfare Fund Bill) Contempt of Courts (Amendment) Bill	101-102
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	101-102
डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद	Dr. V. A. Seyid Muhammad	101-102
संविधान (संशोधन) विधेयक (भाग 3 का संशोधन)	Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Part III)	102—111
श्री भोगेन्द्र झा द्वारा वापस ले लिया गया	by Shri Bhogendra Jha Withdrawn	110

विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao . .	102-103
श्री जगन्नाथ मिश्र	Shri Jagannath Mishra . . .	103-104
श्री बी० वी० नायक	Shri B. V. Naik	104
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami .	104—106
श्री भान सिंह भौरा	Shri B. S. Bhaura . .	106
श्री भागवत झा आजाद	Shri Bhagwat Jha Azad . .	106
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin . . .	107-108
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha . .	108—111
भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक (धारा 6 का संशोधन) श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा	Defence of India (Amendment) Bill (Amendment of Section 6) by Shri Somnath Chatterjee	111—115
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee .	111—115

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 26 मार्च, 1976/6 चैत्र, 1898 (शक)

Friday, March 26, 1976/Chaitra 6, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

लम्बे रेशे वाली कपास का उत्पादन

*261. **श्री भान सिंह भौंरा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष देश में लम्बे रेशे वाली कपास का अतिरिक्त उत्पादन हुआ है, और

(ख) क्या रूई के मूल्यों में कमी होने के कारण उत्पादकों को हानि से बचाने के लिए भारतीय रूई निगम के पास अतिरिक्त कपास खरीदने हेतु पर्याप्त धनराशि नहीं है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) चालू वर्ष के लिए देश में लम्बे रेशे की रूई के उत्पादन के बारे में अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है। अतः इस अवस्था में वास्तविक अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि लम्बे रेशे की रूई के उत्पादन में यदि कोई वेशी होगी तो उसकी मात्रा कितनी होगी ।

(ख) यदि रुई की कीमतें सरकार द्वारा घोषित समर्थन कीमतों से नीचे गिर जाती हैं तो भारतीय रुई निगम रुई खरीदता है। आजकल बाजार कीमतें समर्थन कीमतों से ऊपर हैं।

श्री भान सिंह भौंरा : यह बड़ी विचित्र बात है कि मंत्री ने एक आम उत्तर दिया है जबकि सभी जानते हैं कि गत वर्ष रुई उत्पादकों को बड़े व्यापारियों ने किस प्रकार लूटा और

सी० सी० आई० ने कुछ नहीं किया । जहां पर बताया गया है कि सरकार के पास चालू वर्ष के उत्पादन का कोई अनुमान नहीं है। परन्तु यह सर्वविदित है कि गत वर्ष का उत्पादन 70—80 लाख गांठें था और 24 लाख गांठें बकाया थीं । इसमें से उद्योग की आवश्यकता केवल 11 लाख गांठें हैं जिसका अर्थ है कि 13 लाख गांठों का फालतू होना । सरकार इस बारे में क्या करना चाहती है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : रुई सलाहकार बोर्ड ने प्रश्न पर विचार किया है । इसमें कुछ समय लगा और सलाहकार बोर्ड के अनुसार आंकड़े इस प्रकार है : गत वर्ष का बकाया 26 लाख गांठें; अनुमानित उत्पादन 69 लाख गांठें, आयात 0.75 लाख गांठें, कुल उपलब्धता 95.75 लाख गांठें । अन्य आंकड़े इस प्रकार हैं : कपड़ा उद्योग द्वारा खपत 74 लाख गांठें, निर्यात 4 लाख गांठें, कारखाना द्वार-खपत 1.50 लाख गांठें, कुछ अनुमानित मांग 79.50 लाख गांठें । शेष 16.25 लाख गांठें बचता है, जो सामान्य है अधिक नहीं ।

श्री भान सिंह भौरा : भाग (ख) के उत्तर में उन्होंने बताया है कि भारतीय रुई निगम उस समय खरीद करेगा जब मूल्य समर्थन मूल्यों से कम हो जायेंगे । उन्हें पता होना चाहिए कि निगम का कहना है कि उसके पास खरीद करने के लिए धन नहीं है । इसी कारण उन्होंने गत वर्ष कोई खरीद नहीं की । मैंने बताया है कि एक या दो वर्षों में मूल्यो में 100 रुपये प्रति क्विंटल की कमी हुई है और सरकार ने इस बारे में कुछ नहीं किया है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार कपास उत्पादकों को उचित तथा लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है ताकि अगले वर्ष व्यापारी उन्हें न लूट सकें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कपास के मूल्यों में दिसम्बर से फरवरी तक वृद्धि हुई है । गुन्टूर में सितम्बर, 1975 में मूल्य 435 रुपए प्रति क्विंटल था, फरवरी में यह 405 पए था । परन्तु एम० सी० यू० गुन्टूर के लिए सितम्बर में मूल्य 338 रुपए से बढ़कर इस वर्ष फरवरी में 402 रुपये हो गया । फरवरी में दूसरे सप्ताह के बाद मूल्यों में कुछ कमी हुई ।

श्री भान सिंह भौरा : पंजाब के बारे में क्या हुआ ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : मेरे पास थिरूपुर, थेनी, गुल्टूर, अडोनी, विरुद्ध नगर, अबोहर और कोट्कापारा के सम्बन्ध में आंकड़े हैं । सामान्य तौर पर मूल्यों में वृद्धि हुई परन्तु फरवरी के दूसरे सप्ताह में मूल्यों में कुछ कमी हुई ।

श्री भान सिंह भौरा : मैं पंजाब में मूल्य पूछ रहा हूं ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : नवम्बर, 1975 में अबोहर में 265 रुपए का मूल्य था और फरवरी, में पी० ए० 320 एक किस्म का मूल्य बढ़कर 269 रुपए हो गया । दिग्विजय में विद्यमान मूल्य 3243 है, गत वर्ष यह 3783 था । शंकर 4 के लिए यह 4320 था और उसी अवधि में यह 3688 था ।

श्री भान सिंह भौरा : आपको पंजाब के बारे मैं क्या जानकारी है ?

अध्यक्ष महोदय : इसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें जो मालूम था उन्होंने बता दिया है ।

श्री डी० डी० देसाई : क्या मंत्री महोदय सदन को यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्व मंडी में तथा विशेष रूप में संयुक्त राज्य में जहां कि कपास के मूल्य 35 सैंट के वह विश्व के गत चार पांच वर्षों में हुए कम उत्पादन के परिणाम स्वरुप बढ़ कर 65 सैंन्ट हो गये हैं ? क्या वह यह बताने की कृपा भी करेंगे कपास सलाहकार समिति द्वारा पिछले पांच या दस साल में आन्तरिक मूल्यों तथा आन्तरिक उत्पादन आंकड़ों के सम्बन्ध में दिये गये आंकड़े गलत सिद्ध हुए हैं और क्या वह अभी भी उन्हीं के द्वारा दिये गये आंकड़ों पर निर्भर करते रहेंगे ? यह बताया गया है कि अगले वर्ष के स्टाक के आगे ले जाने वाले आंकड़े 26 लाख थे जब कि 1-9-1975 को उनकी संख्या वास्तव में 31 लाख गांठें थी । क्या वह अभी भी 26 लाख गांठों के अप्रमाणित आंकड़े पर ही अड़े हुए हैं । वास्तविक उत्पादन के आंकड़े उन्होंने 69 लाख गांठों के लिये हैं और यह सही नहीं हैं क्योंकि वास्तविक आंकड़े 70 और 72 लाख गांठें ही है . . .

अध्यक्ष महोदय : आप कितने प्रश्न पूछते जा रहे हैं । वह इतने प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार दे सकते हैं और फिर माननीय सदस्य यह कहते हैं कि उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है आपने उत्पादन के बारे में प्रश्न किया और अब आप मूल्यों के बारे में पूछ रहे हैं । तथा आपका अगला प्रश्न खपत के बारे में होगा । यह ठीक नहीं है ।

श्री डी० डी० देसाई : वह एक एक करके इन प्रश्नों का उतर दे दे ।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक ही प्रश्न का उत्तर दिया जायेगा ।

श्री डी० डी० देसाई : ठीक है, वह जिसका उत्तर दे सकते हैं, उसी का उत्तर दें ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : सितम्बर में दिगविजय 29/32" के अनुमान प्रति कैंदी का प्रचलित मूल्य 3057 रुपए था और सितम्बर में यह मूल्य 3465 रूपए था । अतः यह कहना ठीक नहीं है कि अमरीकी मूल्यों मैं वृद्धि हुई है । जहां तक सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों का सम्बन्ध है, हमारी कठिनाई यही है कि हम आंकड़ें कृषि मंत्रालय से प्राप्त करते हैं जो कि राज्यों में फसल की कटाई पर आधारित होते हैं और उन्हें प्राप्त करने में समय लगता है । अतः हमें एक ऐसी पद्यति अपनानी पड़ती है जिसके आधार पर हम कुछ अनुमान लगा ले तथा इस कार्य के लिए कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय व्यापारियों तथा उत्पादकों को भी इस सलाहकार समिति से संबद्ध किया जाता है । हमें कार्य करने के लिए कुछ आंकड़े तो निकालने ही पड़ते हैं । जहां तक 69 लाख गांठों के उत्पादन का सम्बन्ध है, आरम्भ में अच्छी वर्षा के आधार पर हमारा अनुमान था कि 75 लाख गांठों का उत्पादन होगा । परन्तु बाद मैं बहुत अधिक वर्षा के कारण फसलों को काफी हानि हुई । इसीलिए उत्पादन का पुनरीक्षित अनुमान 69 लाख गांठें लगाया गया ।

श्री एच० एम० पटेल : मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस बात की व्याख्या करें कि कपास निगम द्वारा समर्थन मूल्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है । निगम द्वारा किस समय बाजार में विपणन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मूल्य समर्थन मूल्यों से कम न हो जाये ? क्या वह मूल्यों के समर्थन मूल्यों से कम हो जाने से पहले ही बाजार जाते हैं ? क्या वह उस समय बाजार जाते हैं जबकि मूल्य समर्थन मूल्य के स्तर पर पहूंच जाते हैं या

उससे कुछ अधिक होते हैं। मेरा यह सब पूछने का उद्देश्य यही है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करते हैं कि मूल्य किसी भी समय समर्थन मूल्य से कम न हो जाये।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : समर्थन मूल्यों की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है और वर्ष 1975-76 के लिए कपास की विभिन्न किस्मों के मूल्यों की घोषणा की जा चुकी है और अभी भी विद्यमान मूल्य समर्थन मूल्य से अधिक है। कपाश की खरीद करना कपास निगम के लिए अनिवार्य नहीं है। परन्तु फिर भी जब कपास निगम द्वारा कपास की खरीद की जाती है तो यह उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उस समय कपास खरीदे जब इसके मूल्य समर्थन मूल्य के नजदीक या उससे कम हो।

स्टैंडर्ड कपड़े की कीमतों में वृद्धि

*262. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** स्टैंडर्ड कपड़े की कीमत मे वृद्धि करने के निर्णय के बारे में 9 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1974 और 1975 के दौरान कितने अवसरों पर स्टडर्ड कपड़े की कीमतों में वृद्धि करने की अनुमति दी गई ;

(ख) प्रत्येक अवसर पर कितने प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी गई ; और

(ग) प्रत्येक मामले में वृद्धि होने के क्या कारण थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). मई 1968 के बाद कन्ट्रोल के कपड़े की कीमत में वृद्धि केवल 1 अप्रैल, 1974 से प्रभावी की गई, जब मई 1968 के कीमत स्तरों की तुलना में 30 प्रतिशत वृद्धि करने की अनुमति दी गई थी। इस वृद्धि की अनुमनि आंशिक रूप में मई 1968 के बाद अन्तर्निविष्ट साधनों की लागतों में हुई वृद्धियों को पूरा करने के लिये दी गई थी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वर्ष 1974 में जब 30 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी उस समय उत्पादन सामग्री के मूल्यों को द्रष्टिगत रखते हुए आंशिक वृद्धि की अनुमति दी गई थी परन्तु इसके अलग अलग आंकड़े नहीं दिये गये हैं। किन वस्तुओं के लिए इस वृद्धि की अनुमति दी गई थी ? जहां तक नियंत्रित कपड़े का सम्बन्ध है, वर्ष 1971 में उद्योग इस प्रकार के कपड़े का 10 करोड़ वर्ग मीटर का उत्पादन करने के लिए सहमत हो गया था और इसके लिए सरकार 50 पैसे प्रतिवर्ग मीटर की दर से सरकारी सहायता देने के लिए भी सहमत हो गई थी। इसे प्रोत्साहनवर्धक सहायता को बढ़ा कर 90 पैसे प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया और उद्योग अपने उत्पादन के नियंत्रित कपड़े का 10 प्रतिशत सहकारी उपभोक्ता समितियों को उपलब्ध करवाने के लिए सहमत हो गया। परन्तु ऐसा किया नहीं गया। इसके बावजूद भी 1974 में वृद्धि करने दी गई। इस वृद्धि के बाद भला क्या नियंत्रित दर पर बिकने वाले कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई और क्या उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से समान रूप से कपड़े का वितरण करने के लक्ष्य में आपको कहां तक सफलता प्राप्त हुई।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वृद्धि करने की अनुमति चार कारणों को दृष्टिगत रखते हुये दी गई—कपास के मूल्य, उसे कपड़े की स्थिति तक लाने की प्रक्रिया में आने वाली लागत, उसके संसाधन तथा परिष्करण पर आने वाले मूल्य तथा उद्योग को उसकी अदायगी। यद्यपि उद्योग का यह

दावा था कि इन कारणों के आधार पर 100 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, सूती वस्त्र आयुक्त के अनुमान के अनुसार यह वृद्धि केवल 87 प्रतिशत ही थी और उस पर भी सरकार ने केवल 30 प्रतिशत की ही मंजूरी दी। इस वृद्धि के बाद उद्योग के लिए 800 करोड़ वर्ग मीटर नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करना अनिवार्य कर दिया गया। यह लक्ष्य पूरा कर लिया गया। जहां तक उपभोक्ता सहकारी समितियों के माध्यम से वितरण का प्रश्न है, एन० सी० सी० एफ० समग्र रूप से नियंत्रित कपड़े के वितरण में लगा हुआ है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्री महोदय ने वितरण का उल्लेख अस्पष्ट रूप से किया है। उन्होंने यह नहीं बताया कि क्या यह कार्य संतोषजनक ढंग से चल रहा है या नहीं। हाल ही की नीति के आधार पर तो ऐसा लगता है कि सूती कपड़ा मिलों द्वारा 20 करोड़ रुपये का लाभ कमाया जायेगा क्योंकि नियंत्रित मूल्य पर बिकने वाले कपड़े का उत्पादन हथकरघा उद्योग के माध्यम से करवाया जा रहा है। एक आर्थिक पत्रिका में यह अनुमान प्रस्तुत किया गया है। साधारण सूती कपड़े से सम्बद्ध समान या वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे कपास तथा कपड़े के मूल्यों में समानता लाने के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है? इस सम्बन्ध में स्थिति क्या है तथा क्या आशा की जा सकती है? हमें ऐसा मालूम हुआ है कि मिलों ने पहले ही उत्पादन में कटौती करनी आरम्भ कर दी है। यह कहा गया है कि वह बढ़े हुये उत्पादन के फलस्वरूप बाजार में आने वाली अतिरिक्त सप्लाई को रोकना चाहते हैं ताकि उन्हें पहले के ही मूल्य मिलते रहे। क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि नियंत्रित कपड़े से सम्बद्ध हाल ही की नीति के क्या परिणाम निकले हैं और इस जन-साधारण को किस प्रकार आसानी से उपलब्ध करवाया जायेगा?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : जहां तक उद्योग द्वारा 20 करोड़ रुपये का लाभ कमाने का अनुमान है, मेरे पास इस सम्बन्धी कोई तथ्य नहीं है। जहां तक मुझे मालूम है, पिछले वर्ष की तुलना में काफी अधिक स्टाक जमा हो गया है जिसमें धागा तथा कपड़ा भी शामिल है। प्रत्येक माह वह पिछले वर्ष की तुलना में निरन्तर बढ़ता जा रहा है। उद्योग की यही कठिनाई थी। जहां तक नियंत्रित कपड़े का सम्बन्ध है यद्यपि इसके उत्पादन का कुछ भार हथकरघा उद्योग को सौंपा जा रहा है परन्तु चूंकि सरकार नियंत्रित कपड़े के उत्पादन के लिए राजकीय सहायता देने पर विचार कर रही है, इसलिए इसके मूल्य में कोई वृद्धि नहीं होगी। कपास तथा कपड़े के मूल्यों में अन्तर इस प्रकार है। यदि वर्ष 1961–62 को आधार वर्ष के रूप में लिया जाये तो उस वर्ष का सूचांक 100 था और अक्तूबर 74 में कपास का मूल्य 324.8 था तथा मार्च में 283.3 था, इस का अर्थ हुआ कि उनमें 8 प्रतिशत की गिरावट आई। अक्तूबर 74 में कपड़े का सूचांक 254.7 था और मार्च में 233.4 था, इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसमें लगभग 7 प्रतिशत की गिरावट आई है। यदि हम यह मान लें कि कपास का मूल्य उत्पादित कपड़े के मूल्य का 50 प्रतिशत होना चाहिये तो कपास के मूल्य में हुई यह कमी कपड़े की कीमतों पर प्रतिबिंबित हुई है।

श्री एस० आर० दामाणी : मिलों के नुकसान को दृष्टिगत रखते हुये मंत्री महोदय ने कुछ राष्ट्रीय कपड़ा निगम की कुछ मिलों तथा कुछ अन्य मिलों को नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया है। हाल ही में उन्होंने नई नियंत्रित कपड़ा नीति की घोषणा की है। जिसका तात्पर्य यह है कि वह दो विद्युत चालित करघा खरीद कर उनसे कपड़े का उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए साड़ियों और धोतियों के उत्पादन कार्य को हथकरघा क्षेत्र के लिए छोड़ दिया गया है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि विद्युत चालित करघों के माध्यम से नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने की नीति कब तक तथा किसके माध्यम से क्रियान्वित की जायेगी ? साड़ियों तथा धोतियों का उत्पादन हथकरघा क्षेत्र के माध्यम से कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : कपड़ा उद्योग तथा हथकरघा उद्योग के कमजोर वर्ग की सहायता करने के लिए सरकार ने नियंत्रित कपड़े की कुछ किस्मों यथा धोतियों व साड़ियों के उत्पादन का कार्य हथकरघा क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया है। सरकार के इस निर्णय की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने हथकरघा आयुक्त की अध्यक्षता में एक सरकारी समिति का गठन किया है और इसकी क्रियान्विति शीघ्र ही कर दी जायेगी। जहां तक विद्युत चालित क्षेत्र द्वारा नियंत्रित कपड़े का उत्पादन करने का प्रश्न है, उस के बारे में सरकार का यही विचार है कि नियंत्रित कपड़े के उत्पादन का कार्यभार विद्युत चालित क्षेत्र को हस्तांतरित करा दिया जाना चाहिये। परन्तु इसके बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

Shri Ram Singh Bhai : Just now you have referred to the cost of production and that there was a fall of 20 per cent in the prices of cotton as compared to the prices of last year and as a result of fall in the index of DA., there has been a fall of Rs. 30 per worker in textile industry, the excise duty is also being charged on the basis of price instead of square meter and all this has led to a fall in the cost of production, I want to know if the price or controlled cloth will also be reduced ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : इस प्रश्न का सम्बन्ध मंजूरी से है तथा इसका उत्तर देने के लिए मुझे अलग नोटिस चाहिये।

LOSS SUFFERED BY HOTELS RUN BY I.T.D.C.

*263. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **Tourism & Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the names of hotels run by the India Tourism Development Corporation which suffered loss during 1974-75, and

(b) the reasons therefor ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) : भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा परिचालित 13 होटलों में से 1974-75 के दौरान निम्न होटलों को हानि उठानी पड़ी :—

होटल का नाम	हानि की राशि (लाख रुपयों में)
1. होटल रणजीत, नई दिल्ली	5.33
2. औरंगाबाद होटल, औरंगाबाद	2.93
3. खुजराहो होटल, खुजराहो	0.50
4. लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर	3.07
5. वाराणसी होटल, वाराणसी	4.67
6. कोवालम ग्रोव, कोवालम	4.74
7. ललित महल पैलेस होटल, मैसूर	3.78
	25.02

(ख) यद्यपि भारत पर्यटन विकास निगम को अपने सारे होटलों से कुल मिलाकर 68.23 लाख रुपए का लाभ हुआ, नयी होटल परियोजनाओं में उसे कुछ हानि भी उठानी पड़ी, क्योंकि नए होटल यूनिट सामान्यत: प्रारम्भ की पांच वर्ष की गर्भावस्था की अवधि के बाद ही लाभ कमाना शुरू करते हैं। होटल रणजीत के अलावा उपर्युक्त अन्य होटल अभी गर्भावधि में ही हैं। होटल रणजीत मूलत: होस्टल के रूप में बनाया गया था अत: इसे सुचारु रूप से कार्य-चालन योग्य बनाने के लिए इसके सुधार में काफी धन लगाना पड़ा है।

Shri M. C. Daga : A statement should have been made in such cases. Government of India have given you an amount of Rs. 16 crores without interest. Interest @ 10 per cent is charged at present. Will you please state the total investment made and since when these hotel are running in loss ? You have given the figures for 1974-75. But I would like to know for how many years these five hotels are running in loss ?

Shri Surendra Pal Singh : These five hotels are running in loss since their inception. I can state the dates if you so desire .But their condition has improved in 1974-75 as compared to 1973-74. For example the Ranjit Hotel suffered loss of Rs. 11·96 lakhs in 1973-74 while the loss in 1974-75 was reduced to Rs. 5·33 lakhs.

Shri M.C. Daga : What about the investment of Rs. 16 crore ?

Shri Surendra Pal Singh : These figures are not available with me at present. But I can say that out of 13 hotels 6 are running in loss. Total profit to the corporation comes to more than Rs. 68 lakhs.

Shri M. C. Daga : I want to know whether no interest is charged at the investment of Rs. 16 crores ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : Interest is charged, but one per cent subsidy is given.

Shri M. C. Daga : At what rate interest is charged ?

Shri Raj Bahadur : At the prevalent rate.

श्री के० सूर्यनारायण : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार हमारे जैसे गरीब देश में इन होटलो को बनाये रखना और अधिक होटल खोलना आवश्यक समझती है जब कि पहले से स्थापित होटल हानि में चल रहे हैं? क्या सरकार और होटल स्थापित करने का विचार कर रही है? यदि हां, पांचवीं योजना में नये होटलों के लिए सरकार ने कितनी धन राशि नियत की है?

Shri Raj Bahadur : So far as I.F.C. is concerned, a provision of Rs. 17 crores has been made for it. Loans are given through it.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : होटल अधिकांशत: उन स्थानों पर स्थापित किये गये हैं जहां पर पहले ही काफी जगह है। उनमें हानि का कारण यह है कि उन्हें प्राइवेट होटलो से कड़ी प्रतियोगिता करनी पड़ रही है। परन्तु ऐसे स्थानों पर, जहां पर पर्यटन की काफी गुंजाइश है, होटल स्थापित करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया है और लोग वहां होटलों की कमी के कारण नहीं जाते। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हम ये होटल स्थापित करने में वही पद्धति अपना रहे हैं जो हम अभी तक अपनाते आ रहे थे। पर्यटक कुटीर प्रकार के होटल अधिक पसंद करते हैं। क्या सरकार ऐसे पर्यटन स्थानों पर होटल बनाने का विचार रखती है जहां पर होटल नहीं है और क्या सरकार वर्तमान प्रकार के होटलों के बजाय कुटीर प्रकार के सस्ते होटल बनायेगी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : विभाग समय-समय पर यह पता लगाने के लिये सर्वेक्षण करता है कि पर्यटकों की क्या आवश्यकताएं हैं, और इस आधार पर हम यह निर्णय करते हैं कि किस प्रकार के और होटल कहां-कहां स्थापित किये जायें।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या यह सच है कि आई०टी०डी०सी० के होटल प्राइवेट होटलों के मुकाबले घाटे में चल रहे हैं जिसका कारण यह है कि बुकिंग स्थल पर स्थायी तौर पर लोग नियुक्त किये जाते हैं और इन लोगों को बुकिंग प्राप्त करने के लिए प्राइवेट होटलों द्वारा पैसा दिया जाता है? क्या सरकार को यूनियनों से ऐसी शिकायतें मिली हैं? दूसरे, प्रबन्धक और श्रमिकों के बीच सम्बन्धों के बारे में कोई नीति नहीं है जिसके फलस्वरूप श्रमिकों का प्रबन्ध में कोई हाथ नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या हानि का यह भी एक कारण है और यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करेगी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह: स्थिति यह है कि आई०टी०डी०सी० लाभ कमा रहा है, हानि नहीं उठा रहा। हानि कुछ यूनिटों में ही है।

अध्यक्ष महोदय : एक प्रश्न यह था कि क्या प्राइवेट होटल वाले सरकारी क्षेत्र के होटलों की कीमत पर अपना कारोबार बढ़ाने के लिए चोरी-छिपे पैसा देते हैं? उनका दूसरा प्रश्न यह था कि क्या श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच उचित सम्बन्ध न होने के कारण आई० टी०डी० सी० अधिक लाभ नहीं कमा रहा?

श्री राज बहादुर : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, हमने प्राइवेट होटलों द्वारा हमारे ग्राहक छीनने के बारे में सुना है, परन्तु हमें कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। हम पूरी तरह सावधान हैं। इसके अलावा जहां तक होटलों में स्थान के भरे रहने का प्रश्न है, हमारे होटल इस कारण से हानि नहीं उठा रहे हैं। प्राइवेट होटलों के मुकाबले वे अधिक भरे रहते हैं। इससे ही हम निर्णय कर सकते हैं कि हमें कारोबार मिल रहा है या नहीं। यही एक मापदण्ड है। इस बारे में हमारे आंकड़े ठीक हैं। यह भी महसूस किया जाना चाहिये कि हानि में चलने वाले अधिकांश होटल गत दो या तीन वर्षों में ही स्थापित किये गये हैं। वे हानि को दूर करके अपनी स्थिति में वर्ष प्रति वर्ष सुधार कर रहे हैं। गत वर्ष यह 56.05 लाख रुपये थी और बाद में यह कम होकर 29.53 लाख रुपये रह गई।

अध्यक्ष महोदय : श्रमिकों और प्रबन्धकों के बीच सम्बन्धों के बारे में क्या हुआ?

श्री राज बहादुर : हम इस पर अपनी सामान्य नीति में विचार करेंगे।

कपड़ा उद्योग सम्बन्धी मराठे समिति का प्रतिवेदन

*264. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियंत्रित कपड़े के मूल्यों के पुनरीक्षण के प्रश्न पर कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में नियुक्त मराठे समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं और सरकार ने उन पर क्या निर्णय लिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) मराठे समिति की सिफारिशें ये हैं :

(1) काटन मिक्सिंग की वर्तमान स्थिति की जांच करने तथा काटन मिक्स के बारे में सिफारिश करने और उत्पादन की लागत को कम से कम करने की आवश्यकता के बारे में विचार करने के लिये टेक्नोलोजीविज्ञों का एक पैनल नियुक्त करना।

(2) एक उचित अभिकरण से सूती वस्त्र उद्योग की ब्यौरे-वार लागत की जांच-पड़ताल करने के लिये कहा जाना चाहिए ताकि संशोधित गुणांक फार्मूला तैयार किया जा सके। इन विशिष्ट सिफारिशों पर कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या पदनिर्देशों में या प्रतिवेदन में गैर-सरकारी क्षेत्र की कपड़ा मिलों और राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के बीच कुछ अन्तर रखा गया है, क्योंकि राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलें वे रूग्ण मिलें हैं जिनका राष्ट्रीय करण सरकार द्वारा उस अवस्था में किया गया था। दूसरे मूल्य निर्धारण के बारे में मैं जानना चाहता हूं कि क्या पदनिर्देशों या प्रतिवेदन में इन मिलों द्वारा कमाये गये लाभ को ध्यान में रखकर दोनों में कोई अन्तर है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : ऐसा कोई अन्तर नहीं रखा गया।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने समिति को यह बात बताई है कि देश के ग्रामिण क्षेत्रों में नियंत्रित कपड़े की मांग अधिक है और इसके साथ-साथ कपड़ा एकाधिकारियों ने यह शोर मचाया कि उनके पास काफी स्टाक जमा है ? ऐसी स्थिति में मैं जानना चाहूंगा कि क्या मांग को बढ़ाने के लिये नीति के मामले के रूप में कीमतें कम करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि भविष्य में हमें तालाबन्दी या मिलों को बन्द करने की समस्या का सामना न करना पड़े।

क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम अपनी लगभग 500 दूकानें खोलने का विचार कर रहा है, और यदि हां, तो क्या इससे उनकी हानि बढ़ेगी या नहीं ? अपनी दुकानें खोलने की क्या जरूरत है जबकि बेरोजगार शिक्षित लोगों को लाइसेंस दिया जा सकता है ?

श्री विश्वनाथ प्रताम सिंह: कंट्रोल के कपड़े के जमा स्टाक को कम करने के बारे में सरकार ने कई एक कदम उठाये हैं जिनके परिणामस्वरूप निकासी जून, 1974 के अन्त में ग्रामीण क्षेत्रों में 15,420 और शहरी क्षेत्रों में 3,549 से बढ़कर सितम्बर/अक्तूबर, 1975 के दौरान क्रमशः 5,25,992 और 7,099 हो गई।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा अपने निजी शोरूम खोलने का मुख्य उद्देश्य व्यापारी के मुनाफे को कम करना तथा उपभोक्ता तक सीधे पहुंचाना है। इस प्रकार निगम मिल-द्वारा मूल्य पर माल बेचेगा और लाभ उपभोक्ता को जायगा।

निगम के पास कपड़ा बेचने के लिये बेरोजगार शिक्षितों को शामिल करने का प्रस्ताव है। विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई गारंटी के बदले छात्र निगम से कपड़ा ले सकते हैं और बेच सकते हैं। शोरूम खोलने से निगम की हानि नहीं बढ़ेगी।

"लीड बैंक योजना"

*267. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लीड बैंकों का कार्य आशा से कम रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) 'लीड बैंक योजना' को कारगर ढंग से लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) :(क) से (ग) सदन के पटल पर एक विवरण रखा जा रहा है ।

विवरण

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त दो अध्ययन दलों में गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों में लीड बैंक योजना के काम का अध्ययन किया था । यद्यपि इन अध्ययन दलों के मंतव्यों और सिफारिशों का उक्त दो राज्यों में इस योजना के कार्य से विशेषत: सम्बन्ध है तापि वे सारी योजना के कार्यान्वयन पर सामान्य रूप से लागू होती हैं ।

अन्य बातों के साथ-साथ इन दलों का सामान्य निष्कर्ष यह है कि लीड बैंक कार्यक्रम का प्रथम चरण, जिसमें बैंकिग विकास की सम्भावना वाले केन्द्रों का निर्धारण और बैंक शाखाएं खोलना शामिल है, सफल रहा है, किन्तु दूसरे और अधिक कठिन चरण की, जिसमें क्षेत्रीय विकास-कार्यक्रम बनाना और उसका कार्यान्वयन शामिल है, प्रगति धीमी रही है । किन्तु, यह बात ध्यान में रखनी होगी कि क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम मुश्किल से दो वर्ष पहले आरम्भ किया गया है और उसके कार्यान्वयन में अधिक बड़ी कठिनाइयां आती हैं क्योंकि उसमें न केवल बैंकों के आपस में सहयोग के प्रयास शामिल हैं बल्कि विभिन्न स्तरों पर और कई सरकारी अभिकरणों से भी सहयोग शामिल हैं ।

इन अध्ययन दलों की सिफारिशों के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने उप गवर्नरों में से एक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है । समिति अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातों पर विचार करेगी:--

(क) योजना को कारगर ढंग से चलाने के लिए नीति-विषयक मार्गदर्शक सिद्धांत जारी करना ;

(ख) विभिन्न जिलों में उत्पन्न होने वाली उन विशिष्ट समस्याओं की जांच करना जिनके बारे में बैंकों दारा सूचना दी गई हो ;

(ग) राज्य सरकारों और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा सौंपी गई समस्याओं की जांच करना और आवश्यक आदेश जारी करना ; और

(घ) लीड बैंक योजना को चलाने के मामले में समीक्षक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना ।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : विवरण के पढ़ने पर पता चलता है कि लीड बैंक योजना दिल्ली में बैठकर एक नौकरशाह, जिसे देश की गम्भीर समस्याओं का ज्ञान नहीं है, द्वारा किया गया व्यर्थ प्रयास है । इस योजना को चालू करने के कुछ समय बाद एक दूसरी समिति इसके क्रियान्वयन सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिये नियुक्त की गई थी । अब एक तिसरी समिति गठित की गई है जो सरकार को बतायेगी कि वह इसे किस प्रकार कारगर ढंग से लागू कर सकती है । अत: मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी कोई योजना है जिसके द्वारा वह इस क्षेत्र विकास योजना को बेहतर, कारगर ढंग से तथा शीघ्र लागू कर सके?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह योजना दिल्ली में बैठकर किसी नौकरशाह द्वारा नहीं बनाई गई है। दो विशेषज्ञ समितियों ने—गाडगिल समिति और नारीमन समिति ने इस योजना की सिफारिश की थी। तीसरी समिति एक समिति न होकर वित्त मंत्री द्वारा नियुक्त किया गया एक अध्ययन दल है। जब मैंने महाराष्ट्र और गुजरात में क्षेत्रीय सलाहकार परिषद् की बैठकों में भाग लिया तो महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री और गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने सुझाव दिया कि 1969 के अन्त से चली आ रही लीड बैंक योजना के कार्यकरण की देखभाल की जानी चाहिए। फलस्वरूप एक अध्ययन दल नियुक्त किया गया और अध्ययन दल की रिपोर्ट से पता चलेगा कि लीड बैंकों के दो काम हैं :—जिन क्षेत्रों में बैंक नहीं हैं वहां बैंक स्थापित करना और क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिये क्षेत्र सुझाना। जहां तक ग्रामीण और बैंक विहीन क्षेत्रों में बैंक खोलने का सम्बन्ध है, लीड बैंकों का कार्य सन्तोषजनक नहीं है। यह असन्तोषजनक है। जहां तक विकास के लिये क्षेत्रो का सुझाव देना है, योजना धीमी रही और हमारी आशाओं के अनुरूप वह बहुत अधिक काम न कर सके, परन्तु यह बात ध्यान में रहनी चाहिये कि यह क्षेत्र विकास कार्यक्रम केवल दो वर्ष पूर्व चालू किया गया था।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : मंत्री महोदय ने उत्तर में स्वीकार किया है कि प्रगति काफी कम हुई है। मेरा कहना यह है कि प्रगति बिल्कुल नहीं हुई है। एक विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिए विशिष्ट बैंक की विभिन्न शाखाओं में समन्वय के अभाव का यह अन्य उदाहरण है। क्या मंत्री महोदय ने बैंकिंग प्रणाली के पुनर्गठन पर विचार किया है या करने का प्रस्ताव है ताकि इसको विकास क्षेत्र के लिए प्रभावशाली और उपयोगी बनाया जा सके।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मुझे यह समझ नहीं आया कि सम्पूर्ण बैंकिंग प्रणाली के पुनर्गठन से उनका क्या अभिप्राय है? लेकिन कुछ कार्यवाही चल रही है। बैंकिंग सेवा आयोग ने भी यह संकेत दिया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद तथा 14 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी क्षेत्र में लाने तथा उनके कार्यों को कुछ समय के लिए देखने के बाद यह आवश्यक हो गया है कि इस प्रश्न पर विचार किया जाए कि क्या 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों की आवश्यकता है; और इसके लिए हम शीघ्र ही एक समिति नियुक्त करने वाले हैं जो हमें अपनी सिफारिशें देगी। लेकिन जहां तक लीड बैंकों के कार्यों का सम्बन्ध है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि न केवल विभिन्न बैंकों में बल्कि बैंकों तथा विभिन्न विकास एजेंसियों में तथा राज्य सरकारों में, जो विशिष्ट क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी हैं, आपसी सहयोग होना चाहिए।

श्री हरिकिशोर सिंह : ग्रामीण क्षेत्रों की बैंकिंग प्रणाली में कुछ रुकावटें बैंकों द्वारा मांगी जाने वाली गारन्टी की राशि के कारण हुई हैं। अग्रिम राशि तथा बैंकिंग प्रणाली के कार्यक्रम में कमी का कारण बैंकों द्वारा गारन्टीस्वरूप ली जाने वाली भूमि के मूल्यांकन की समस्या है। यह भ्रष्टाचार सभी बैंकों में फैला हुआ है। यह सब जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरों में बैंकों द्वारा दी गई अग्रिम राशि का 5 से 15 प्रतिशत रिश्वत के रूप में देना पड़ता है। जब तक ऐसी चीजें विद्यमान हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अग्रिम राशि देने की व्यवस्था प्रभावकारी नहीं हो सकती। दुर्भाग्य की बात है कि लीड बैंकों के कार्यक्रम का मूल्यांकन केवल गुजरात और महाराष्ट्र में किया गया है। पूर्वी राज्यों, विशेषकर बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में पिछड़े जिलों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यद्यपि उन्होंने विशिष्ट क्षेत्रों के बैंकों के कार्यकरण की बात की है, फिर भी जो बातें उन्होंने कही हैं, वे साधारणतया एक सी हैं। अध्ययन दल के प्रतिवेदन की पृष्ठ-भूमि में अन्य क्षेत्रों के बारे में जांच कर रहे हैं। लेकिन यह कहना सही नहीं है कि बैंकों के अधिकारी भ्रष्ट हैं और वे कुछ भी नहीं कर रहे (**व्यवधान**) यदि कोई शिकायतें मिलें, तो हम जांच कर सकते हैं, परन्तु यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बैंकों के संसाधन सीमित हैं, उन्हें प्रतिभूति तथा जामिन की आवश्यकता होती है। लेकिन सदन में इस विषय पर कई बार चर्चा की गई है कि किन मामलों में प्रतिभूति तथा गारन्टी की आवश्यकता नहीं है; और हमने कई योजनाएं बनाई हैं जिनमें प्रतिभूति की कोई जरूरत नहीं है और जहां बैंक स्वविवेक या मर्जी से कार्य कर सकते हैं। इन सब बातों पर चर्चा की गई है।

श्री बी० वी० नायक : मंत्री महोदय ने पिछड़े क्षेत्रों की शाखाओं के विस्तार की सराहना की है। मुझे पूरा विश्वास है कि मंत्री महोदय यह भी जानते हैं कि इन शाखाओं के विस्तार के पीछे उद्देश्य यह है कि बैंक वाले तथा उच्चाधिकारी नौकरियां दे सकते हैं। गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों के तीव्र विस्तार से भी यही मुख्य उद्देश्य देखने में आता है। चूंकि पुरानी आदतें कठिनता से जाती हैं, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या क्षेत्र विकास योजनाओं के संदर्भ में बैंकिंग मंत्रालय, विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने के अतिरिक्त, बैंक अधिकारियों को सलाह तथा सहायता देने के लिए स्थानीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों, विशेषज्ञों, अनुभवियों तथा जानकारों को ध्यान में रखेगी तथा परामर्शदात्री समितियों की नियुक्ति करेगी जिनके पास ऋण स्वीकृति के अधिकार नहीं होंगे ताकि वे अपने कार्य संतोषजनक ढंग से कर सकें? हमारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया गया है।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : विस्तार तथा अधिक शाखाओं को खोलने का उद्देश्य कुछ लोगों को नौकरियां देना नहीं है। सम्भवतः इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य बेचैन रहते हैं और चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक विस्तार हो। यह बात सही नहीं है। जहां तक स्थानीय विशेषज्ञ संघ का प्रश्न है, माननीय सदस्य की जानकरी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि इस विषय पर हम राज्य सरकारों से बात कर रहे हैं। इस मामले में राज्य सरकारों ने ही पहल करनी है। 50 लीड जिलों में गैर सरकारी परामर्शदात्री समितियां हैं जिसमें क्षेत्र विशेष के गैर-सरकारी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक क्षेत्र इस योजना के अन्तर्गत लाये जाएं। हम राज्य सरकारों से पहले ही इस विषय पर बातचीत कर चुके हैं।

Export of Books

***268. Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value of books exported from India during the last one year ; and

(b) whether Government are making any efforts to encourage its export ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 1974-75 के दौरान 178 लाख रु० मूल्य की पुस्तकों का निर्यात किया गया।

(ख) निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिए जो उपाय किए गये हैं उनमें से कुछ ये हैं: निर्यातों के आधार पर आयात प्रतिपूर्ति की व्यवस्था, नकद मुआवजा सहायता, अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों में भाग लेना, विदेशों में विशेष पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करना।

Shri Shankar Dayal Singh : The Export of books is different than that of the export of other items and thus it should be taken upon the different footings. Through export we add to the popularity and prestige of India. We earn foreign exchange too. May I know the rates of cash incentives being given on books as well as on other items and what is the difference of rates. Why Government hesitate to give similar rates or cash incentives on books ?

Shri Vishwanath Pratap Singh : Two types of incentives are given for export ; one is replenishment and the other is cash incentive. Rates of replenishment for the catagory of books are as under :—

On Art Calendars	60 percent
On pictorial books	35 percent
Besides, on other books	35 percent

So far as the question of Cash incentive is concerned. I would request the hon. Member not to press over this because it includes so many things.

Shri Shankar Dayal Singh : I would like to know as to how much cash incensitves is given on books.

Shri Vishwanath Pratap Singh : I know that the Government give less cash incentive in cloth as compared to books.

Shri Shankar Dayal Singh : Postage charges on books have increasesd during two months. We have to pay Rs. 700 or 800 as postal charges on books worth Rs. 1,000. May I know whether postal charges will be reduced ? I would also like to know the names of the Countries to which books were exported during two years and the number of the books ?

Shri Vishwanath Pratap Singh : So far as postal rates are concerned, they do not affect our export. The Minister of Communication can explain it in a better way and he might be thinking on this matter. So for as export to other Countries is concerned; some figures are as under :—

Afghanistan	4·63 lakhs
Malaysia	11·49 lakhs
Nepal	12·85 lakhs
Bengla Desh	16·06 lakhs

Shri R. S. Pandey : The Import of books is higher than the exports. What steps are being taken by the Government to give incentive to the book writers so as to boost export of books ?

Shri Vishwanath Pratap Singh : The question relates to export of books whereas the hon. Member is talking about import.

Mr. Speaker : What incentives are being given to boost the export ?

तकनीकी व्यक्तियों और बेरोजगार शिक्षितों द्वारा स्वनियोजन परियोजनाओं की स्थापना

*271 **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकों द्वारा समर्थक ऋणाधार अथवा जमानत की मांग किये जाने के कारण तकनीकी व्यक्तियों और बेरोजगार शिक्षितों द्वारा स्वनियोजन परियोजनाएं स्थापित करने में बाधाओं के सम्बन्ध में सरकार को अभ्यावेदन दिया गया है ; और

(ख) इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जा रहा है।

विवरण

सरकार और रिजर्व बैंक को ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें लिखा है कि स्वयं नियोजन के उद्यम करने वाले तकनीशनों और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के ऋण-आवेदन पत्रों पर विचार करते समय कुछ बैंक उनसे समर्थक (कोलेटरल) प्रतिभूति अथवा जमानत मांगते हैं। इनमें से प्रत्येक अभ्यावेदन के बारे में स्पष्टीकरण और उचित कार्रवाई के लिए सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क किया जाता है।

कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र के बैंक तकनीशनों और शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के स्वयं-नियोजन का वित्तपोषण जरूरत के मुताबिक ऋण देने की उन विशेष योजनाओं के अन्तर्गत करते हैं जिन्हें प्रतिभूति, मार्जिन, ब्याज, वापसी आदि सम्बन्धी शर्तों के उदारीकरण के लिए बनाया गया है। यह स्वीकृत नीति है कि ऐसे मामलों में बैंकों को चाहिए कि साधारणत: वे समर्थक (कोलेटरल) प्रतिभूति पर जोर न दें। बैंकों के लिए गये धन से पैदा की गई सम्पत्ति को बैंकों के पास गिरवी रखा जाना है। जब कुछ मामलों में, परियोजना के अपने हिस्से के अंशदान को पूरा करने की उद्यमकर्ता की क्षमता के बारे में बैंकों को संदेह हो तो कुछ बैंक समर्थक प्रतिभूति अथवा थर्ड पार्टी गारण्टी मांग सकते हैं। बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि जब किसी स्वयं नियोजन / छोटे उद्यम के आवेदक का आवेदन पत्र अन्य दृष्टियों से संतोषजनक हो तो उस पर ऋण देना केवल इसलिए अस्वीकार न किया जाय कि थर्ड पार्टी गारण्टी नहीं दी गई है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : क्या दिल्ली में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों के अध्यक्षों की हाल में हुई बैठक में इस मामले पर चर्चा की गई थी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और समस्या को सुलझाने के लिए क्या समाधान निकाला गया?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जब सरकारी बैंकों के मुख्य कार्याधिकारियों की बैठक हुई थी, तो उसमें इस पहलू सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इसके बारे में कोई विशेष कार्य सूची नहीं बनाई गई थी, लेकिन हमने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण के बारे में चर्चा करते हुए यह कहा था कि पुनर्वास कार्यक्रम की सहायता के लिए अर्हता प्राप्त तथा सक्षम व्यक्तियों को अधिक से अधिक सहायता देनी चाहिए। उनके पुनर्वास के लिए विभिन्न बैंक अनेक योजनाओं को लागू कर रहे हैं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी: मंत्री महोदय ने अपने विवरण में यह स्वीकार किया है कि मंत्रालय को कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और जब भी अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है, सम्बन्धित बैंक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्राप्त होने वाले एवं विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या को ध्यान में रखते हुए यह स्थिति अक्षम्य है। क्या अनुदेशों के अच्छी तरह पालन को सुनिश्चित करने के लिए मंत्री महोदय यह उचित नहीं समझते कि उचित संस्थागत प्रबन्ध किए जाएं? उदाहरण के तौर पर पिछले प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि इन शाखाओं के लिए परामर्शदात्री समितियां बनाई गई हैं लेकिन खेद की बात है कि शाखाओं के लिए परामर्शदात्री समितियां बिल्कुल नहीं बनाई गई हैं। यदि ये समितियां

बनाई जाएं तो इससे परामर्श तथा अनुदेशों के उचित पालन में सहायता मिलेगी। परामर्शदात्री समितियों तथा संस्थागत प्रबन्धों के अभाव में कई आवेदन-पत्र विचाराधीन पड़े हैं अथवा इसी वजह से अस्वीकृत किए जा रहे हैं।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : माननीय सदस्य की जानकारी हेतु मैं यह बताना चाहता हूं कि परामर्शदात्री समिति शाखाओं से सम्बन्धित नहीं है। इसके लिए जिला विकास परिषद होती है। स्पष्टीकरण के लिए मैं बताना चाहता हूं कि 'लीड' जिलों में जिला विकास परिषद हैं।

जहां तक संस्थागत प्रबन्धों का सम्बन्ध है, मैं यह स्वीकार करता हूं कि इनकी आवश्यकता है और ऐसे प्रबन्ध पहले से विद्यमान हैं, जैसे कि राज्य सरकार की व्यवस्था एस० आई० एस० आई० तथा बैंक इत्यादि। ये सब उद्यमकर्त्ताओं से प्राप्त आवेदन पत्रों को छांटते हैं। लेकिन साथ ही हमें एक बात भी ध्यान रखनी चाहिए। मैं किसी राज्य सरकार के कार्यकरण की आलोचना या प्रशंसा नहीं कर रहा। लेकिन पहले के एक प्रश्न के सम्बन्ध में आंकड़े एकत्र करते हुए मैंने यह देखा कि जिस राज्य में राज्य उद्योग निदेशालय ने आवेदन पत्रों की सावधानी से और विस्तार से जांच की है, वहां बहुत कम आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं और कुछ राज्यों में 93 प्रतिशत आवेदन पत्र स्वीकृत किए हैं परन्तु जिन राज्यों में आवेदन पत्रों की सावधानीपूर्वक जांच नहीं की गई, वहां 93 या 90 प्रतिशत आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए। हमने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से बात की है ताकि राज्य उद्योग निदेशालय एस० आई० एस० आई० तथा बैंको सहित अन्य सम्बन्धित एजेंसियां उद्यमकर्त्ताओं से आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सहायता दे सकें और अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन-पत्रों की संख्या कम हो।

Shri D.N. Tiwary : May I know whether the attention of the Government has been drawn towards the act that permits issued in Bihar to educated unemployed for buses, cloth shops etc. were not utilised because they did not get loans from banks in time ? In this connection Chief Minister of Bihar and Union Minister for Industries Shri A.P. Sharma has also issued a statement to the effect that entrepreneurs in Bihar are facing difficulties due to non-availability of funds.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह एक विशिष्ट मामला है, मुझे इसकी जांच करनी होगी।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : जहां तक शिक्षित बेरोजगारों तथा अन्य कमजोर वर्गों को ऋण देने का सम्बन्ध है, बैंको की शाखाओं, प्रबन्धकों तथा एजेन्टों को कठिनाई होती है क्योंकि कि वे जानते हैं कि ऋण वसूल करना कठिन हैं। यही कारण है कि वे इन लोगों को ऋण देने में हिचकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं। मद्रास में कुछ हरिजन लड़के बैंक में पेट्रोल पम्प खोलने के लिए सहायता मांगने गए लेकिन बैंक ने उन्हें ऋणाधार देने के लिए कहा। यह स्वाभाविक है कि वे लड़के ऋणाधार नहीं दे सकते। इस प्रकार वे बैंकों से ऋण नहीं प्राप्त कर सकते। अन्ततः भारतीय तेल निगम ने इनको डीलर

बनाने में तथा मद्रास एवं तमिलनाडु में पैट्रोल पम्प खोलने के लिए सहायता दी । मंत्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि वह कौनसा व्यावहारिक रवैया अपना रहे हैं । एक कठिनाई तो बैंक प्रबन्धको की है, वे ऋणों की वसूली नहीं कर पाते । दूसरी कठिनाई हरिजनों एवं बेरोजगारों को हैं, उन्हें 'ऋणधार' जमा कराने पड़ते हैं । इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही करने वाली है ?

श्री प्रणब कुार मुखर्जी : मैंने प्रश्न के उत्तर में पहले ही यह बता दिया था कि जहां तक ऋणाधार का प्रश्न है, बैंक प्रबन्धकों के पास विकल्प होता है, यदि योजना गुणों के आधार पर खरी उतरती है तो उन्हें ऋणाधार पर जोर नहीं देना चाहिए।

जहां तक ऋण वसूली का सम्बन्ध है, बैंक की सहायता से जो वस्तु खरादी गई है, उसे गिरवी रखा जा सकता है और बैंक इससे अपनी बकाया राशि वसूल कर सकता है । यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि हम विभिन्न एजेन्सियों के बीच किस पर निकट सह ोग स्थापित कर सकते हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : मंत्री महोदय को यह पता होगा कि बैंकों की भी एक सोमा है यदि वह 7 या 8 किलोमीटर की सीमा में ऋण दे सकते हैं बशर्ते कि अन्य सब बातें सही हों और वह इस सीमा से 1 या 2 किलोमीटर दूर ऋण नहीं दे सकते चाहें अन्य सब बातें सही क्यों न हो । इसके कारण कई जरुरतमन्द बेरोजगार स्नातकों, तकनीशियनों इत्यादि को सहायता नहीं मिल रही और योजनाओं को क्रियान्वित नहीं किया जा रहा । क्या सरकार बैंकों को यह अनुदेश देगी कि ऐसे मामलों में, जहां अन्य शर्तें पूरी हों, क्षेत्र सीमा में छूट दी जाए ।

दूसरे, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अन्य शर्तों के पूरा होने पर आवेदन पत्र के निपटान की कोई समय-सीमा दो अथवा तीन वर्ष निर्धारित करेगी ? इसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए । मुझे ऐसे मामलों का पता है जो अन्य शर्तों के पूरा होने पर दो वर्षों से विचाराधीन पड़े हैं हालांकि बैंक ने उनका निपटान भी कर दिया है और आवेदनकर्त्ता मधुवनी से पटना दौड़धूप कर रहे हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई समय-सोमा निर्धारित की गई है ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक पहले प्रश्न का सम्बन्ध है, यह सच है कि हर साखा की एक क्षेत्रीय सीमा 10 मील होती है । हमने बैंकों को यह विकल्प दिया है कि यदि योजना विकासशील है तो यह जरूरी नहीं कि वे क्षेत्रीय सीमा का शक्ति से पालन करें । मुझे पता है कि सदस्यों को इस बारे में शिकायतें प्राप्त हो रही हैं । हम बैंकों को फ़िर से यह निदेश जारी करेंगे कि वह मामले के गुणदोषों के आधार पर क्षेत्रीय सीमा में छूट दे सकते हैं बशर्ते कि वे कुशलतापूर्वक उस जिम्मेदारी को निभा सकें ।

समय-सीमा निर्धारण का सूझाव अच्छा सुझाव है ।

उड़ीसा में कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण

*272. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि ऐसे कपड़े का उत्पादन किया जा सके जिससे विदेशी मण्डियां आकर्षित हों; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख) : उड़ीसा की मिलों के सम्बन्ध में किसी भी आधुनिकीकरण कार्यक्रम की सूचना सरकार को नहीं मिली है ।

श्री पी० गंगादेव : हालांकि वस्त्र उद्योग हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन उड़ीसा राज्य में रोजगार के अवसर बढाने के लिए उद्योग का सुप्रबन्ध तथा विकास अपेक्षित है । मैं यह जानना चाहता हूं कि उड़ीसा के लिए आवंटित राशि का अनुपात क्या है और यह किस प्रकार प्राप्त करने का प्रस्ताव है ।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : उड़ीसा में एक संयुक्त मिल तथा चार कताई मिलें हैं, एक बन्द पड़ी है तथा एक राष्ट्रीय वस्त्र निगम के अधीन है । उड़ीसा के लिए अलग से कोई राशि आवंटित नहीं की गई है लेकिन राष्ट्रीय वस्त्र निगम आधुनिकीकरण के सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत अपने अधीन मिलों के आधुनिकीकरण पर विचार कर रहा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य मंडल के बहीखातों की जाँच :

*265. **श्री माधुर्य हाल्दर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अधिकारियों ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य मण्डल के कार्यालय से जब्त किये गये बही खातों और बाउचरों का जांच कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) क्या कर अधिकारियों ने कर्मचारियों की यूनियन की गवाही ले ली है; और

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन श्रम विभाग और समवाय विधि प्रशासन को उस मण्डल द्वारा रखे गये लेखों की जानकारी दे दी गई है ?

राजस्व और बैंकिग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) आयकर अधिकारियों ने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के कार्यालय से कोई खाता बहियां अथवा वाउचर नहीं पकड़े हैं । लेकिन कुछ आरोपों के कारण आयकर अधिनियम 1961 की धारा 133 ए के अन्तर्गत मण्डल के कार्यालय परिसरों के सर्वेक्षण की कार्यवाही की गई थी ।

(ख) कोई अपराध आरोपणीय सामग्री नहीं पाई गई, इसलिए कर्मचारी यूनियन का साक्ष्य लेना आवश्यक नहीं समझा गया ।

(ग) कोई अपराध आरोपणीय सामग्री नहीं मिलने से दिल्ली प्रशासन के श्रम विभाग और कम्पनी कानून प्रशासन को सूचित करने की आवश्यकता उपस्थित नहीं हुई ।

993 L.S.—2

आसाम को विश्व बैंक से सहायता

*226. **श्री डी० के० पंडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने कृषि को आधुनिक बनाने और उनकी पैदावार बढ़ाने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता देना स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी राशि क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). अभी हाल ही में विश्व बैंक ग्रुप का एक मिशन असम राज्य में कृषि का अधुनिकीकरण करने और पैदावार बढ़ाने की एक परियोजना के लिए धन की व्यवस्था करने की साध्यता का मूल्यांकन करने के विचार से प्रारम्भिक सर्वेक्षण करने के लिए वहां गया था । मिशन द्वारा की गई जांच के परिणाम अभी हमें प्राप्त नहीं हुए हैं ।

20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम क्रियान्वित करने में जीवन बीमा निगम का योगदान

*269. **श्री रंगनाथ शिनाय** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रधान मंत्री के 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में भारतीय जीवन बीमा निगम का क्या योगदान रहा है; और

(ख) क्या जीवन बीमा निगम ने इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिये राज्यों को सहायता देने हेतु कोई योजनाएँ बनाई हैं ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) और (ख). प्रधान मंत्री के बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वियन में जीवन बीमा निगम जो भूमिका निभा रहा है, वह है — अपनी विभिन्न गृह-निर्माण योजनाओं के अन्तर्गत राज्य सरकारों को, एच यू डी सी ओ को, विभिन्न राज्यों की एपेक्स सहकारी गृह निर्माण वित्त पोषक समितियों को और 'अपनी मालिकी का घर बनाओ' तथा बंधक योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिये ऋण देने की व्यवस्था करना । बिजली के अधिक उत्पादन के लिए राज्य-विद्युत्त बोर्डों को तथा जल-आपूर्ति और मल-निकास योजनाओं के लिए नगर पालिकाओं को भी यह निगम ऋण देता है । राज्य सरकारों द्वारा खुले बाजार से लिये जानेवाले ऋणों में अपने अंशदान तथा सहकारी भूमि विकास बैंकों और सांविधिक वित्तीय निगमों के बाण्डों में अंशदान के जरिए, कृषि क्षेत्र सिचाई परियोजनाओं और लघु उद्योगों की भी यह परोक्ष रूप से मदद करता है । यह निजी क्षेत्र की पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों को ऋण देकर रोजगार के नए अवसर बनाने में भी मदद करता है ।

Mica Industry

*270. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Commerce** be pleased to state.:

(a) whether mica indusry in Giridih and Hazaribagh areas of Bihar is facing recessions

(b) whether mica mines are also facing closure because of this ; and

(c) the measures taken by Government to save this industry from recession ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh (a) to (c). Exports of processed mica during 1975-76 are anticipated to be of the order of Rs. 16 crores as against Rs 18·18 crores in the previous year. However, against an anticipated fall of 12% in All India exports, exports from Bihar are likely to decline by 9%. Lower exports this year are due to general recession in the world. Sufficient orders are in hand for supply of mica during 1976-77 to offset the temporary set back in exports during 1975-76.

मन्दिरों में पड़े सोने, जेवरात तथा अन्य धातुओं सम्बन्धी अनुमान

*273. **श्री रानेन सेन** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत में विभिन्न मन्दिरों में पड़े सोने, जेवरात तथा अन्य मूल्यवान धातुओं के सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) उसे राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिये उपयोग में लाने के बारे में सरकार की क्या योजना है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं ने स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम 1968 की धारा 16 के अधीन 30 जून 1975 की स्थिति के अनुसार सभी रूपों में 15,472 किलोग्राम सोना घोषित किया है । इस में वह सोना शामिल नहीं है जो धार्मिक संस्थाओं द्वारा दो किलोग्राम की छूट-सीमा के भीतर रखा जा सकता है, और जिसके लिए कोई घोषणा नहीं करनी होती है । इन संस्थाओं के कब्जे में सोने के अलावा जवाहरात तथा अन्य कीमती धातुओं के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

(ग) फ़िलहाल ऐसी कोई योजना नहीं है । जहां तक धार्मिक संस्थाओं के पास मौजूद सोने के आभूषण और वस्तुएं सरकार को घोषित हैं, और संस्थाओं के अपने पास उपयोग के लिए हैं अथवा उन का उपयोग देवता अथवा प्रतिमा के लिए आभूषणों के रूप में किया जाता है, अथवा वे लाइसेंसदार व्यापारी अथवा रिफ़ाइनर को बेचे जाते हैं, वहां तक स्वर्ण नियंत्रण अधिनियम, 1968 सरकार को ऐसी कोई शक्ति नहीं देता कि सरकार इन वस्तुओं के उपयोग के बारे में कोई निर्देश दे सके ।

निर्यात होने वाली मशीनों का घटिया स्तर का पाया जाना

*274. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात होने वाली मशीनों को नेशनल टैस्ट हाऊस कलकत्ता में घटिया स्तर का पाया गया है; और

(ख) निर्यात की जाने वाली इंजीनियरिंग वस्तुओं पर कठोर किस्म नियंत्रण लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 के अन्तर्गत बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग उत्पादों के लिये क्वालिटी नियंत्रण तथा लदानपूर्ण निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है ।

सोवियत संघ को औषधियों का निर्यात

*275. **श्री राजदेव सिंह:**

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ को 2.55 करोड़ रुपये मूल्य की औषधियों के निर्यात के लिये सेन्डोज को हाल ही मे आर्डर मिला है ;

(ख) क्या सोवियत संघ ऐसा एकमात्र देश है जो भारत से औषधियों तथा दवाइयों का आयात करता है अथवा अन्य देश भी औषधियों का आयात करते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : सोवियत संघ के अलावा दूसरे प्रमुख आयातक देश ये हैं श्रीलंका, जर्मनी का संघीय गणराज्य, हांगकांग, जापान, नेपाल, नाइजीरिया, स्विटजरलैंड, थाईलैंड ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमरीका ।

ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम का क्रियाकलाप

*276. **श्री नरेन्द्र कुमार साँघी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने अब तक अपना क्रियाकलाप नगरों तक ही सीमित रखा है और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में यदि कोई कार्यवाही की जायेगी तो क्या ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जी, नहीं । जीवन बीमा निगम ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बीमा कारोबार करता रहा है ।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन बीमा कारोबार फैलाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा किये गये उपायो में निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :—

(i) ग्रामीण क्षेत्र के संगठनों में क्रमिक रूप से वृद्धि, नए कार्यालयों को खोलना तथा वर्तमान कार्यालयों का दर्जा बढ़ाना, साथ ही, बीमा उपरांत सेवा में सुधार लाने के लिए इन के कार्यो का विकेन्द्रीकरण ।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों के एजेन्टों के कारोबार की न्यूनतम गारंटीशुदा सीमा को निम्न तर पर निर्धारित करके ग्रामीण क्षेत्रों में नए एजेन्टों को प्रोत्साहित करना।

(iii) विकास अधिकारियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर के तथा प्रचार वाहनों द्वारा, फिल्म प्रदर्शनों द्वारा, मेलों तथा त्योहारों में भाग ले कर और प्रचार सामग्री का वितरण करके क्षेत्रीय प्रचार।

(iv) जिन ग्रामीण क्षेत्रों को हरित क्रांति से विशेष लाभ पहुंचा हुआ माना जाता है उन चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय संगठनों का विस्तार करके तथा प्रचार प्रयत्नों में तेजी लाकर विकास के गहन प्रयास करना।

(v) बिना स्वास्थ्य प्रमाण की (सामान्य) योजना की सीमा को 5000 रु० तक बढ़ाना।

(vi) ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांचकर्ताओं की नियुक्ति के लिए निम्न अर्हताएं निर्धारित करना।

(vii) आयु की स्वीकृति से संबंधित कार्यविधियों का सरलीकरण।

(viii) प्रीमियम एकत्र करने के लिए अनुसूचित बैंकों की शाखाओं में जमा करने की विशेष व्यवस्था करना और जिन क्षेत्रों में बैंक संबंधी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, उन में कुछ चुने हुए स्थानों में पालिसीधारियों से प्रीमियम इकट्ठा करने के लिये डाकघरों में विशेष व्यवस्था गरना।

(ix) सेवानिवृत्त कनिष्ठ कमीशन प्राप्त अधिकारियों तथा गैर कमीशन अधिकारियों के लिए अपनी पसन्द के ग्रामीण क्षेत्रों में एजेन्टों के रूप में कार्य करने के प्रशिक्षण की योजना।

2. जीवन बीमा निगम निम्नलिखित उपायों पर विचार कर रहा है :

(i) सामान्य रूप से बचत और विशेष रूप से जीवन बीमा में बचत करने की लोगों की प्रवृत्ति का जायजा लेने के लिए कुछ चुने हुए जिलो में नमुना सर्वेक्षण।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कैरियर एजेंटों की नियुक्ति के लिए एक प्रायोगिक योजना, जिन्हे पहले दो वर्षों में कमीशन के अतिरिक्त वृतिका भी मिलेगी।

(iii) भूमिधारियों के लिए एक ग्रूप बीमा योजना चालू करने की सम्भाव्यता का गहन अध्ययन।

निर्यात लक्ष्य के पुनरीक्षण हेतु इंजीनियरी उद्योग का सुझाव

*277. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरी उद्योग ने निर्यात लक्ष्य बढ़ाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) आरम्भ में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ने 1976-77 के दौरान इंजीनियरिंग माल के निर्यात के लिए 430 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसे अब उन्होंने बढ़ाकर 500 करोड़ रु० कर दिया है

(ख) 500 करोड़ रु० के लक्ष्य का ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :

(क) पूंजीगत माल	177.00 करोड़ रु०
(ख) मुख्य रूप से इस्पात तथा ढलवां लोहे पर आधारित मदें	114.50 करोड़ रु०
(ग) अलौह उत्पाद	16.00 करोड़ रु०
(घ) उपभोक्ता टिकाऊ सामान	192.50 करोड़ रु०
योग	500.00 करोड़ रु०

राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम की निर्यात गतिविधियों

*278. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अपनी निर्यात गतिविधियों में वृद्धि करने के लिये राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा खोजे गये नये क्षेत्रों की रूपरेखा क्या है ;

(ख) किन अतिरिक्त विशिष्ट वस्तुओं तथा बाजारो में उन्हें सफलता मिली है ; और

(ग) विकासशील देशों के बाजारों में भारतीय वस्तुओं को स्थिर करने तथा/अथवा उनका प्रवेश करने के लिये क्या विशेष प्रयास किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). **राज्य व्यापार निगम.**—चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य व्यापार निगम के निर्यात लगभग 740 करोड़ रु० के होने की संभावना है जो वर्ष 1974–75 में किए गए निर्यातों की अपेक्षा लगभग 30 प्रतिशत अधिक होंगे गत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष में चीनी, सीमेंट आर्मी साफ्ट वैयर आदि जैसी वस्तुओं के निर्यातो में वृद्धि हुई है। राज्य व्यापार निगम द्वारा हैंडल की गई मदों में चांदी, अलसी का तेल, सीसेम बीज तथा सोडियम सल्फेट शामिल हैं। इराक, जर्मन संघीय गणराज्य, फ्रांस, फिनलैंड, हांगकांग तथा मलयेशिया जैसे नए गन्तव्य देशों को कतिपय वस्तुओं के निर्यात किए गए हैं। पश्चिम एशियाई क्षेत्र की बढ़ती हुई क्रय क्षमता का अधिकाधिक लाभ उठाने के लिए इस क्षेत्र को निर्यात बढ़ाने के लिए किए जा रहे विशेष प्रयत्न सफल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमरीका तथा पश्चिम यूरोप को होने वाले निर्यातों में भी भारी वृद्धि हुई है। अनुमान है कि चालू वर्ष के दौरान विकासशील देशों को राज्य व्यापार निगम के निर्यात 420 करोड़ रु० के होंगे जबकि 1974–75 में 337 करोड़ रु० के निर्यात हुए थे।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम.—अनुमान है कि चालू वित्तीय वर्ष में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के निर्यात लगभग 16 करोड़ रु० के होंगे जो 1974–75 में हुए निर्यातों की अपेक्षा लगभग 20 प्रतिशत अधिक होंगे । इस वर्ष खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने एक नई पैठ की है । 30 लाख मे. टन सुपर हाईग्रेड लौह अयस्क की सप्लाई के लिए दक्षिण कोरिया के साथ 10 वर्षीय दीर्घावधि करार किया गया है । यूगोस्लाविया को 50,000 मे. टन लौह अयस्क की सप्लाई के लिए भी संविदा की गई है । इस्पात उद्योग को लौह अयस्क की सप्लाई के अलावा, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने ऐसे अन्य देशों को लौह अयस्क के निर्यात के लिए अवसर हस्तगत किए हैं जहां समझा जहां उसका उपयोग मिश्रण प्रयोजन यथा सीमेंट उद्योग के लिए किया जाता है । इस प्रयोजन के लिए ईरान को लागत भाड़ा आधार पर 11,000 मे० टन लौह अयस्क फाइन्स का निर्यात किया गया । खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने पूर्व यूरोप तथा पश्चिम यूरोप के गन्तव्य देशों को लौह अयस्क की बिक्री कीमतों के मामले अनेक सफलताएं प्राप्ति की । जहां तक मैंगनीज अयस्क का सम्बन्ध है, खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने ताइवान तथा दक्षिण कोरिया के बाजारों में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के अलावा यूनान के बाजार में नई पैठ की है और स्पेन तथा दक्षिण कोरिया के बाजारों पर पुनः अधिकार कर लिया है । जहां तक कोयले का संबंध है, खनिज तथा धातु व्यापार निगम पश्चिम यूरोप, जापान, मिस्र, हांगकांग, ताइवान तथा सिंगापुर के बाजारों में माल बेचने की योजना बना रहा है ताकि निर्यातो का विविधीकरण किया जा सके और उन्हें व्यापक आधार प्रदान किया जा सके । साथ ही निगम पड़ोसी देशो अर्थात् बंगलादेश, बर्मा, नेपाल तथा श्रीलंका को भी अपने को. ले के निर्यात जारी रखे हुए है ।

पर्वतीय और पिछड़े राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलना

*279. **श्री नरायण चन्द पराशर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने के मामले में पर्वतीय तथा पिछड़े राज्यों को कोई प्राथमिकता देने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करते समय उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जायेगी जिसमें कृषि विकास की अच्छी संभावना है और साथ ही जो सहकारिता के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं और जिनमें वाणिज्यिक बैंकों की सेवाएं पर्याप्त नहीं हैं ।

राज्यों की राजधानियों के लिए सीधी विमान सेवायें

*280. **श्री के० प्रधानी** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सभी राज्यों की राजधानियों को सीधी विमान सेवाओं से जोड़ने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो ये सेवायें कब चालू हो जायेंगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) निम्न राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों की राजधानियों के सिवाय इंडियन एयरलाइन्स इस समय अन्य सभी राजधानियों के लिये विमान सेवाओं का परिचालन कर रही है :—

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	**राजधानी**
दादरा व नागर हवेली . . .	सिलवासा
हिमाचल प्रदेश	शिमला
मेघालाय	शिलांग
नागालैण्ड	कोहिमा
मिजोरम	ऐज़ल
लक्षद्वीप	कवारत्ती
पाण्डीचेरी	पाण्डीचेरी
अरुणाचल प्रदेश	इटानगर
सिक्किम	गंगटोक

इंडियन एयरलाइन्स का फिलहाल इन राजधानियों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के लिये विमान सेवा परिचालित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा

1352. **श्री एस० के० राय** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार सिक्किम में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये राज्य की 1976–77 की वार्षिक योजना में सम्मिलित अस्थायी योजनाओं के अतिरिक्त किन्हीं अन्य उपायों पर विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : राज्य की 1976–77 की वार्षिक योजना में सम्मिलित की गयी स्कीमों के अलावा फिलहाल किन्हीं पर्यटन स्कीमों पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

केन्द्र तथा राज्यों के विकास कार्यों सम्बन्धी व्यय में कमी

1353. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र तथा अन्य राज्यों द्वारा वर्ष 1973–74 के अंत तक विकास कार्यों पर किये जाने वाले व्यय में लगभग 50 प्रतिशत से 40 प्रतिशत कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त व्यय में कमी के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उक्त अवधि में पूंजी निर्माण में भी लगभग 48 प्रतिशत से 33 प्रतिशत कमी हुई है ;

(घ) यदि हां, तो उक्त कमी के क्या कारण हैं ; और

(ङ) पूंजी निर्माण और विकास कार्यों पर व्यय में वृद्धि करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ङ०) एक विवरण संलग्न है, जिसमें 1973-74 में समाप्त होने वाली चौथी आयोजना की अवधि के आवश्यक आंकड़े दिए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०--10548/76]

इस अवधि के दौरान विकास कार्यों पर किए जाने वाले व्यय का अनुपात केन्द्र, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के कुल व्यय के 56.0 प्रतिशत और 59.1 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा। इसी प्रकार, इसी अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय के अनुपात के रूप में केन्द्रीय सरकार के बजट साधनों से होने वाला सकल पूंजी निर्माण 32.7 और 33.6 प्रतिशत के बीच घटता-बढ़ता रहा।

कुल व्यय के अनुपात में विकास व्यय में कोई भारी कमी नहीं हुई। यद्यपि 1972-74 के दौरान मुद्रा स्फीतिकारी दबावों के साथ साथ प्रतिकूल मौसम और भारत के व्यापार में तेजी से हुई गिरावट का निस्संदेह विकास परिव्यय की वृद्धि की दर पर बुरा असर पड़ा था, लेकिन सितम्बर 1974 से सामान्य मूल्य सूचकांक में कमी हो जाने के कारण, 1975-76 के बजट में आयोजना परिव्यय में काफी वृद्धि की गई थी। 1976-77 के केन्द्रीय बजट में अगले वर्ष के लिए आयोजना परिव्यय में 31.6 प्रतिशत की और वृद्धि की गई है जितनी पहले कभी नहीं की गई थी। आयोजना परिव्यय में इतनी अधिक वृद्धि किए जाने और 1976-77 के बजट में प्रस्तावित अन्य राजकोषीय उपायों से सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों में पूंजी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।

भारतीय पुनर्निर्माण निगम द्वारा संकटग्रस्त एककों की सहायता

1354. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय 68 संकटग्रस्त एककों के नाम भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम की सहायता सूची में हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त संकटग्रस्त एककों के नाम क्या हैं और भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने अब तक उन्हें कितनी धनराशि का भुगतान किया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) 31 जनवरी, 1976 की स्थिति के अनुसार भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम ने 93 रुग्ण/बंद औद्योगिक एककों को 31.76 करोड़ रुपये की सहायता मंजूर की थी। इसमें से, 23.53 करोड़ रुपये की रकम 69 एककों को संवितरित कर दी गयी है। इन 69 एककों के नाम और प्रत्येक संवितरित कुल रकम का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया जा रहा है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या** एल० टी०—10549/76]

New Textile Policy

1355. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether the textile mills are generally manufacturing the same type of cloth which is being manufactured in powerloom and handloom sectors; and

(b) if so, whether a new textile policy is being considered so as to see that the three different sectors maintained their separate positions ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) (a) and (b) Except for the categories of cloth which are exclusively reserved for production in the handloom sector, the mill sector, the powerloom sector and the handloom sector choose and work on such production patterns as may suit them. There is sufficient scope for production in the three different sectors.

संकटग्रस्त कपड़ा एककों को अधिकार में लेना

1356. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे संकटग्रस्त एककों की राज्यवार संख्या कितनी है जिन्हें अब तक अधिकार में नहीं लिया गया है तथा इससे कितने कर्मचारी प्रभावित हुए ;

(ख) क्या सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे एकक अपने अधिकार में लेने के निदेश दिये हैं; और

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) संकटग्रस्त कपड़ा मिल कौन है यह निर्धारित करने के लिये कोई स्पष्ट मापदंड नहीं है। फिर भी वित्तीय कठिनाइयों के कारण 10 मिलें बंद पड़ी हैं। राज्यवार ब्यौरा निम्नोक्त प्रकार है :

राज्य	बंद मिलों की संख्या	कर्मचारियों की संख्या
गुजरात . . .	2	2692
केरल . . .	1	567
महाराष्ट्र . . .	2	513
तमिलनाडु . . .	2	1284
उत्तर प्रदेश	3	6127

(ख) तथा (ग) बंद मिलों को अपने अधीन लेने के लिये राज्य सरकारों को कोई निदेश नहीं दिया गया है परन्तु केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य सरकारों के साथ निकट परामर्श कर रही है ताकि ऐसी मिलों को फिर से खोला जा सके जो अर्थ-क्षम आधार पर चलाई जा सकती हैं।

Export of Powerloom Cloth

1357. **Shri G. C. Divit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the names of the countries to which India will export powerloom cloth during 1976-77; and

(b) the estimated earnings therefrom ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) U.K. Middle East countries, USA, Sudan, Bangladesh, East Africa and Mauritious are some of the countries to which powerloom cloth is expcted to be exported during 1976-77.

(b) Earnings through exports o f p w 'oth during 1976-77 are estimated to be about Rs. 5 crores.

राष्ट्रीयकृत बैंकों में ब्याज की दरें

1358. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने ऐसा कथित वक्तव्य दिया है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज की दरों का जमा राशि की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ;

(ख) क्या उन्होंने अपने कथित वक्तव्य में यह भी कहा है कि बैंक द्वारा ली जाने वाली ऊंची ब्याज दरों से वे अपनी अकार्यकुशलता पर पर्दा डालते हैं ; और

(ग) क्या सरकार बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दरों में इस प्रकार से कमी करने की वांछनीयता पर विचार करेगी कि उसका मुद्रास्फिति रोकने पर दुष्प्रभाव न पड़े ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क); (ख) और (ग). भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि रिजर्व बैंक के गवर्नर ने यह कहा है कि जमाओं पर ब्याज की लागत और अग्रिमों तथा निवेशों से आय के बीच उचित सम्बन्ध होना चाहिए । उन्होंने यह भी सुझाव दिया है कि जीवन बीमा निगम की तरह बैंकों में भी उचित लागत-अनुपात रहना चाहिए । उन्होंने यह भी कहा है कि बैंकों को अधिक कुशल कार्यचालन मानकों के माध्यम से अपनी लाभार्जकता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए न कि नीति के लक्ष्यों के विपरीत ब्याज की दर बढ़ा कर ।

ऋण अनुशासन की समग्र सीमा के भीतर, बैंक दर और वाणिज्यिक बैंकों के ऋणों पर ब्याज की दरों के बीच उचित तालमेल की दृष्टि से रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों के अग्रिमों (हुन्डियों सहित) के सम्बन्ध में तिमाही "रेस्ट" सहित ब्याज की अधिकतम दर 16.5 प्रतिशत निर्धारित की है । चयनात्मक-ऋण नियंत्रणों के अधीन आने वाले अग्रिमों और 50 करोड़ रूपए से कम की मांग और सावधिक दायित्वों वाले बैंकों के अग्रिमों को छोड़ कर सभी अग्रिमों पर यह अधिकतम ब्याज दर लागू होगी ।

केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को यात्रा भत्ता

1359. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरन :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पैट्रोल के मूल्यों में वृद्धि होने के पश्चात् केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को दिये जा रहे यात्रा भत्ते सम्बन्धी सड़क-मील-संख्या का पुनरीक्षण किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : जी, हां । तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों और 1 जून, 1974 तक पैट्रोल की कीमत में हुई वृद्धि को ध्यान में रखने के बाद, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को स्वीकार्य सड़क-मील भत्ते की दरों में उक्त तारीख से संशोधन कर दिया गया है ।

Concorde Aeroplanes

1360. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether any country has sought landing facilities for Concorde aeroplanes at Indian airports and if so, the names thereof ;

(b) whether Indian airports are suitable for the landing of Concorde aeroplanes;

(c) the special features or Concorde aeroplanes; and

(d) whether Concorde service is costlier or cheaper as compared to other services ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) (a) In April, 1975 the Governments of U.K. asked for permission to fly Concorde aircraft in endurance flying trials in July and August, 1975 over India with some landings at Bomay airport. Permission was given subject to the aircraft flying at subsonic speed while in Indian air space.

(b) The runways at the four International airports (Delhi, Bombay, Calcutta and Madras) are considered adequate for Concorde landings.

(c) and (d) The Government has no additional or special information other than that published in the technical journals.

पोर्टब्लेयर के लिए बोइंग सेवा

1361. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोर्ट ब्लेयर के लिए निकट भविष्य में बोइंग सेवा आरम्भ की जाएगी; और यदि हां, तो कब ; और

(ख) क्या कलकत्ता से पोर्टब्लेयर अथवा मद्रास से पोर्ट ब्लेयर के लिए सीधी उड़ान सेवा होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) पोर्ट ब्लेयर का विमान-क्षेत्र (एयर फील्ड) फिलहाल बोइंग 737 परिचालनों के लिए उपयुक्त नहीं है । इंडियन एयर-लाइंस बोइंग 737 विमान से पोर्ट ब्लेयर के लिए विमान सेवायें परिचालित करने के बारे में

उस समय विचार करेंगे जबकि वहां का विमान क्षेत्र ऐसे परिचालनों के लिए उपयुक्त हो जायेगा। परन्तु पोर्ट ब्लेयर में बी–737 के परिचालनों के लिए उपयुक्त एक नये विमान क्षेत्र के निर्माण की निकट भविष्य में कोई सम्भावना नहीं है।

(ख) फिलहाल इंडियन एयर लाइंस कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर के बीच वाइकांउट विमान द्वारा सप्ताह में दो बार की सेवा परिचालित कर रही है। इंडियन एयरलाइंस इस समय किसी ऐसे अल्प दूरी वाले (शार्ट-हाल) जेट विमान का मूल्यांकन भी कर रही है जिसे संभवतः उसके विमान बेड़े के टर्बो प्राप विमानों के बदले में लिया जा सके। जब और जैसे ही कोई उपयुक्त शार्ट हाल जेट विमान मिल जायेगा कारपोरेशन कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर अथवा मद्रास और पोर्ट ब्लेयर के बीच सीधी जेट सेवायें परिचालित करने की व्यवहार्यता पर विचार करेगी।

साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, त्रिचूर द्वारा दी गई अग्रिम राशि और की गई चूकों पर रिजर्व बैंक के निरीक्षकों की टिप्पणियां

1362. **श्री वयालार रवि :** क्या **वित्त** मंत्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक के निरीक्षकों ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, त्रिचूर द्वारा दी गई अग्रिम राशि और उसके द्वारा की गई चूकों के बारे के प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं ; और

(ख) यदि हां, तो टिप्पणियों की मुख्य बातें क्या हैं और बैंक द्वारा अग्रिम राशि के ऐसे दुरुपयोग और की गई चूकों की रोकथाम के लिए रिजर्व बैंक ने क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : बैंककारी विनियमन अधिनियम के संगत उपबन्धों के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकिंग कम्पनियों और सरकारी क्षेत्र के बैंको का सावधिक निरीक्षण करता है तथा निरीक्षण के समय पायी गई अनियमितताओं को सुधारने के लिए आवश्यक उपाय भी करता है। साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड, त्रिचूर की, 27 सितम्बर, 1974 की स्थिति के विशेष संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने उसका निरीक्षण किया था। किन्तु रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि चूंकि यह प्रश्न एक बैंक से सम्बन्ध रखता है इसलिए बैंक का निरीक्षण करते समय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठी की गई सूचना को प्रकट करना बैंकिंग और सामान्यत जनता के हित में नहीं होगा।

नेपाल को वस्तुओं के निर्यात पर लगी रोक में ढील देना

*1363. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल को कतिपय वस्तुओं के निर्यात पर लगी रोक में ढील की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन वस्तुओं पर से रोक हटा दी है और ऐसे निर्यात से कितनी आय होती है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख): "गुड" तथा 'लेखन और मुद्रण कागज' के सम्बन्ध में ढील दी गई है और नेपाल की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नेपाल को उनकी सप्लाई क्रमश: 200 मे० टन और 2000 मे० टन की अधिकतम मात्रा तक सीमित कर दी गई है । इससे विदेशी मुद्रा को कोई आय नहीं होनी है क्योंकि भारत-नेपाल व्यापार तथा परिवहन सन्धि 1971 के अनुसार नेपाल के साथ व्यापार भारतीय रुपयों में होता है ।

Advancing of loans to Harijans and Adivasis in Tikamgarh and Chhatarpur Distict of Madhya Pradesh

1364. **Shri Nathu Ram Ahirwar**; Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether after the enforcement of Regional Rural Banks Act, 1976 under the 20-point programme. Harijan and Anivasis of District Tikamgarh and Chatarpur (M.P) are not getting loan from State Bank;

(b) whether in order to get a loan poor peole were being compelled to dispose of their movable ang immoveable property; and

(c) if so. the speedy steps proposed to be taken by Government in this regard ?

Minister of State in Charge of Deptt. of Rev. & banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) to (c): No. Sir. It is reported by the State Bank of India that no application from any Harijan of Adivasi from the Districts of Tikamgarh and Chhatarpur in Madhya Pradesh has been rejected by their bracnches in those district and that applications receied form such category of people are being sympathetically deal with. In fact bank finance to weaker sections including Harijans and Adivasis is provided for their productive requirements on the hypothecation of the assets acquired out of the proceeds of the loans and co-obligant sureties; landed security is not insisted upon.

कृषि वस्तुओं का निर्यात

1365. **श्री एम०कल्याणसुन्दरम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जी हां । कृषि सम्बन्धी मुख्य तथा सम्बद्ध उत्पादों का निर्यात निम्नोक्त प्रकार रहा :

वर्ष	मूल्य लाख रु० में
1972—74	68184
1974—75	95197
1974 (अप्रैल-अक्तूबर)	48467
1975 (अप्रैल-अक्तूबर)	58829

राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को विद्युतचालित करघों के कोटे का आवंटन

1369. **श्री एस एल॰ पेंजे** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–74, 1974–75 और 1975–76 के दौरान विभिन्न राज्यां और संघ राज्य क्षेत्रां को विद्युतीचालित करघां का कितना-कितना कोटा आवंटित किया गया;

(ख) किन-किन राज्यां और संघ राज्य क्षेत्रां ने विद्युतचालित करघां के आवंटित कोटे दिये हैं; और

(ग) क्या विद्युतचालित करघां के ऐसे कोटे के लिये किसी अन्य राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र की कोई अतिरिक्त मांग है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिये विभिन्न राज्यां तथा संघ राज्य क्षेत्रां को वर्ष 1966 में 1,00,682 विद्युतचालित करघे आवंटित किये गये थे। उपरोक्त कोटे के उपयोग के लिये 31–3–1976 तक का समय दिया गया है। उपरोक्त कोटे के अलावा वर्ष 1973–74, 1974–75 तथा 1975–76 के दौरान किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र को विद्युतचालित करघां का और कोई कोटा आवंटित नहीं किया गया है।

(ख) किसी भी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र ने अभी तक उन्हें आवंटित विद्युतचालित करघां का कोटा नहीं छोड़ा है।

(ग) राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा तथा पांडिचेरी से विद्युतचालित करघां के कोटे आवंटन के लिए अतिरिक्त में मांग प्राप्त हुई है।

कर भार

1370. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र में (केन्द्रीय करां और राज्य करां का) प्रति व्यक्ति कर भार कितना है; और

(ख) जिन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में कर भार कम है उन्हें कर-भार के राष्ट्रीय स्तर तक लाने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी॰सुब्रह्मण्यम : (क) और (ख). इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया गया है कि केन्द्रीय करां तथा राज्यां के करां का अर्थात् प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का कुल मिलाकर राज्यां के आधार पर, प्रति व्यक्ति कितना भार है क्योंकि इससे बहुत सी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं।

किन्तु किसी राज्य द्वारा लगाए जाने वाले करां की राशि उन आधारां में से एक आधार है जिसे आयोजना के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता के वितरण फार्मूले में शामिल किया गया

है । केन्द्रीय सरकार अतिरिक्त साधन जुटाने की गुंजाइश और उसकी जरूरत के बारे में राज्य सरकारों पर लगातार जोर देती आ रही है ताकि विकास कार्यों की गति को कायम रखा जा सके । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विचार-विमर्श के दौरान योजना आयोग भी उन राज्यों पर, जहां कम कर लगे हैं, अतिरिक्त साधन जुटाने की आवश्यकता पर जोर देता रहता है ।

सांवर स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में डकैती

1371. **श्री हरी सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 2 मार्च, 1976 को डाकुओं ने उदयपुर के निकट सांवर में पंजाब नेशनल बैंक का धन लूटा था; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि लूटी गई ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी): (क) और (ख). पंजाब नेशनल बैंक ने सूचित किया है कि पहली मार्च, 1976 को कुछ सशस्त्र डकैत सनवाड़ स्थित इसकी शाखा में घुस गये और 2,28,575,24 रुपये की नकद राशि तथा बैंक के 50/- रुपये के डाक टिकट लूट ले गये । बैंक ने उसी समय पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी । पुलिस जांच अभी पूरी नहीं हुई है ।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा उत्तर प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना

1372. **श्री सरजू पांडे** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेट बैंक आफ इंडिया उत्तर प्रदेश में 20-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिलावार विवरण क्या है ; और

(ग) वहां पर कार्यक्रम ने कहां तक ठोस रूप ग्रहण किया है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क), (ख), (ग). भारतीय स्टेट बैंक ने सूचित किया है कि वे उत्तर-प्रदेश में 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता के लिये सभी स्तरों पर प्रभावपूर्ण ढंग से प्रयास कर रहे हैं और विभिन्न स्तरों पर समान्वित कार्यक्रमों को शुरू करने और इन्हें कार्यन्वित करने में सरकार के साथ गहरा संपर्क बनाये हुए हैं ;

यद्यपि 20 सूत्री कार्यक्रम के लाभान्वितों को बैंकों को सहायता का बड़ा भाग चालू योजनाओं के वास्ते हैं, फिर भी, उत्तर प्रदेश में 20-सूत्री कार्यक्रम के विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत बैंको, द्वारा सहायता प्राप्त व्यक्तियों की संख्या से संबंधित जिले वार उपलब्ध आंकड़े अनुबन्ध में दिये जा रहे हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए** संख्या एल टी 10550/76].

जीवन बीमा निगम द्वारा सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण को अन्तिम रूप दिया जाना

1373. **मौलाना इसहाक सम्भली** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने ग्रामीण व्यक्तियों के सघन सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण को अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य बातें क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) तथा (ख) : जीवन बीमा निगम का प्रस्ताव है कि मई–जुलाई 1976 में कालेज के विद्यार्थियों द्वारा चार जिलों के चुनिंदा देहाती क्षेत्रों में, एक नमूना–सर्वेक्षण कराया जाय । इसके लिये हरियाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यो में से प्रत्येक में एक-एक जिला होगा । सर्वेक्षण का उद्देश्य, ग्रामीण लोगों की बीमा कार्य संबंधी आवश्यकताओं का पता लगाना, अपना भरण पोषण करने में उनकी वित्तीय क्षमता को आंकना और सामान्य रूप से बचत एवं विशेष रूप से बीमा के विषय में उनके रूख का अध्ययन करना है ।

डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थों का निर्यात

1374. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डिब्बा बन्द तैयार खाद्य पदार्थों के निर्यात के लिए इस वर्ष ऊंचा लक्ष्य निर्धारित किया है ;

(ख) क्या डिब्बा बन्द खाद्य पदार्थ स्थानीय मूल्यों की तुलना में कम मूल्यो पर निर्यात किये किये जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) : अधिकांशत : डिब्बा-बन्द खाद्य पदार्थों का निर्यात स्थानीय कीमतों से कम कीमतो पर नहीं किया जा रहा है । फिर भी, तुरन्त तैयार हो सकने वाली काफी, मिठाइयां, अचार, चटनी तथा आम के रस जैसे मामले में, जिनके लिये निर्यात बाजारों में पैठने का अभी भी प्रयास ही किया जा रहा हैं, निर्यात आन्तरिक मूल्यो से कुछ मामूली कम मूल्यों पर किये जा रहे हैं ।

विकास परियोजनाओं के लिए राज्यों के संसाधन

1375. **सरदार महेन्द्र सिंह गिल** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा रिज़र्व बैंक से 'ओवरड्राफ्ट' लेने के सुगम उपाय पर रोक लगाये जाने के बाद, अधिकांश राज्य सरकारें आवश्यक विकास परियोजनाओं के लिये अपने संसाधन जुटाने में असमर्थ रही हैं और आगमी वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्र से उदार सहायता की प्रतिक्षा कर रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों की किस प्रकार सहायता करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : ओवरड्राफ्ट विनियमन स्कीम का जो इस स्वस्थ सिद्धान्त पर आधारित है कि रिजर्व बैंक से लिए जाने वाले ओवरड्राफ्टों को बजट संबंधी साधन नहीं माना जाना चाहिए, राज्यों की विकास योजनाओं पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। चालू आयोजना की अवधि की अवधि में राज्यों का स्वीकृत आयोजना-परिव्यय 1974-75 के 2127 करोड़ रुपए से बढ़ा कर 1975-76 में 2812 करोड़ रुपए और 1976-77 में और बढ़ाकर 3644 करोड़ रुपए कर दिया गया है। आयोजना के लिए वास्तविक साधन जुटाने की दिशा में राज्यो ने प्रशंसनीय प्रयत्न किए हैं। चालू आयोजना के पहले दो वर्षों में राज्यों द्वारा किए गए उपायों से अगले वर्ष 1012 करोड़ रुपए की प्राप्ति का अनुमान है। इसके अलावा, अगले वर्ष की अपनी आयोजना के लिए धन की व्यवस्था करने की स्कीम में राज्यों द्वारा लगभग 250 करोड़ रुपए तक के अतिरिक्त साधन जुटाए जाने का अनुमान है। केन्द्र भी राज्यों के बढ़े हुए आयोजना परिव्यय का वित्तपोंण करने में अधिक से अधिक सहायता कर रहा है। राज्यों को उनके विकासात्मक प्रयत्नों में आयोजनागत तथा अन्य सहायता के रूप में केन्द्रीय सहायता की रकम 1974-75 में 896 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1975-76 में 1140 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) और 1976-77 में 1276 करोड़ रुपए (बजट अनुमान) कर दी गई है। अगले वर्ष राज्यो द्वारा खुले बाजार से लिए जाने वाले ऋणों और इसके साथ-साथ वित्तिय संस्थानो से मिलने वाली सहायता की रकम भी बढ़ा दी गई है।

उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का खोला जाना

1376. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोलने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो कब और किस-किस स्थानों पर ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) उड़ीसा के पुरी जिले में कारोबार करने के लिए पिपली में एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की जा चुकी है। उड़ीसा सहित सभी राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के अन्य स्थानों के निर्धारण में सरकार विचार कर रही है।

राज्यों के हथकरघा उद्योगों को वित्तीय सहायता

1377. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय ने गत वर्ष हथकरघा उद्योगों को, राज्यवार कितनी वित्तिय सहायता दी ;

(ख) हथकरघा उद्योग संबंधी शिवरामन समिति की टिप्पणियों, "कि बैंक से सहकारी समितियों को धन दिए जाने की तब तक आशा नहीं की जा सकती जब तक समितियां बैंक द्वारा

निर्धारित सिद्धान्तों पर खरी न उतरें" के सन्दर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक से सहकारी समितियों द्वारा ऋण लिये जाने के लिये सही-सही कितना धन निर्धारित किया गया है ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) वर्ष 1975 में निम्नलिखित राज्यों को जमा पड़े हथकरघा माल की निकासी के लिये ऋण सहायता के रूप में 4.70 करोड़ रु० की राशि बांटी गई है :

राज्य	करोड़ रु०
तमिलनाडु	1.80
आन्ध्र प्रदेश	1.20
कर्नाटक	0.70
उत्तर प्रदेश	0.70
केरल	0.30

केन्द्र से सहायता प्राप्त कई हथकरघा विकास योजनाए इस समय विचाराधीन हैं और आशा है कि वे वर्ष 1976–77 में क्रियान्वित हो जाएंगी । इन योजनाओं के लिए सहायता प्रतिपूर्ति आधार पर होगी ।

(ख) प्राथमिक समितियों की कमजोरी, जिसका कारण पूंजी का कमजोर आधार और सदस्यों से देय राशि की असन्तोषजनक वसूली है, ऐसी प्रमुख बाधा है जिसके कारण वे भारतीय रिजर्व बक द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने में असमर्थ हैं।

(ग) राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे प्राथमिक समितियों की ठीक-ठीक गणना करके उनके अर्थक्षम और सशक्त समितियों में रूप में नये ग्रुप बनाए और उन्हें पुन : चलने योग्य बनाए ताकि वे इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित मानकों को पूरा कर सकें।

पाराद्वीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात के कारण खनिज तथा धातु व्यापार निगम को हानि

1378. **श्री अनादि चरण दास :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाराद्वीप पत्तन से लौह अयस्क के निर्यात को काफी क्षति हुई है, जिसके परिणामस्वरूप पाराद्वीप पत्तन में अयस्क का भारी भण्डार जमा हो गया है और खनन क्षेत्र से पत्तन के लिए परिवहन संबंधी गतिविधियों में कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इससे खनिज तथा धातु व्यापार निगम को कितनी हानि हुई है और इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) अयस्कों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)

(क) जी नहीं ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

करों की बकाया राशि वसूल करने के लिये योजना

1379. **श्री शशि भूषण :** क्या वित्त मंत्री करों की बकाया राशि वसूल करने के लिए अमरीकी पद्धति लागू करने के बारे में 27 जुलाई, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 894 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस योजना की क्रियान्विति कर की बकाया राशि वसूल करने में कहां तक सहायक सिद्ध हुई है ; और

(ख) उक्त योजना की क्रियान्विति के पश्चात् राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) : जैसा कि 27 जुलाई 1973 को दिये गये उत्तर में बताया गया था, आयकर विभाग में काम के अनुसार कार्य विभाजन की योजना को प्रयोगिक आधार पर सितम्बर 1966 में लागू किया गया था और इस योजना का वर्ष प्रति वर्ष विस्तार किया जाता रहा, यहां तक कि आयकर कार्यालयों के लगभग 50 प्रतिशत कार्यालय इस योजना के अन्तर्गत आ गए । इस प्रकार इस योजना के अन्तर्गत सारा विभाग किसी भी समय नहीं आया। वर्ष 1966–67 से 1974–75 तक की अवधि में बकाया मांग की वसूली/ घटौती/समायोजन तथा शुद्ध बजट वसूलियों के आंकड़े, अनुबन्ध की सारणी 'क' में दिये गये हैं। ये आंकड़े समग्र रूप में पूरे विभाग से संम्बधित हैं और बकाया मांग की वसूली/घटौती/समायोजन तथा शुद्ध बजट वसूलियां, उन अनेक उपायों पर निर्भर करती हैं जिन में विभाग में कार्य पद्धति भी एक है, इसलिये इन आंकड़ों का संबंध, काम के अनुसार कार्य विभाजन योजना के साथ जोड़ना उचित नहीं होगा ।

काम के अनुसार कार्य विभाजन की योजना की समीक्षा करने के बाद, यह निश्चय किया गया था कि काम की पहले वाली एकात्मक पद्धति को 1-4-75 से पुन: लागू किया जाय। बकाया मांग की वसूली/घटौती/समायोजन के 31-12-75 तक के आंकड़े तथा शुद्ध बजट वसूलियों के फरवरी 1976 के अन्त तक के आंकड़े, वर्ष 1974-75 और 1973–74 के तत्संबंधी आंकड़ों के साथ अनुबन्ध की सारणी 'ख' में दिये गये हैं।

विवरण

सारणी 'क'

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	बकाया मांग में से वसूली/ समायोजन/कटौती	आयकर तथा निगम-कर की शुद्ध बजट वसूलियां
1966–67	110.02	637.43
1967–68	221.43	636.40
1968–69	206.70	678.24

1	2	3
1969–70	302.75	801.84
1970–71	328.45	843.69
1971–72	303.64	1008.82
1972–73	324.18	1187.79
1973–74	329.05	1327.76
1974–75	321.31	1583.89

सारणी 'ख'

(करोड़ रुपयों में)

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष की 31 दिसम्बर तक की बकाया मांग में से वसूली/समायोजन/घटौती	वित्तीय वर्ष की फरवरी के अन्त तक शुद्ध बजट वसूलियां (विभागीय आंकड़े)
1975–76	290.60	1420.01†
1974–75	216.59	1142.47
1973–74	227.59	985.25

†अनंतिम आंकड़े

इंडियन एयरलाइन्स द्वारा मांगी गई धनराशि

1380. **श्री एम॰ रामगोपाल रेड्डी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने अपने क्षेत्रीय तथा पर्यटक संवर्धन कार्यों को बढ़ाने के लिए अधिक धनराशि की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). 2 मार्च, 1974 से विमानन ईंधन में मूल्य में अत्यधिक वद्धि होने के परिणामस्वरुप इंडियन एयरलाइंस ने केन्द्रीय सरकार से विमानन टर्बाइन ईंधन के मूल्य में कमी करने, नागर विमानन विकास निधि से उपदान प्रदान करने, विमान तथा इंजन और उनके फालतू पुर्जों की सीमा-शुल्क की अदायगी करने से छूट देने आदि के रुप में वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया था। किन्हीं अलाभप्रद मार्गों का परिचालन करने के लिए नागर विमानन विकास निधि से कोई अतिरिक्त सहायता

प्रदान करने पर विचार नहीं किया गया। परन्तु केन्द्रीय सरकार ने सितम्बर, 1974 के मध्य से विमानन टर्बाइन ईंधन के मूल्य में 100 रुपए प्रति किलोमीटर की कमी करने की अनुमति दे दी थी। इस से पूरे वर्ष में लगभग 3 करोड़ की राहत मिलने की आशा है।

सामान्यीकृत अधिमान व्यवस्था (जनरलाइज्ड सिस्टम आफ प्रेफ्रेंसिस)

1381. **श्री मनोरंजन हाजरा :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने अमरीका द्वारा आरम्भ की गई सामान्यीकृत अधिमान व्यवस्था का **इस** बीच लाभ उठाया है और यदि हां, तो उससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : भारत के निर्यातकों ने संयुक्त राज्य अमरीका की अधिमानों की सामान्यीकृत व्यवस्था द्वारा प्रदान किये गए अवसरों का लाभ उठाना आरम्भ कर दिया है जो 1 जनवरी, 1976 से आरम्भ हुई है। इस व्यवस्था की योजना के परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा की आय का मूल्यांकन इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता।

मुजफ्फरपुर-पटना विमान सेवा

1382. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुजफ्फरपुर–पटना विमान सेवा पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसे रक्सौल तक बढ़ाया जायेगा ; और

(ग) उक्त सेवा कब तक पुनः आरम्भ कर दी जायेगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) से (ग). इंडियन एयर-लाइंस का मुजफ्फरपुर के लिए विमान सेवा पुनः प्रारम्भ करने का अथवा किसी सेवा को रक्सौल तक बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा ऐसे 9 मार्गों को जिनपर इस समय इंडियन एयरलाइंस कोई परिचालन नहीं कर रही है, और जिनमें कलकत्ता, गया, मजफ्फरपुर, पटना, वाराणासी भी शामिल है, निजी परिचालकों को आफर किया गया है। इस सम्बन्ध मे प्राप्त आवेदनों की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम द्वारा रुई की खरीद

1383. **चौधरी नीतिराज सिंह :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम को रूई तथा अन्य सामान उधार खरीदने के लिए एजन्टों को कमीशन देना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो कमीशन की राशि क्या है और वह किस अवस्था पर दी जाती है;

(ग) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम रुई की गांठें 3300 रुपये प्रति गां ठ से हिसाब से खरीद रहा है जबकि उसका नकद बिक्री मूल्य लगभग 2600 रुपये अथवा इसके लगभग है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे सुधारने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) रुई की खरीदारियां सामान्यतः भारतीय रुई निगम, महाराष्ट्र विपणन सहकारी संघ तथा सहकारी समितियों अथवा व्यापारियों से सीधी की जाती हैं । भुगतान की सामान्य शर्तें हैं सुपुर्दगी के आधार पर नगद भुगतान । कार्यकारी पूंजी की अपर्याप्तता की वजह से कुछ अनुषंगी कार्यालयों ने कमीशन एजेन्टों को कमीशन देकर उधार रुई खरीदी है । कोयले की सप्लाइयों के मामले में, मिलों में कोयला प्राप्त होने के बाद कमीशन एजेन्टों को भुगतान किया जाता है जबकि कमीशन एजेन्ट सप्लायरों को अग्रिम भुगतान कर देते हैं ।

(ख) जानकारी एकत्र की जा रही है ।

(ग) तथा (घ). सभी राष्ट्रीयकृत मिलों के लिए रुई की खरीद सम्बन्धी सौदों की संख्या को देखते हुए वास्तविक स्थिति की जांच करने की आवश्यकता है । ऐसा किया जा रहा है । फिर भी, रुई की खरीदारियां अब अनुषंगी स्तर पर केन्द्रित की गई हैं और नियंत्रक कम्पनी ने अनुषंगी कम्पनियों को निदेश जारी किये हैं कि वे भारतीय रुई निगम, महाराष्ट्र, सहकारी विपणन संघ तथा सहकारी समितियां जैसे सरकारी क्षेत्र के अधिकरणों से रुई खरीदें ।

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयों द्वारा आयकर का भुगतान

1384. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव :** क्या **वित्त** मंत्री यह बता बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में कार्य कर रहे भारतीयां को भारत में आयकर देना पड़ता है यदि वे किसी वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में चालीस दिन से अधिक ठहरते हैं ; और

(ख) क्या सरकार का इन यात्राओं से होने वाली विदेशी मुद्रा आय को बढ़ावा देने के लिए इस अवधि में छूट देने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) भारतीय आय कर अधिनियम 1961 में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि विदेशों में नौकरी करने वाले भारतीय किसी वित्तीय वर्ष में 40 दिन से अधिक समय के लिए भारत में ठहरे तो उन्हें भारत में आयकर अदा करना पड़े ।

(ख) आय कर अधिनियम, 1961 की संगत धाराओं में निहित वर्तमान व्यवस्था में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

मूल्य लागत तथा टैरिफ आयोग

1385. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बदलती हुई आर्थिक स्थिति को देखते हुए सांविधिक टैरिफ आयोग को समाप्त करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मूल्य, लागत तथा टैरिफ आयोग स्थापित करने का है जैसा प्रशासनिक सुधार आयोग ने सुझाव दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उद्योग में तेजी से बदलती हुई स्थितियों में इस आयोग की भूमिका क्या होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं। टैरिफ आयोग के स्थान पर कीमत, लागत तथा टैरिफ सम्बन्धी आयोग के नाम से दूसरा आयोग स्थापित करने के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश पर पहले विचार किया गया था किन्तु उसे स्वीकार्य नहीं पाया गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

Tourist Centres in U. P.

1386. **Shri Chandrika Prasad :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state whether Government propose to declare places of religious and political importance in Uttar Pradesh, particularly Ballia-Buxar, Meserha Jheel, Charitrabal; Vishwamitra Ashram and Tarka Badh as tourist centres with a view to attracting foreign tourists there ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : There is no system by which the places are declared as tourist centres. The selection of places for tourism development in the Central Sector depends upon the availability of resources and *inter se* priorities which are determined by the actual or potential attractions of a place for tourists, its accessibility, avialability of basic tourism infrastructure and the present flow of tourist traffic. The development of tourist facilities at centres visited by a large number of domestic tourists would be the responsibility of the State Government. The Department of Tourism has no proposal to develop Ballia-Buxar, Meserha Jheel, Charitrabal; Vishwamitra Ashram and Tarka Badh in the Central Sector for the present.

कारगिल तक विमान सेवा

1387. **श्री सयद अहमद आगा :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि लद्दाख की एक महत्वपूर्ण तहसील कारगिल विमान सेवा द्वारा सम्बद्ध नहीं है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार लद्दाख के अतिरिक्त कारगिल तक भी विमान सेवा चलाने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइंस के पास उनके विमान बेड़े में लद्दाख के लिए विमान सेवाओं का परिचालन करने के लिए फिलहाल कोई उपयुक्त विमान नहीं है । इंडियन एयरलाइंस इस समय विभिन्न प्रकार के ऐसे अल्प-दूरी वाले (शार्ट हाल) जेट विमानों का अध्ययन कर रहे हैं जिनको कि कारपोरेशन के विमान-बेड़े में वर्तमान टर्बो-प्राप विमानों के बदले में लिया जा सके तथा जिनका लेह जैसे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों के लिए परिचालन किया जा सके ।

नयी दिल्ली से राजकोट के बीच सीधी विमान सेवा

1388. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का नयी दिल्ली से राजकोट के बीच सप्ताह में दो बार सीधी विमान सेवा पुनः चालू करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : इंडियन एयरलाइंस का दिल्ली और राजकोट के बीच सीधी सेवा चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं हैं। तथापि कारपोरेशन बम्बई और राजकोट के बीच एच० एस०-748 विमान द्वारा एक दैनिक विमान सेवा परिचालित कर रही है जिसमें कि राजकोट से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को बम्बई से उसी दिन की सम्पर्क सेवा उपलब्ध हो जाती है ।

बम्बई में नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मीनल

1389. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री एन० आर० वेकारिया :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई हवाई अड्डे पर एक नया अन्तर्राष्ट्रीय टर्मीनल बनाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और इस परियोजना के लिए कितनी राशि नियत की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सरकार ने भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा बम्बई में 11.00 करोड़ रुपए की कुल लागत से एक नये अन्तर्राष्ट्रीय यात्री एवं कार्गो काम्पलेक्स के निर्माण का अनुमोदन किया है, जिसमें यात्री टर्मीनल के लिए 7.16 करोड़ रुपए तथा कार्गो टर्मीनल के लिए 3.84 करोड़ रुपए के परिव्यय की व्यवस्था है । नये यात्री टर्मीनल में शिखर यातायात काल में 1400 (आगमन तथा प्रस्थान) यात्रियों को निपटाने की क्षमता होगी । इस योजना के अन्तर्गत 83,164 वर्ग फुट कार्गो क्षेत्र के निर्माण की व्यवस्था है ।

विदेश व्यापार

1390. **श्री समर गुह :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973–75 में जापान, ईरान, पश्चिमी जर्मनी और पश्चिम एशिया के साथ आयात और निर्यात के रूप में हुए व्यापार से सम्बन्धित तथ्य क्या हैं; और

(ख) वर्ष 1975–76 में इन देशों के साथ कितना व्यापार होने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :

(क) (लाख रुपयों में)

देश	1973–74		1974–75	
	आयात	निर्यात	आयात	निर्यात
जापान	25953	36221	45347	30861
ईरान	26758	4278	47266	21446
प० जर्मनी	20679	8637	30687	10543
*प० एशिया	28156	13720	65000	28397

*(पश्चिम एशिया क्षेत्र में आबूधाबी, दुबाई, बहरीन, कुवैत, ओमान, कतार, इराक, सऊदी अरब, जोर्डन, लेबनान, सीरिया, यमन अरब गणराज्य, इजराइल, यमन का जनवादी लोकतंत्रीय गणराज्य) ।

(ख) यद्यपि 1975–76 के पूरे वर्ष के लिए आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, ऐसी आशा है कि 1974–75 में ऊपर बताये गये देशों के साथ व्यापार का स्तर अधिक ऊंचा रहेगा ।

इन देशों के सम्बन्ध में उपलब्ध आंकड़े निम्नलिखित हैं :—

(लाख रुपयों में)

	अप्रैल—सितम्बर, 1975	
	आयात	निर्यात
जापान	10870 (अप्रैल से जून)	17715 (अप्रैल से सितम्बर)
ईरान	9612 (अप्रैल, से जून)	14567
प० जर्मनी .	16860	4958
प० एशिया	30871	12782

रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव

1391. **श्री समर गुह : क्या वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973 से 75 के दौरान सोवियत संघ, अमरीका, जापान, ईरान, ब्रिटेन, पश्चिम जर्मनी तथा पश्चिम एशियाई देशों की मुद्राओं के साथ रुपये की विनिमय दर में उतार-चढ़ाव रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और भारतीय मुद्रा के स विनिमय दर में उत्तार-चढ़ाव के कारण कितना लाभ तथा हानि हुई ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी, हां ।

(ख) चूंकि सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य नहीं है, इसलिए दोनों देशों की मुद्राओं में उनके घोषित स्वर्ण अंश के अलावा भारतीय रुपए और रूबल के बीच कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है । पश्चिम एशियाई देशों की मुद्राओ का भी भारतीय रुपए से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है ।

अन्य मुद्राओं के मामले में, भारतीय रुपए की दर, न देशो की मुद्राओं की लन्दन में क्रास दरों के अनुसार अलग अलग होती है । 14 फ़रवरी, 1973 और 31 दिसम्बर, 1975 को मुख्य-मुख्य मुद्राओं के लिए भारतीय रुपए की सरकारी दरें इस प्रकार थीं:—

	विदेशी मुद्राओं को भारतीय रुपयों में सरकारी दरें (विदेमी मुद्रा युनिट प्रति सौ रुपए)	
	14-2-1973	31-12-1975
पौंड स्टर्लिंग	5.3191	5.5162
अमरीकी डालर .	13.6433	11.1634
डयूश मार्क .	38.6433	29.2359
जापानी येन . . .	3489.33	3404.87
ईरानी रीआयल	1040.62	773.34

विभिन्न मुद्राओं में बार-बार होने वाली घट-बढ के कारण इस सम्बन्ध में होने वाली हानि अथवा लाभ का ठीक ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

Projects Sanctioned by A.R.C. in Madhya Pradesh

1392. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Agricultural Refinance Corporation had approved certain projects regarding marketing of essential commodities in Madhya Pradesh during 1974-75;

(b) if so, whether financial assistance had also been sanctioned; and

(c) if so, the amount thereof?

The Minister of State in Charge of Department of Revenue and Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) No Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Modernisation of Textile Industry in Madhya Pradesh

1393. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether textile industry in Madhya Pradesh is being modernised to produce such quality cloth as may attract foreign markets; and

(b) if so, the facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) and (b). No such modernisation programme has come to the notice of the Government. However, the National Textile Corporation has drawn up a modernisation programme, in respect of seven mills under its control in Madhya Pradesh, to the tune of about Rs. 423·84 lakhs to renovate old and out dated machineries, and to arrest the cash losses incurred by it.

हिमाचल प्रदेश में गोविन्द सागर झील के तटों पर सुविधाएं

1394. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश स्थित गोविन्द सागर झील के तटों पर उपयुक्त घाट, पार्क और शरणस्थल बनाकर सुविधाऐं देने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय पर्यटन विभाग द्वारा गोविन्द सागर पर 15 सीटों वाले दो लौंचों की व्यवस्था की जा रही है । लौंचों के मई, 1976 के अन्त तक चालू हो जाने की आशा है । केन्द्रीय क्षेत्र में गोविन्द सागर पर सुविधाऐं प्रदान करने के और कोई अन्य प्रस्ताव नहीं हैं ।

एक बैंक द्वारा औसत जनसंख्या और क्षेत्र की सेवा

1395. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक एक जनवरी, 1976 को एक बैंक द्वारा जितनी जनसंख्या और जितने क्षेत्र की सेवा की गई उनका औसत क्या है;

(ख) देश के प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में इस बारे में आंकड़े क्या हैं; और

(ग) क्या राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जहां तक बैंक को अधिक क्षेत्र और जनसंख्या की सेवा करनी होती है, विशेषकर पर्वतीय राज्यों तथा अन्य राज्यों के पर्वतीय क्षेत्रों में लीड बैंकों को उदारता से लाइसेंस देने का विचार है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) : मांगी गयी सूचना अनुबन्ध में दी जा रही है ।

(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०--10551/76)

(ग) : भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को सलाह दी है कि शाखा विस्तार की अपनी तीन वर्षीय 'रोलिंग' योजना बनाते समय, उन्हें विशेष रूप से पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में, बैंक रहित और कम-बैंक वाले ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों तथा कम बैंक वाले और पिछड़े जिलों, राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना चाहिये और इन क्षेत्रों में यथा सम्भव अधिक से अधिक कार्यालय खोलने का प्रयास करना चाहिए ताकि बैंकिंग सुविधाओं के मामले में अन्तर-जिला और अन्तरराज्य असन्तुलन को कम से कम किया जा सके और देश की सम्पूर्ण विकास क्षमता को पर्याप्त रूप से सक्रिय किया जा सके ।

Crisis in Handloom Industry in U. P., Madhya Pradesh and Tamil Nadu

1396. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Handloom Industry in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Tamil Nadu involving livelihood of more than one crore persons is facing serious crisis due to non-availability of yarn and timely financial assistance;

(b) whether the Handloom Commission has almost failed to solve these problems as a result of which a situation of crisis has been created for lakhs of persons; and

(c) if so, the steps taken by Government to remove difficulties faced by this industry ?

The Deputy Minister in the Minitry of Commerce (Shri Vishawnath Pratap Singh) : (a) Central Government, have not received any reports from the Governments of U.P, Madhya Pradesh and Tamil Nadu about crisis in the handloom industry in these States due to non-avilability of yarn and timely financial assistance.

(b) & (c) : Do not arise.

Items Exported to Malaysia and East Africra

1397. **Dr. Laxinarayan Pandeya** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state:

(a) the items exported to Malaysia and East Africa during 1975-76;

(b) whether Malaysia has conveyed its intention of pruchasing railaway equipments in large quantity; and

(c) if so, the nature of talks held in this regard and the quantum of railway equ,pments India expects to export ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanth Pratap Singh) :

(a) **Exports to Malaysia During 1975-76 (April-July)** Cotton manufactures (excluding yarn, thread & clothing), Machinary other than electric, Electric machinery and a parts, Onions, manufactures of metals, transport equipments, Iron & Steel, paper, paperboard and manufactures thereof, Textile fabrics wovan other than cotton and jute, castor oil, Pearls, precious and semi-precious stones, Jute manufactures excluding twist and yarn, pulses, sugar and other articles, shellac, Mango pulp, sports goods, footwear, Cashew Kernels, Mill-made cotton textiles, Railway equipment.

Exports To East Africa Duirng 1975-76 Agricultural and allied products, Cotton piecegoods, Cotton manufactures, Handloom fabrics, Fabrics of art silk and synthetic fibres and spun glass, Coir manufactures, Jute manufactures, Leather and leather manufactures, Metal manufactures,

Machinery other than electric, Electrical machinery and apparatus, jute bags, Transport equipment, Motor vehicles, Handicrafts, Iron & Steel, Chemcial and allied products, Plastic and plastic manufactures, paper and paper board, Glass and glass ware, Ores and minerals and scrap and Footwear, shellac, sports goods, castor oil, footwears.

(*East Afrcia region covers Kenya, Uganda, Tanzania, Ethiopia, Somalia, Mozambique, Madagascar, Maurituius and Malawi)

(b) & (c). Malaysian Railway Administration are reported to have drawn up their plan, under the Third Malyasian Plan (1976-80) for investing M$ 600 million. This would include purchase of wagons, coaches, singnalling equipment, track equipment etc. However, this plan is yet to be finally approved by the Malaysian Govt. We are trying to secure as much of this business as possible at appropriate time. Constant touch is being maintained with the appropriate authorities through our mission in Kuala Lampur and otherwise.

Loss Suffered by Hotles run by I. T. D. C.

1398. **Dr. Lavminarayan Pandeya** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the profit and loss of hotels run by India Tourism Development Corporation for 1974-75?

The Minister of State in the Ministry of Tiurism & Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : A statement giving the requisite information is attached.

Statement

	Name of the hotel	Profit (+)[Loss(—) (Rs. in lakhs)
1.	Ashoka Hotel, New Delhi	(+) 52·89
2.	Akbar Hotel, New Delhi	(+) 15·41
3.	Janpat Hotel, New Delhi	(+) 16·85
4.	Hotel Ranjit, New Delhi	(—) 5·33
5.	Lodhi Hotel, New Delhi	(+) 2·64
6.	Qutab Hotel, New Delhi	(+) 0·30
7.	Hotel Ashoka, Bangalore	(+) 5·16
8.	Aurangabad Hotel, Aurangabad	(—) 2·93
9.	Khajuraho Hotel, Khajuraho	(—) 0·50
10.	Laxmi Vilas Palace Hotel, Udaipur	(—) 3·07
11.	Varanasi Hotel, Varanasi	(—) 4.67
12.	Lalitha Mahal Place Hotel, Mysore	(—) 3·78
13.	Kovalam Grove (inluding detached Units)	(—) 4·74
	TOTAL :	(+) 68·23

अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लेना

1399. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रदर्शनी निदेशालय के ढांचे में कोई परिवर्तन करने के बारे में विचार कर रही है, ैर यदि हां, तो कब; और

(ख) वर्ष 1974–75 और 1975–76 में प्रदर्शनी निदेशालय और भारतीय व्यापार मेला और प्रदर्शनी परिषद्, बम्बई ने अलग अलग कितनी अन्तर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भाग लिया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां । मामला विचाराधीन है और जल्दी ही विनिश्चिय कर लिया जायेगा ।

(ख) प्रदर्शनी तथा वाणिज्यिक प्रचार निदेशालय ने 1974–75 के दौरान तेरह तथा 1975–76 के दौरान पन्द्रह मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेने की व्यवस्था की । व्यापार मेले तथा प्रदर्शनियों की भारतीय परिषद ने 1974–75 के दौरान दो तथा 1975–76 में तीन मेलों में भाग लेने की व्यवस्था की ।

विद्युत परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

1400. **श्री वसंत साठे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक को पांचवीं योजना में इसकी वित्तीय / तकनीकी सहायता से कुछ विद्युत्त परियोजनाएं आरम्भ करने के बारे में अवगत कराया गया है; और

(ख) यदि हां, तो बताई गई परियोजनाओं का राज्यवार व्यौरा क्या है तथा विश्व बैंक से कितनी वित्तीय सहायता मांगी गई । उसका उल्लेख किया गया और विश्व बैंक ने कितनी सहायता देने का वायदा किया ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) : भारत सरकार ने 22 जनवरी 1976 को विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये थे । पन्द्रह करोड़ डालर का यह करार चौथी विद्युत्त पारेषण परियोजना के लिए है जिसे पांचवीं आयोजना के दौरान पूरा किया जाना है । पन्द्रह करोड़ डालर की इस रकम में से बाहर करोड़ डालर की रकम का इस्तेमाल बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के राज्य बिजली बोर्डों तथा पश्चिमी और पूर्वी प्रादेशिक बिजली बोर्डों के लिए ऊपरी पारेषण लाइनों, भूमिगत केबलों और सब-स्टेशनों के उपस्करों के निर्माण और पूर्ति के लिए किया जाएगा । शेष तीन करोड़ डालर की रकम असम, केरल, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु राज्यों तथा दिल्ली विद्युत्त प्रदाय संस्थान के कार्याचालन क्षेत्रों में, व्यास निर्माण बोर्ड, दक्षिणी एवं ऊपरी प्रादेशिक बिजली बोर्डों तथा टाटा पावर कम्पनी के लिए पारेषण लाइनों और सब-स्टेशनों एवं संचार उपकरों के निर्माण व पूर्ति के लिए है।

ऊपर बताए गए कार्यों के अलावा सुपर तापीय परियोजनाओं और पन-बिजली परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुछ एक साध्यता रिपोर्टें वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक को भेजी गई थी । जिन सुपर तापीय बिजली घरों के निर्माण पर विचार किया जा रहा है वे उत्तर प्रदेश में सिंगरौली, मध्य प्रदेश में कोरबा, पश्चिम बंगाल में फ़रक्का और नेवेली (तमिलनाडु) / गोदाबरी (आन्ध्र प्रदेश) में बनाए जायेंगे । उपर्युक्त परियोजनाओं में से सिंगरौली परियोजना का मूल्यांकन विश्व बैंक के एक मिशन द्वारा हाल ही में किया गया था । उक्त दल की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

विश्व बैंक के विचाराधीन पन-बिजली परियोजनाएं जो निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित की जाएंगे :—

(1) हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर नाथपा झाकड़ी परियोजना,

(2) बिहार में साउथ कोयल नदी (ब्राह्मणी की सहायक नदी) और उसकी सहायक नदी नार्थकारों पर कोयल कारो परियोजना,

(3) उत्तर प्रदेश में भागीरथी नदी पर टिहरी बांध परियोजना, और (4) कर्नाटक में बेदेती नदी पर बेदेती-बाराही परियोजना।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में कार्यकारी ग्रुप की सिफारिशें

1401. **श्री वसन्त साठे** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के बारे में कार्यकारी ग्रुप की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ख) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) क्या रिजर्व बैंक ने अपनी बैंक शाखा लाइसेंसिंग नीति में संशोधन किया था और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) : जुलाई, 1975 में सरकार द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंकों विषयक कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी जा रही हैं।

(ख) : ग्रामीण बैंकों विषयक कार्यकारी दल की सिफारिशो पर सरकार ने विचार किया था और कुछ संशोधनों के साथ उन्हें स्वीकार कर लिया था। इसके अनुसरण में, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976' के अधीन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको की स्थापना सम्बन्धी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक देश भर में ऐसे 12 बैंको की स्थापना की जा चुकी है।

(ग) : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उद्देश्य वर्तमान ऋण-प्रदायक संस्थाओं का स्थान लेना नहीं, उनके पूरक की भूमिका निभाना है। अतएव, इन बैंको की स्थापना से यह आशा नहीं की जाती कि वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने क्षेत्रीय शाखा विस्तार के कार्य में कोई ढील बरती जायेगी। यद्यपि वाणिज्यिक बैंको द्वारा शाखा-विस्तार वर्तमान आधार भूत नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, फिर भी, उस क्षेत्र में, जिसमें ग्रामीण बैंको की स्थापना की जा रही है, कुछ पुनर्गठन किया गया है। बैंकों की व्याप्ति में दुहराव को रोकने के लिए, आमतौर से अब ग्रामीण बैंको के 'कमांड एरिया' में और बैंकों की नयी शाखाएं खोलने की अनुमति नहीं दी जाती है।

विवरण

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों विषयक कार्यकारी दल की रिपोर्ट—उसकी प्रमुख सिफारिशें

ग्रामीण बैंक मूलतः अनुसूचित वाणिज्यिक बक होंगे जो एक अलग विधान के अन्तर्गत स्थापित किये जायेंगे। इनमें से हर बैंक किसी एक राज्य विशेष में आस पास के क्षेत्रों में कृषि उपयोगी परिस्थितियों के सामंजस्य को देखते हुए, एक से पांच तक जिलो को व्याप्त करेंगे। हर बैंक अपने कार्य-क्षेत्र में अधिक से अधिक 100 तक शाखायें स्थापित करेगा।

हर एक ग्रामीण बैंक की एक करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी और 25 लाख रुपये की जारी चुकता पूंजी होगी। 50 प्रतिशत शेयर भारत सरकार के, 25 प्रतिशत प्रायोजक बैंक (आमतौर पर उस क्षेत्र के लीड बैंक) के, 10 प्रतिशत सम्बद्ध राज्य सरकार के और 15 प्रतिशत सहकारी तथा अन्य संस्थाओं और व्यक्तियों के होंगे। भारत सरकार, प्रायोजक बैंक और राज्य सरकारों को छोड़ कर, अन्य शेयरधारकों को न्यूनतम गारंटी शुदा लाभांश का अब आश्वासन दिया जा सकेगा।

नौ निदेशकों का एक निदेशक मंडल होगा जिसमें अध्यक्ष सहित भारत सरकार द्वारा नामित 4, राज्य सरकार द्वारा नामित 1, प्रायोजिक बैंक द्वारा नामित 2 और शेष शेयरधारकों में से भारत सरकार द्वारा नामित 2 और निदेशक होंगे।

भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और प्रायोजक बैंक के परामर्श से अध्यक्ष की नियुक्ति उसके अनुभव और पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए करेगी।

कर्मचारियों को वही वेतन और परिलब्धियां दी जायेंगी जो सम्बद्ध राज्य सरकार के कर्मचारियों को दी जाती हैं। इस सम्बन्ध को इस अधिनयिम में ही समाविष्ट कर दिया जायेगा ताकि मजदूरी न्यायाधिकरणों (वेज-ट्रिब्यूनल्स) के फैसलों (एवार्ड) के कार्यक्षेत्र को दूर रखा जा सके।

ग्रामीण बैंकों की शाखायें, ग्रामीण समाज के सभी प्रकार की उत्पादक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करेंगी और अपने संसाधनों का ध्यान रखते हुए निर्धन से निर्धन वर्ग के ग्राहकों की वास्तविक आकस्मिक उपभोग आवश्यकताओं को भी, कुछ विशिष्ट सीमाओं के भीतर; पूरा करने का प्रयास करेंगी

दिये गये ऋणों पर ब्याज की दरें उस क्षेत्र की प्राथमिक सहकारी ऋण समितियो द्वारा वसूल की जाने वाली ब्याज दरों से अधिक नहीं होंगी।

शुरू-शुरू में, 5 ग्रामीण बैंक उन चुने हुए क्षेत्रों में स्थापित किये जायेंगे जहां (क) वाणिज्यिक और सहकारी बैंकिंग दोनों ही क्षेत्रों की ऋण सुविधायें अपर्याप्त हैं; और (ख) जहां कृषि विकास के लिये काफी अच्छी सम्भावनायें हैं।

राज्य व्यापार निगम द्वारा चीथड़ों का आयात

1402. **श्री वसंत साठे:** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा ऊनी चीथड़ों के आयात का कथित अकुशल उपयोग देश को मंहगा पड़ रहा है ;

(ख) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा विश्व बाजार में चीथड़ों के केवल कुछ सप्लाईकर्ताओं पर निर्भर रहना देश के हितों के प्रतिकूल है क्योंकि ये सप्लाईकर्ता हाल में चीथड़ो के मूल्यों में वृद्धि करने के लिए मिल गये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) गत 6 महीनों में होजरी के चीथड़ों और ऊनी वस्त्रों के चीथड़ों के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) उस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) राज्य व्यापार निगम के पास पैंसठ स्वीकृत सप्लाईकर्ताओं की एक सूची है और यह सूची कोई बन्द सूची नहीं है । खरीद पूछताछों पर औसतन 12–13 सप्लाईकर्ता अपने आफर भेजते हैं ।

(ग) हौजरी चीथड़ो के मूल्यों में लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । ऊनीद वस्त्रों के चीथड़ों के मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है ।

(घ) प्रश्न नही उठता ।

बकों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती

1403. **श्री वयालार रवि** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत और गैर-राष्ट्रीयकृत बैंकों की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों की भर्ती के बारे में की कोई आदेश दिये हैं; और

(ख) इन बैंकों में से प्रत्येक बैंक द्वारा इन आदेशों का कहां तक पालन किया गया है ?

राजस्व और बैंकिग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के वास्ते आरक्षणों के सम्बन्ध में समय समय पर राष्ट्रीयकृत बैंकों को अनुदेश जारी होते रहे हैं । ये अनुदेश इन बैंकों द्वारा स्वीकार कर लिए गये हैं और कार्यान्वित किये जा रहे हैं । अलबत्ता, जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है उन्हें इस प्रकार के कोई अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं ।

बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता हवाई अड्डों के माध्यम से पर्यटक यातायात

1404. **श्री समर गुह** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973—75 के दौरान बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता हवाई-अड्डों के माध्यम से, हवाई अड्डेबार, भारत आये विदेशी पर्यटकों की संख्या का ब्यौरा क्या है ।

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 1975-76 के दौरान उपरोक्त हवाई-अड्डों के माध्यम से विदेशी पर्यटकों के यातायात में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) वर्ष 1973, 1974 व 1975 के दौरान बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता विमानक्षेत्रों पर प्रति वर्ष उतरने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या सम्बन्धी आंकड़ो का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	1973	1974	1975
बम्बई	123,398	132,841	151,910
दिल्ली	136,740	142,328	147,233
कलकत्ता	26,667	27,293	29,258

(ख) और (ग). उपर्युक्त तीन अंतर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर सुविधाओं की अभि-वृद्धि की समस्याओं के प्रति भारत अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण सचेत है । विमान-क्षेत्र टर्मिनलों में सुधार कार्य किया गया है । बम्बई में एक नये अन्तर्राष्ट्रीय काम्पलेक्स का अनुमोदन कर दिया गया है । अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्रों पर प्रदान की जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त, पर्यटन विभाग द्वारा भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के यातायात प्रवाह की अभिवृद्धि के लिये अनेक उपाय किये गये हैं जिनमें निम्न उपाय भी शामिल हैं :—

1. विदेशी मुद्रा में देय भारत दर्शन प्रोत्साही किराये' चालू किये गये हैं जो इंडियन एयरलाइन्स के विदेशीय क्षेत्रों पर बिना किसी प्रतिबन्ध के 14 दिवसीय तथा 21 दिवसीय यात्राओं के लिये क्रमश: 200 अमरीकी डालर तथा 275।—अमरीकी डालर हैं ।

2. भारतीय रेलवे विदेशी पर्यटकों के लिये 'इच्छानुसार यात्रा' (ट्रेवल ऐज यू लाइक) टिकटों का प्रचलन जिसके अन्तर्गत बिना किसी प्रतिबन्ध के 21 दिन की यात्रा के लिये वातानुकूलित श्रेणी के लिये 200 अमरीकी डालर, प्रथम श्रेणी/वातानुकूलित कुर्सी के लिये 80 अमरीकी डालर तथा दूसरी श्रेणी के लिये 25 अमरीकी डालर किराया है ।

3. विदेशी पर्यटकों के लिये बिना वीजा 28 दिनों के लिये वैध अवतरण परमिट व्यवस्था ।

4. हिमालय के कुछ प्रतिबंधित क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों के प्रवेश को उदार बना दिया गया है ।

5. पश्चिम जर्मनी, यूगोस्लाविया, नार्डिक देशों तथा बल्गारिया के साथ 90 दिन तक के वास के लिये वीजा समाप्ति के सम्बन्ध में द्विपक्षीय करार किए गए हैं ।

6. कई देशों के साथ पारस्परिक आधार पर वीजा शुल्क समाप्त कर दिया गया है ।

7. 1975 में विदेशों में प्रचार के लिये 10 विदेशी भाषाओं में पर्यटन साहित्य की 50 लाख प्रतियों का प्रकाशन किया गया ।

8. पश्चिम एशिया के प्रधान पर्यटक स्रोत देशों (टूरिस्ट मार्केटों) से पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिये कुवैत में एक नया पर्यटन कार्यालय खोला गया है ।

9. प्रचार अभियान के एक भाग के रूप में विभाग प्रति वर्ष विदेशों से यात्रा अभिकर्ताओं तथा यात्रा लेखकों/पत्रकारों/दूरदर्शन/फिल्म उत्पादकों को भारत परिचायक यात्राओं के लिए निमंत्रित करता है ।

10. होटल चालकों तथा यात्रा अभिकर्ताओं से विदेशों में प्रचार के लिये उन्हें विदेशी मुद्रा के विमोचन द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है ।

11. पर्यटन विभाग द्वारा किये गये प्रयत्नों के फलस्वरूप, भारत के लगभग सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों ने पर्यटक वाहनों के सिंगल प्वाइन्ट टैक्सेशन आधार पर अन्त-राज्य संचालन की योजना को स्वीकार कर लिया है ।

औद्योगिक श्रमिकों की अनिवार्य जमा-राशि

1405. **श्री न्द्रजीत गुप्त** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनिवार्य जमाराशि के शीर्ष के अन्तर्गत औद्योगिक श्रमिकों से सरकार ने कुल कितनी राशि एकत्र की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस राशि का लेखा विवरण श्रमिकों को जुलाई 1975 में दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) अतिरिक्त उपलब्धियां (अनिवार्य निक्षेप) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत (i) सरकारी कर्मचारियों (ii) स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों तथा (iii) सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों से भिन्न अन्य कर्मचारियों के लिए तीन अलग-अलग स्कीमें तैयार की गई हैं । कर्मचारियों के तीन विभिन्न वर्गों के लिए इन स्कीमों का प्रबन्ध विभिन्न नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी करते हैं और ये प्राधिकारी केवल मालिकों के अनुसार ही लेखे रखते हैं । जमा रकमों के कर्म-

चारियों के अनुसार व्यौरेवार लेखे संबंधित मालिकों द्वारा रखे जाते हैं जो विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होते हैं । चूंकि इस प्रबन्ध के अधीन, औद्योगिक कर्मचारियों की अनिवार्य जमा की कुल रकम को अलग से वर्गीकृत नहीं किया जाता इसलिए, यह जानकारी उपलब्ध नहीं है । किन्तु, सरकारी कर्मचारियों तथा स्थानीय प्राधिकारी के कर्मचारियों से भिन्न अन्य कर्मचारी स्कीम के अन्तर्गत, 12 मार्च, 1976 तक नाम निर्दिष्ट प्राधिकारियों को अतिरिक्त मजदूरी तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के अन्तर्गत क्रमशः 48.12 करोड़ रुपए और 345.10 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे ।

(ख) और (ग). अधिनियम के उपबन्धों और उनके अधीन निर्मित स्कीमों के अन्तर्गत सरकार नहीं बल्कि संबंधित मालिक को अपने प्रत्येक कर्मचारी का उसके जमा खाते का वार्षिक विवरण प्रस्तुत करना होता है जिसमें कर्मचारी के खाते में उसके नाम जमा रकम का व्यौरा दिया गया हो । इसलिए सरकार द्वारा कर्मचारियों को जुलाई, 1975 में ऐसे विवरण देने का सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सरकारी वितरण-व्यवस्था के माध्यम से हथकरघा उत्पादों की बिक्री

1406. श्री भान सिंह भौरा :

श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :

क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) क्या हथकरघा वितरण-व्यवस्था के माध्यम से बिक्री रुकवाने कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). नियंत्रित विशिष्टियों की धोतियों, साड़ियों के उत्पादन का कार्य हथकरघा क्षेत्र को सौंपन का निर्णय कर लिया गया है। इस निर्णय के कार्यान्वयन के लिए प्रबंध तथा रीतियां तय की जा रही हैं, जिनमें वितरण की व्यवस्था भी शामिल है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशकों की नियुक्ति

1407. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में निदेशकों की नियुक्ति सम्बन्धी मार्गदर्शी सिद्धान्त क्या हैं ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्यमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक-मंडलों में निदेशकों की नियुक्ति के मापदंड के राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खण्ड 3 में विहित हैं।

विदेशों में भारतीय सलाहकार फर्में

1408. श्री रानेन सेन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में कितनी भारतीय सलाहकार फर्में चल रही हैं ; और

(ख) ये सलाहकार फर्में किन-किन देशों में चल रही हैं और उनका कार्य किस प्रकार का होता है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). भारतीय परामर्शी संगठनों को इस समय विदेशों में क्या-क्या काम मिले हुए हैं, उनको दर्शाने वाली एक सूची, जिसमें देश और परियोजना का विवरणं भी दिया गया है, सभा पटल पर रखी जाती है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिय** संख्या एल० टी–10552/76]

'स्टेन्डर्ड' कपड़े का उत्पादन

1409. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन मिलों ने स्टैन्डर्ड कपड़ा बनाना बन्द कर दिया था, वे इसे कब तक फिर से बनाना आरम्भ कर देंगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : कंट्रोल के कपड़े की योजना के चलने के दौरान किसी भी अवस्था में कंट्रोल के कपड़े का उत्पादन बंद करने की अनुमति नहीं दी गई है। तथापि, केवल हाल ही में वित्तीय रूप से एसी कमजोर मिलों को एक वर्ष की अवधि के लिए कंट्रोल के कपड़े के उत्पादल से छूट प्राप्त करने का पात्र बनाया गया है जिन्होंने आरक्षण राशि का हिसाब लगाने के बाद पिछले घाटे दिखाये हैं।

Cheap Hotels at Tourist Centres

1410. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have made arrangments for hotels at cheap rates to enable the ordinary people to visit tourist centres; and

(b) if so, the names of the places where such hotels have been opened so far in which non-affluent tourists can stay as also the rent charged by these hotels ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh) : (a) The India Tourism Development Corporation, a public sector undertaking, runs hotels, motels, cottages and travellers' lodges at a number of places of tourist importance in the country, some of which can cater to the accommodation requirements of middle income groups of tourists.

(b) A statement is attached.

[Placed in the Library. See No. L. T.—10553/76]

Seizure of Gold Coins during raid by Income tax Officials

1411. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Afghanistan made asharfis (gold coins) jewels were recovered in large quantity in May, 1975 by the Income Tax Officials from the basement of a tunnel in between the tunnel connecting Jaigarh Fort of Jaipur and Amer and if so, the value thereof;

(b) whether any person has preferred a claim therefor; and

(c) if so, who has claimed this and the nature of settlement made in this regard?

Minister of State In Charge of Department of Revenue & Banking (Shri Pranab Mukherjee): (a) The Income-tax authorities did not discover any such tunnel. The question of seizure of gold coins/jewels therefrom does not arise.

(b) & (c). Do not arise.

Increase in Prices of Cement, Kerosene Oil and Coal

1412. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the percentage of increase in the prices of cement, kerosene oil and coal during the last year and the causes thereof; and

(b) the prices of these commodities in January, 1975 as also the prices thereof at present?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : (a) & (b). The indices of wholesale prices for coal, kerosene oil and cement, as also the prercentage increase therein, are given below:

Index of Wholesale Prices
(1961-62=100)

	January 1975	January 1976	Percentage increase January 1976 Over January 1975
1. Coal	244·3	331·6	+35·7
2. Kerosene Oil	340·5	405·8	+19·2
3. Cement	248·4	260·2	+4·8

The price of coal had to be raised principally because of an increase in wages; this, in turn, had an impact on cement prices. In the case of kerosene oil, its price is dependent on that of imported crude, and adjustments have, consequently, been necessitated from time to time. In all these cases, however, it has been Government's endeavour to ensure that the consumer price is affected as little as possible.

Central Loan Outstanding Against States

1413. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the break-up of Central loan outstanding against different States as at present, State-wise and the years from which they have been outstanding as also the amount of interest per month each State has to pay thereon?

The Minister of Finance (Shri C. Subramaniam) : A statement showing the Central loans outstanding against each State as at the end of 1974-75, for which the accounts have been closed, is placed on the Table of the House. **[Placed in the library. See** No. L. T.—10554/76]

The outstanding amounts are in respect of loans advanced from time to time in different years, the earliest being 1948-49. In pursuance of the recommendations of the Sixth Finance Commission, most of the loans outstanding against the States at the end of 1973-74 werecon-solidated into fresh loans, as on 1st April 1974, with more liberal terms of repayment.

The outstanding loans carry different rates of interest which is payable annually. The interest recovered from each State in 1974-75 is shown in Column 4 of the Staement laid on the Table.

रुग्ण कपड़ा मिलों में लगाई गई पूंजी

1414. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 103 ग्ण कपड़ा मिलों में उनके सरकारीकरण से लेकर कितनी पूंजी लगाई है, इनको अधिकार में लेने से लेकर प्रत्येक एकक ने वर्षवार कितना और कितने मूल्य का कपड़ा उत्पादित किया, कितना लाभ अथवा हानि ई और निरन्तर लाभ प्रदता बनाए रखने संबंधी योजनायें क्या हैं; और

(ख) राष्ट्रीय कपड़ा निगम दारा लाभ सुनिश्चित करने हेतु उत्पादन में विभिन्नता लाने और किस्म को सुधारने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं अथवा किए जा रहे हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) राष्ट्रीयकृत रुग्ण कपड़ा मिलों में केन्द्रीय सरकार और साथ ही संबंधित राज्य सरकारों ने ऋण सहित जितनी राशि अब तक लगाई है, उसका योग 126.38 करोण रुपये है।

गत पांच वर्षों के दौरान इन मिलों के उत्पादन और लाभ/हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :--

उत्पादन

वर्ष	कपड़ा (माला दस लाख मीटर में)	बाजार धागा (दस लाख कि० ग्रा० में)	कुल मूल्य (करोड़ रु० में)
1971 . . .	437.56	4.45	73.48
1972 . . .	583.82	10.88	113.08
1973 . . .	806.10	44.84	214.42
1974 . . .	874.97	49.71	292.41
1975 . . .	786.65	48.16	247.65

लाभ/हानि (अनंतिम)

वर्ष	निबल लाभ/हानि (करोड़ रु० में)
1971-72 . . .	(—) 7.44
1972-73 . . .	(+) 2.33
1973-74 . . .	(+) 18.37
1974-75 . . .	(—) 34.58
1975-76 (जनवरी, 76 तक) .	(—) 53.30

हानियां न होने देने के लिए और मिलों की लाभ प्रदता सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं अथवा किये जा रहे हैं :—

(1) बेहतर वित्तीय प्रबन्ध के लिए राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मार्फ़त मिलों को अतिरिक्त धनराशि मंजूर की गयी है ।

(2) इन मिलों के लिए 175 करोड़ रुपये का आधुनिकीकरण कार्यक्रम तैयार किया गया है । दिसम्बर, 1975 के अन्त तक 21 करोड़ रुपये का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा चुका है ।

(3) श्रमिक संघों की स्वीकृति से श्रमिकों के सुव्यवस्थीकरण का कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें सेवा निवृत्ति के लाभों के पूर्ण भुगतान की व्यवस्था है ।

(4) वसूली बढ़ाने के लिए धागे/कपड़े का सीधा वितरण अधिक से अधिक किया जा रहा है ।

(5) जहां कही कच्चे माल तथा उपभोग की अन्य मदों की बल्कि खरीदारी करना लाभदायक समझा जाता है वहां उनकी बल्क खरीदारी करके उनको प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है ।

(6) राष्ट्रीय कपड़ा निगम के सहायक स्तर पर प्रबन्धकों और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के द्विपक्षीय निकाय स्थापित किये जा रहे हैं ।

(ख) उत्पादन के विविधीकरण और उत्पाद क्वालिटी में सुधार सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जाते हैं :—

(1) आधुनिकीकरण कार्यक्रम तैयार करते समय जहां कहीं सम्भव होता है, उत्पादन के विविधीकरण की व्यवस्था की जाती है ।

(2) राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने खुदरा दुकानों की जो व्यवस्था की है, उससे राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के उत्पाद उपभोक्ता तक सीधे पहुंच जाते हैं और उससे उपभोक्ता की रुचि तथा पसन्द का अनुमान लगाना सम्भव हो जाता है । इस जानकारी से मिलों को उपभोक्ता की आवश्यकताओं के अनुसार अपने उत्पादन पैटर्न में परिवर्तन लाने में सहायता मिलती है ।

(3) धागे और कपड़े की क्वालिटी सुधारने के लिए केन्द्रीय परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने के प्रयास किये जाते हैं ।

(4) ऐसे उपाय किये जा रहे हैं कि लोअर रीड पिक किस्म के उत्पादन की बजाय हायर रीड पिक किस्म का उत्पादन किया जाये ताकि क्वालिटी सुधर सके ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड का भारतीयकरण

1415. **श्री डी० के० पंडा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 92 विदेशी कम्पनियों को अपने गैर-निवासी हितों को घटाकर 74 प्रतिशत तक लाने को कहा गया है;

(ख) क्या 125 विदेशी कम्पनियों को अपने गैर-निवासी हितों को घटाकर 40 प्रतिशत करने को कहा गया है;

(ग) यदि हां, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड को दो में से किस वर्ग में रखा है; और

(घ) हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा इस बारे में रिजर्व बैंक आफ इण्डिया के आदेशों का पालन कब तक किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जी, हां।

(ग) और (घ). प्रश्न के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित दोनों वर्गों में से किसी भी वर्ग मे मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० का नाम शामिल नहीं है। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29(2) (क) के अन्तर्गत अपने वर्तमान क्रियाकलापों को जारी रखने की अनुमति के सम्बन्ध में उसके प्रार्थना पत्र पर विचार किया जा रहा है।

Export of animals

1416. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state the species the number of animals exported to different countries, country-wise during the last one year and the amount of foreign exchange earned therefrom?

The Deupty Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : A statement showing country-wise exports of animals during 1974-75 is attached.

(*Placed in the Library* See. No. L.T.—10555/76)

Supply orders of mica pending with MMTC/ MITCO

1417. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value and varieties of mica in respect of which supply orders are pending with MMTC or MITCO at present indicating the number of countries whose orders are pending;

(b) the time by which its supply will be made ; and

(c) the action being taken by Government to encourage mica export trade and to find new markets?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Vishwanath Pratap Singh) : (a) & (b). The value of supplies pending against contracts concluded by the Mica Trading Corpoation is about Rs. 12 crores. The varieties covered are blocks, condenser films, splittings and scrap. These contracts are with eight major importing countries. Supplies are to be made during the course of 1976.

(c) Floor prices of mica have been revised to make exports remunerative. Further, Government has constituted Mica Advisory Committee to advise it on measures for improving production and export of mica. Studies are carried out from time to time to find new markets.

Incidents of Dacoity and Theft in Nationalised Banks

1418. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of incidents of dacoity and theft in nationalised banks during the last one year;

(b) the total amount looted from different banks in these incidents, bank-wise; and

(c) the number of cases out of them in which culprits have been traced and the nature of punishment awarded to them?

The Minister of State in Charge of Deptt. of Revenue & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) According to the information furnished by Reserve Bank of India, there were 3 cases of robbery and 24 cases of theft during the year 1975 in the public sector banks.

(b) the amount involved in these robberies and thefts as frunished by Reserve Bank of India is as follows—

Robbery

1.	Central Bank of India	Rs. 7,00,000
2.	Punjab National Bank	Rs. 73, 291
3.	State Bank of India	Rs. 36,559

Theft

S. No.	Name of the bank	No. of incidents	Amount involved	
			Theft of cash	Other items
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Rs.	Rs.
1.	Allahabad Bank	1	70,000·00	Nil
2.	Bank of Baroda	8	20,000·00	1,776·25
3.	Bank of Maharashtra	2	31,390·00	Nil
4.	Canara Bank	1	5,200·00	Nil
5.	Central Bank of India	3	2,56,834·85	Nil
6.	Dena Bank	1	1,22,343·00	Nil
7.	Punjab National Bank	2	1,000·00	1,34,000·00
8.	Syndicate Bank	3	22,900·00	Nil
9.	United Bank of India	1	Nil	25,837·48
10.	State Bank of Hydrabad	1	40,000·00	Nil
11.	State Bank of Mysore	1	40,972·00	Nil

(c) In so far as the three cases of robbery are concerned, the banks concerned have reported the matter to the police and the investigations are in progress. As regards the theft cases, information to the extent available will be collected and laid on the Table of the House

काजू की गिरी का निर्यात और कच्चे काजू का आयात

1419. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में किस-किस देश ने भारत से कितनी-कितनी मात्रा में काजू की गिरी का आयात किया;

(ख) इस अवधि में कुल कितने कच्चे काजू का आयात किया गया; और

(ग) गत वर्ष क्या परिणाम निकले और कच्चे काजू का देश में उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये गये ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) 58,449 मे० टन (अनन्तिम) ।

देशवार आंकड़े निम्नलिखित हैं:—

मात्रा मे० टन में

1. आस्ट्रेलिया . . .	2185
2. कनाडा . . .	2761
3. फ्रांस	475
4. जर्मन संघीय गणराज्य . . .	575
5. हांगकांग	864
6. जापान	3769
7. कुवेत	499
8. नीदरलैंड्स	1447
9. ब्रिटेन	801
10. संयुक्त राज्य अमरीका.	18376
11. सोवियत संघ	24372
12. सिंगापुर	509
13. अन्य	1816
योग	58449

(ख) 134,266 मे० टन (अनन्तिम) ।

(ग) कच्चे काजुओं के आयात पर खर्च की गई राशि घटाने के बाद वर्ष 1975 में काजू की गिरियों के निर्यात से लगभग 71.97 करोड़ रु० की निबल आय होने का अनुमान है ।

काजू के विकास सम्बन्धी कार्यक्रम का प्लान के राज्य तथा केन्द्रीय दोनों क्षेत्रों में कार्यान्वयन किया जा रहा है । राज्य क्षेत्र की योजनाओं का उद्देश्य मुख्यत: क्षेत्र विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्र को बढ़ाना है जिसके लिए 1.31 लाख हेक्टर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । केन्द्रीय क्षेत्र में ऐसी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं जिनमें मुख्यत: चुनिंदा प्रजाति के वृक्षों से अधिक उपज देने वाले पोधे के उत्पादन और बेहतर प्रणालियों के प्रदर्शन पर ध्यान दिया गया है । इन कार्यक्रमों से पांचवीं योजना के अन्त में लगभग 10,000 मे० टन कुल अतिरिक्त उत्पादन होने की सम्भावना है ।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कर से पूर्व अर्जित लाभ

1420. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बैंकवार कर से पूर्व कितना लाभ अर्जित किया या; और

(ख) इन बैंको ने आरक्षित निधि में कितनी राशि अन्तरित की ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख): चौदह राष्ट्रीयकृत बैंकों के 1975 वर्ष के लेखों की लेखा-परीक्षा अप्रैल, 1976 के अन्त तक ही समाप्त हो पाने की सम्भावना है। उसके बाद वे मई, 1976 के मध्य में, अन्तिम रूप दिये जाने के लिए सम्बन्धित बैंकों के बोर्डों के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। इसके बाद ही सरकार यह जानने की स्थिति में होगी कि प्रत्येक बैंक के लाभ की रकम कितनी है और बोर्डों द्वारा लेखों की स्वीकृति के बाद उनका विनियोजन किस प्रकार किया जायगा।

Foreign Exchange Earnings of Hotels Run by ITDC

1421. **Shri Ramavtar Shastri**
Shri Laxminarayan Pandya.

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state

(a) whether Government earn foreign exchange every year from hotels run under the management of India Tourism Development Corporation;

(b) if so, the break-up of foreign exchange earned during 1974-75 and 1975-76, hotel-wise; and

(c) the action taken by Government to make further inrcease in foreign exchange earnings?

The Minister of State in the Ministry of Tourism & Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) Yes, Sir.

(b) A statement showing the foreign exchange directly earned and banked by the India Tourism Development Corporation hotels during two half years of 1974-75 and the first half year of 1975-76 is attached. [*Placed in the Library See* No. L.T.—10556/76].

(c) The following are some of the steps which the Government has taken to increase the inflow of tourist traffic to India with a view to increasing foreign exchange earnings :—

(1) Liberalisation of visa formalities by allowing foreign tourists to come to India without visa on landing permits for a period up-to 28 days.

(2) Introduction of Special *Discover India* and *Travel As You Like* tickets on Indian Airlines and Indian Railways respectively.

(3) Liberalisation of restrictions on the entry of tourists in some of the restricted areas of the Himalayas.

(4) Production of 5 million units of literature every year in 10 foreign languages to publicise India's tourist attractions.

(5) Opening of a new tourist office in Kuwait to tap the newly affluent markets of West Asia.

(6) Abolition of visa fees on reciprocal basis with some of the countries.

(7) Extensive advertising overseas to bring more tourists to India. Invitation to travel writers journalists, travel agent to come to India on familiarisation tours as guests of the Department of Tourism.

(8) Liberalisation of regulations in respect of charter flights.

(9) Incentives to hotels and travel agents by way of release of foreign exchange to public abroad.

(10) India Tourism Development Corporation have also made efforts to popularise their hotels and other services abroad by advertising in foreign travel trade journals and other news media; entering into arrangements for direct reservation services through Steigenberger Reservation Service, Utell Interntational and John Miller, Australasia etc.

Advancing of Loans by Regional Rural Banks

1422. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister **of Finance** be pleased to state:

(a) whether Regional Rural Banks have undertaken the programme of advancing loan to rural people;

(b) if so, the amount of loan disbursed so far together with the particulars of loan recipients, State-wise; and

(c) the criteria laid down by Government for advancing loans ?

The Minister of State in-Charge of Deptt. of Rev.& Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) Yes, Sir.

(b) According to the information available as at the end of February, 1976, State-wise figures of number of accounts and the amount of loans disbursed by the Regional Rural Banks established upto this period, were as under:

(Amount in 000 of rupees)

State	Disbursements	
	No. of A/cs.	Amount
Bihar	85	32
Haryana	452	8,24
Karnataka	104	52
Madhya Pradesh	441	1,48
Orissa*	..	..
Rajasthan	299	1,44
Uttar Pradesh	5543	10,97
West Bengal	900	5,34
Total	7824	28,31

*Regional Rural Bank set up only on 25th February, 1976.

(c) The Regional Rural Banks have been advised that the loans should be given only to small and marginal farmers, landless labourers, rural artisans, etc. for all their production needs without insisting on tengible security. Loans are granted only on the hypothecation of the assests acquired with the amount of loan and co-obligant surety.

उड़ीसा के किसानों को स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण दिया जाना

1423. **श्री पी० गंगादेव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 और 1975-76 में उड़ीसा में किसानों को स्टेट बैंक आफ इंडिया और राष्ट्रीयकृत बैंकों ने कोई ऋण दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी राशि कितनी है।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख): उड़ीसा में भारतीय स्टेट बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को दिये गये प्रत्यक्ष कृषि ऋणों की बकाया राशि के आंकड़े जून, 1974 और जून, 1975 के अन्त के उपलब्ध हैं और क्रमशः 275.42 लाख रुपये और 442.38 लाख रुपये (अनन्तिम) हैं।

पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात के लिए आर्डर

1424. श्री पी० गंगादेव : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी तथा फरवरी, 1976 में पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात के लिये काफी बड़े आर्डर प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या वे आर्डर पिछले कुछ समय से करारों के अनुसार हो रहे निर्यात के अतिरिक्त हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) से (ग). अप्रैल से दिसम्बर 1975 तक 125.71 करोड़ रु० मूल्य के पूंजीगत माल के आर्डर बुक किए गए। जनवरी, 1976 के दौरान निम्नोक्त आर्डर बुक किए गये थे:—

चीनी संयंत्र	28.50 करोड़ रु०
जल शोधन सन्यन्त्र	17.70 करोड़ रु०
पूरी तैयार गाड़ियां	4.31 करोड़ रु०
अन्य	7.74 करोड़ रु०
योग	58.25 करोड़ रु०

फरवरी, 1976 के दौरान बुकिंग से सम्बन्धित जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

विदेशों से ऋण

1425. श्री शंकर राव सावन्त : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975-76 के दौरान जिन देशों एवं संस्थाओं ने भारत को ऋण दे रखा है उन ऋणों पर किस दर से ब्याज लिया जा रहा है और ऋण की वापसी का तरीका क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : विभिन्न देशों/विदेशी संस्थाओं ने भारत को वर्ष 1975-76 के दौरान जो उधार दिए हैं, उनमें से कुछ एक पर कोई ब्याज नहीं लगता और बाकी पर 8.9 प्रतिशत तक अलग-अलग दरों पर ब्याज लिया जाता है। ये उधार सम्बद्ध करारो में बताई गई 10 से 50 वर्ष तक की अवधि में विदेशी मुद्राओं में चुकाए जाने हैं।

Loans advanced by Bulandshahr Branch of State Bank to Scheduled Castes Farmers and small entrepreneurs

1426. **Shri Hari Singh:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) whether loans were advanced by the Bulandshahr (UP) branch of State Bank of India to Scheduled Castes, farmers and small entrepreneurs during 1975; and

(b) whether a number of such loan applications have been pending with the said bank for the last several months?

Minister of State in-Charge of Deptt. of Rev. & Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) (a): Yes, Sir.

(b) The position reported by State Bank of India in respect of its Bulandshahr branch reveals that no such loan application was pending for disposal with this branch.

Advancing of loans by Punjab National Bank in Muradnagar, District Meerut (UP)

1427. **Shri Hari Singh :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the number of farmers, handloom operators and persons belonging to Scheduled Caste who submitted their applications for getting loans during 1975 from Punjab National Bank located at Muradnagar, District Meerut in Uttar Pradesh; and

(b) the number of those, among them, to whom the bank has advanced loans?

The Minister of State in-Charge of Deptt. of Rev.& Banking (Shri Pranab Kumar Mukherjee) (a) & (b). The information, to the extent possible, is being collected and will be laid on the Table of the House.

कपड़ा उद्योग संबंधी विश्व बैंक मिशन

1428. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग सम्बन्धी विश्व बैंक मिशन ने मिलों द्वारा सूत के 'फाइन काउन्ट' का उत्पादन न करने के बारे में सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका भारतीय कपड़ा उद्योग, रूई उत्पादकों तथा कपड़ों के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). इस विषय पर विश्व बैंक से कोई औपचारिक रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि, सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, विश्व बैंक के दल ने मिलों द्वारा सूत के फाइन काउन्टों का उत्पादन किये जाने का स्पष्ट रूप से विरोध नहीं किया है।

इण्डियन एयरलाइन्स में प्रशिक्षण

1429. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयर लाइन्स में कितने प्रशिक्षु विभिन्न व्यवसायों में तीन वर्षीय/दो वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा कर रहे हैं।

(ख) क्या प्रशिक्षु अधिनियम तथा प्रधान मन्त्री के-20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत इन सबको एयर लाइन्स में खपाने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें खपाये जाने सम्बन्धी कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) विभिन्न तकनीकी व्यवसायों में 109 प्रशिक्षु तीन वर्षीय (जिनमें आई०टी०आई में बिठाया गया एक/दो वर्ष का समय शामिल है) पूर्णकालिक प्रशिक्षु पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) और (ग): इण्डियन एयरलाइन्स के लिये इस संगठन में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ऐसे प्रशिक्षुओं को स्वतः ही नौकरी में लेना सम्भव नहीं होगा। उनका नौकरी में लिया जाना रिक्तियों की उपलब्धता तथा कारपोरेशन द्वारा विज्ञापित पदों के लिये इनकी तथा उनके मुकाबले में आवेदन पत्र देने वाले अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षिक उपयुक्तता पर निर्भर करेगा।

इण्डियन एयरलाइन्स को विमान बेचने की पेशकश

1430. **मौलाना इसहाक सम्भली :**

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन के एक विक्रय दल ने इण्डियन एयरलाइन्स को 'टरबो-प्रोप फलीट के स्थान पर अपने बी०ए०सी० 1-11 सीरीज 500 और 475 बेचने की औपचारिक पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर): (क) और (ख). यूनाइटिड किंगडम की ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कारपोरेशन ने 500 तथा 475 श्रेणी के बी०ए०सी० III विमानों की बिक्री के लिए इण्डियन एयर लाइन्स को प्रस्ताव भेजे हैं। इण्डियन एयर लाइन्स इस समय अन्य अल्प-दूरी वाले (शार्ट-हाल) जेट विमानों के साथ-साथ इस विमान का भी मूल्यांकन कर रही है जिनके द्वारा कि कार्पोरेशन के विमान बेड़े के टरबो प्राप विमानों को सम्भवतः बदला जा सके।

नेशनल एंड ग्रिडलेज बैंक तथा अन्य विदेशी बैंकों द्वारा करापवंचन

1431. श्री इन्द्रजीत गुप्त :

श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रिडलेज बैंक फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक तथा अन्य विदेशी बैंके के करापवंचन के प्रमुख मामलों की जांच करने के लिए एक विशेष सेल की स्थापना की है ;

(ख) यदि हां, तो जांच के क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) सरकार ने इन बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) बड़े बड़े औद्योगिक समूहों द्वारा कर अपवंचन किये जाने के मामलों की जांच करने के लिए निरीक्षण निदेशालय (जांच) में एक विशेष कक्ष बनाया गया है । मैसर्स ग्रिन्डले बैंक के मामले की जांच इसी कक्ष द्वारा की गई थी । फर्स्ट नेशनल सिटी बैंक और अन्य विदेशी बैंकों की जांच का कार्य अभी इस कक्ष को नहीं सौंपा गया है ।

(ख) और (ग) ग्रिन्डले बैंक के मामले की जांच के परिणाम में कर-निर्धारण वर्ष 1958–59, 1966–67 से 1970–71 तक के कर निर्धारणों की कार्यवाही फिर से इसलिए शुरू की गयी है, कि जो आय कर-निर्धारण से बच गई थी उसका कर निर्धारण किया जा सके । यह पुनः कर निर्धारण की कार्यवाही अभी तक पूरी नही हुई है, क्योंकि बैंक द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल की गई रिट याचिकाओं पर न्यायालय ने, रूल निसी और अन्तरिम निषेधाज्ञा जारी करते हुए, पुनर्निर्धारण के मामलों पर विभाग को कार्यवाही करने से तब तक के लिये रोक दिया है जब तक याचिकाओं का निर्णय नही हो जाता । इन आदेशों को रद्द करवाने के लिए अदालत से अनुरोध किया जा रहा है । हाल ही में, कर निर्धारण वर्ष 1959–60 से 1965–66 तक के कर-निर्धारणों की कार्यवाही फिर से शुरू की गई है ।

बैंक का पूरा किया गया अन्तिम कर-निर्धारण-व 971–72 का है । विवरणी में दिखाई गई 3.23 करोड़ रुपए की आय के मुकाबले, 4.13 करोड़ रुपए की आय निर्धारित की गई है । आय छिपाने के कारण उनके विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही भी शुरू की गई है ।

बैंक ने कुछ अनिवासी ग्राहकों और दूसरे व्यक्तियों को भुगतान किए गए अथवा उनके खाते जमा किये गये ब्याज में से स्रोत पर काटे गये आयकर को सरकार के खाते में जमा नही कराया था । एसी कोई 12.77 लाख रुपये की रकमें अब तक सरकार के खाते जमा कर दी गई है और विलम्ब से अदायगी करने के कारण 13,915 – रुपए का ब्याज लगाया गया है, जो वसूल हो चुका है ।

उड़ीसा में हथकरघा विकास निगम की स्थापना

1432. श्री अर्जुन सेठी : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार राज्य में हथकरघा विकास निगम की स्थापना करने के

लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है तथा 50,000 बुनकरों को सहकारी क्षेत्र में लाने के लिए भारत के कपड़ा आयुक्त के पास एक द्रुत कार्यक्रम प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा में हथकरघा विकास निगम की स्थापना उड़ीसा सरकार द्वारा की जाती है । हथकरघा क्षेत्र में सहकारी इकाइयों का विस्तार करना हथकरघा क्षेत्र के पुनर्जीवन तथा विकास के कार्यक्रमों में से एक है । परन्तु फिलहाल केन्द्रीय सरकार केवल गहन विकास तथा निर्यात उत्पादन की योजना का अनुमोदन कर रही है ।

उड़ीसा के हथकरघा कपड़े की मांग में वृद्धि

1433. श्री अनादि चरण दास : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में उड़ीसा के हथकरघे कपड़े की मांग और उसके प्रति आकर्षण में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उसके निर्यात में वृद्धि करने के लिए प्रभावी कार्यवाही की है ; और

(ग) गैर-सरकारी उपक्रमियों को कितने निर्यात लाइसेंस दिए गए हैं तथा ऐसे लाइसेंस जारी किये जाने के लिए कितने प्रस्ताव इस समय विचाराधीन हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने निर्यात किए जाने वाले वस्त्रों की फिनिश सुधारने के लिए प्रोसैसिंग हाऊस की स्थापना करने का फैसला किया है और परम्परागत हथकरघा वस्त्र के कई नए सैम्पल प्रस्तुत किए जा रहे हैं जो हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम को सप्लाई किए जाएंगे ताकि वे अपने निर्यात बढ़ा सकें। इसके अतिरिक्त उड़ीसा राज्य हथकरघा बुनकर सहकारी समिति लि० के अन्तर्गत एक निर्यात अभिकरण स्थापित किए जाने का भी विचार है । उड़ीसा राज्य के लिए एक निर्यात उत्पादन परियोजना का सिद्धान्तरूप में अनुमोदन कर दिया है जिससे उड़ीसा के हथकरघा वस्त्रों के निर्यात बढ़ाने की संभावना है।

(ग) हथकरघा माल के निर्यात के लिए कोई निर्यात लाइसेंस अपेक्षित नहीं है । ऐसे देशों को, जिनके मामले में कोटा प्रतिबन्धों के अन्तर्गत निर्यात होते हैं, विजा प्रमाणपत्रों के निर्गमन द्वारा निर्यातों का विनियमन किया जाता है ।

मिश्र से लम्बे रेशे वाली रूई का आयात

1434. श्री मनोरंजन हाजरा : क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम द्वारा भारत-मिस्र व्यापार समझौते के अनुसार 12 करोड़ रुपये के मूल्य की लम्बे रेशे वाली रूई की 25,000 गांठों का आयात किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस आयातित रूई का आवंटन किस प्रकार तथा किसके द्वारा किया जायेगा; और

(ग) क्या मुल्य समीकरण किया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) :

(क) जी हां

(ख) मिलों को कोटा पत्र वस्त्र आयुक्त द्वारा उनके औसत तकुआ-पारी कार्यचालन के आधार पर जारी किए जाएंगे ?।

(ग) जी नहीं ।

वैशाली का पर्यटन केन्द्र के रूप में विकास

1435. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भगवान महाबीर के जन्म स्थान तथा लिच्छवियों के प्राचीन केन्द्र वैशाली को राष्ट्रीय महत्व के पर्यटन-केन्द्र के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) और (ख). अपने सीमित साधनों को दृष्टि में रखते हुए, पर्यटन विभाग अपने प्रयत्नों को उन पर्यटन केन्द्रों के विकास पर केन्द्रित कर रहा है जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकृष्ट करते हैं अथवा जिनमें ऐसे पर्यटकों को आकृष्ट करने की संभावना है ।

ऐसे तीर्थ-स्थानों के विकास का, जहां देशीय पर्यटक जाते हैं, उत्तरदायित्व मूलतः राज्य सरकार का है । अतः वैशाली का विकास राज्य सरकार के कार्यक्षेत्र में आता है । पांचवी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में राज्य सरकार की पर्यटन योजनाओं के लिये 50 लाख रुपये की व्यवस्था मौजूद है

भारतीय नारियल जटा का शुल्क मुक्त आयात

1436. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि वे वर्ष 1976 में भी भारतीय नारियल जटा का शुल्क मुक्त आयात जारी रखेंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में नारियल जटा के हमारे निर्यात में कहां तक सहायक होगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : क) से (ग). यूरोपीय आर्थिक समुदाय में भारतीय कयर का प्रवेश, भारत तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच दिसम्बर, 1973

में हस्ताक्षरित कयर करार के अधीन होता है । इस करार का जो 31 दिसम्बर, 1975 को समाप्त होना था, मार्च, 1976 के अन्त में होने वाले विचार विमर्शों के अनुसरण में सम्पन्न होने वाले नये करार के होने तक के लिये जून 1976 के अन्त तक चलते रहने दिया गया है । इस करार में कयर पर सामान्य वैदेशिक टैरिफ में उत्तरोत्तर कमी करने अर्थात वर्ष 1974 में उसमें 40 प्रतिशत की तथा अगले वर्ष अर्थात 1975 में 60 प्रतिशत की कमी करने की व्यवस्था थी । इस करार के अनुसरण में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ब्रिटेन तथा डेनमार्क में शुल्क प्रवेश जारी रखने के लिए सहमत हुआ है । यह व्यवस्थाएं जून 1976 के अन्त तक प्रभावी रहेगी

1972–73 से यूरोपीय आर्थिक समुदाय को कयर तथा कयर से बने सामान के हमारे निर्यात बढ़े हैं जैसा कि निम्नोक्त विवरण से प्रकट है :—

1972–73 . . .	810 लाख रु०
1973–74	823 लाख ०
1974–75	980 लाख ०

आयात निर्यात व्यापार में लगी फर्मों तथा व्यक्तियों के नाम काली सूची में रखना

1437. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयात तथा निर्यात व्यापार में लगे किन-किन व्यक्तियों तथा फर्मों के नाम आपात-स्थिति के दौरान काली सूची में रखे गये हैं तथा उसके क्या कारण हैं ;

(ख) वे किन-किन वस्तुओं का आयात तथा निर्यात करती थीं तथा वह कितनी राशि का था ; और

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). जून 1975 और फरवरी, 1976 के बीच लाइसेंस की शर्तों और निर्यात व आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों के उल्लंघन के 458 मामलों मे वारण आदेश जारी किए गये । सभी आयात तथा निर्यात लाइसेंसो के ब्यौरे वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसज एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज में प्रकाशित किए जाते हैं । उक्त प्रकाशन की प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है । इसी प्रकार आयात तथा निर्यात लाइसेंस न देने या आयात तथा निर्यात लाइसेंस दिया जाना आस्थगित करने की शक्ल में जहां कार्यवाही की गई है उन फर्मों तथा व्यक्तियों के नाम और की गई कार्यवाही का स्वरूप भी वीकली बुलेटिन आफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसेज इम्पोर्ट लाइसेंसेज एंड एक्सपोर्ट लाइसेंसेज में प्रकाशित किया जाता है ।

(ग) आयात सुविधाओं के दुरुपयोग के मौके न्यूनतम करने के लिए कई उपाय किए गए हैं । वास्तविक प्रयोक्ताओं को निर्धारित फार्म में आयातित माल की खपत का हिसाब रखना पड़ता है । यदि आयातित माल का 2 वर्ष तक उपयोग नहीं किया जाता तो आयात को उसकी सूचना लाइसेंस प्राधिकारी को देती होती है ।

आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन तथा अनियमितताओं के लिए उपबंधित शास्तियां और भी कठोर बना दी गई हैं।

सान्ताक्रुज तथा कलकत्ता हवाई-अड्डों पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे होटल

1438. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सान्ताक्रुज तथा कलकत्ता हवाई अड्डों पर भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा चलाये जा रहे नये होटलों में फाइव स्टार होटलों की सभी सुविधाएं हैं ; और

(ख) देश में सरकारी क्षेत्र में किन-किन स्थानों पर अधिक फाइव स्टार होटल बनाये जा रहे हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : (क) दो होटलों में से, केवल कलकत्ता विमानक्षेत्र पर स्थित होटल ही भारत पर्यटन विकास निगम का है। दूसरा होटल, जो कि सांताक्रुज विमानक्षेत्र पर स्थित है, भारतीय होटल कारपोरेशन के स्वामित्व में है जो कि एयर इंडिया की एक अनुषंगी कम्पनी है। कलकत्ता स्थित एयरपोर्ट होटल फिलहाल चार-स्टार वर्ग के होटलों की सुविधाएं प्रदान करता है जबकि सांताक्रुज विमान क्षेत्र पर स्थित सैंटौर होटल को उसमें 5-स्टार वर्ग के होटल की सुविधाओं की व्यवस्था वाले होटल के रूप में प्लान किया गया है ।

(ख) भारत पर्यटन विकास निगम की पांचवीं पंचवर्षीय योजना में, किसी नए 5-स्टार होटल के निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं है।

बंगलादेश के साथ व्यापार

1439. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या **वाणिज्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 की अपेक्षा वर्ष 1975-76 में बंगलादेश के साथ व्यापार में वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या यह सच है कि बंगलादेश ने अब ऐसी अनेक वस्तुओं में अरुचि प्रदर्शित की है जिन्हें वह भारत से आयात किया करता था ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : (क) तथा (ख). 1975-76 के लिए अद्यतन व्यापार आंकड़े उपलब्ध न होने के कारण फिलहाल ऐसी तुलना करना संभव नहीं है। नई दिल्ली में जनवरी, 1976 में, दोनो देशों के बीच हुई व्यापार वार्ताओं के दौरान दोनों पक्षो ने व्यापार वृद्धि की दर को बढ़ाने के लिए सहमति व्यक्त की है ।

धन की उपलब्धता में वृद्धि

1440. **चौधरी नीति राज सिंह :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या वर्ष 1975-76 में धन की उपलब्धता में हुई वृद्धि राष्ट्रीय आय में वृद्धि के अनुरूप है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : 31 मार्च, 1975 और 5 मार्च, 1976 के बीच जनता के पास उपलब्ध मुद्रा में 8.8 प्रतिशत की वृद्धि रिकार्ड की गई है। वर्तमान मूल्यों के आधार पर 1975-76 के दौरान राष्ट्रीय आय में वृद्धि के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी, 1960-61 के मूल्यों के आधार पर 1975-76 में राष्ट्रीय आय में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

Arrangements for boarding and lodging at Places of Buddhist Pilgrimage

1441. Shri Chandrika Prasad: Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether there are any arrangements for boarding and lodging of Buddhist pilgrims at places of Buddhist pilgrimage in the country; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

The Minister of State in the Ministery of Tourism and Civil Aviation (Shri Surendra Pal Singh): (a) and (b). Facilities for boarding and lodging exist at most of the Buddhist centres in the shape of travellers lodges, tourist bungalows, private Dharm-shalas, etc.

The Department of Tourism have selected principal Buddhist centres viz. Bodhgaya, Sarnath, Kushinagar, Rajir, Nalanda and Sravasti for development under its Cultural Tourism Programme during the Fifth Plan as these places attract a large number of Buddhist tourists from abroad. The master plans (land use plans) for these centres are under preparation. The proposed facilities are in the nature of accommodation, transport, water and electric supply, landscaping , guide services etc.

विदेशी कम्पनियों का भारतीयकरण

1442. श्री अरविन्द एम० पटेल :

श्री एन० आर० वेकारिया : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 के लागू होने से पूर्व कितनी विदेशी कम्पनियां कार्य कर रही थीं ; और

(ख) उक्त अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कितनी और किन कम्पनियों ने भारतीयकरण कर लिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : (क) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 पहली जनवरी, 1974 को लागू हुआ था। जो विदेशी कम्पनियां 1 जनवरी, 1974 से पहले काम कर रही थीं उनकी संख्या की सही-सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक ने उन आवेदनपत्रों में से, जो उसे प्राप्त हुए हैं , उन कम्पनियों की एक सूची तैयार की है, जो विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के उपबन्धों के अन्तर्गत आती हैं। इनकी संख्या लगभग 800 है।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 10557/76]

सभा-पटल पर रख गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रक्षा सेवायें प्राक्कलन 1976–77

वित्त मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : मैं रक्षा सेवायें प्राक्कलन, 1976–77 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी०–10540/76]

आयकर अधिनियम, सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम सरकारी क्षेत्र के 22 बैंकों के कार्यकरण सम्बन्धी समेकित प्रतिवेदन

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 15 मार्च 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 197(ङ) में प्रकाशित हुए थे । **[ग्रंथालय म रखे गये । देखिये** संख्या एल० टी०–10541/76]

(2) सरकारी बचत प्रमाण-पत्र अधिनियम, 1959 की धारा 12 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र (चौथा निर्गम) (दूसरा संशोधन) नियम, 1976 की एक प्रति, जो दिनांक 13 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां०नि० 371 मैं प्रकाशित हुए थे ।

(दो) डाक-घर बचत प्रमाण-पत्र (संशोधन) नियम, 1976 की एक प्रति, जो दिनांक 13 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 372 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 10542/76]

(3) सरकारी क्षेत्र के बीस बैंकों के 31 दिसम्बर, 1974 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण सम्बन्धी समेकित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । **[ग्रंथालय म रखे गये । देखिये** संख्या एल०टी०–10543/76]

वायुयान (संशोधन) नियम 1976

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अन्तर्गत वायुयान (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 10 जनवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 69 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं । **[ग्रंथालय में रखे गये । देखिय** संख्या एल०टी० 10544/76]

भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल)

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मति सुशीला रोहतगी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :

(1) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के वर्ष 1974–75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

(2) वर्ष 1974-75 के संघ सरकार के विनियोग लेखे (सिविल) (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०–10545/76]

निर्यात (गुण-प्रकार-नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मैं निर्यात गुण-प्रकार-नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(1) मैंढक की टांगों का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 21 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 764 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) हल्के इंजीनियरी उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) नियम, 1976, जो 28 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां०आ० 894 में प्रकाशित हुए थे ।

(3) वर्णधातु रंजक का निर्यात (गुण–प्रकार–नियंत्रण तथा निरीक्षण) संशोधन नियम, 1976, जो दिनांक 6 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सां० आ० 977 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 10546/76]

राज्य सभा से संदेश

Messages from Rajya Sabha

महा सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है :—

(एक) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 23 मार्च, 1976 को पास किये गये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिंफारिश नहीं करनी है ।

[महा सचिव]

(दो) कि राज्य सभा ने 25 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में केरल विधान सभा (कालावधि विस्तारण) संशोधन विधेयक, 1976 पास किया है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने 25 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में गुजरात राज्य विधान-मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1976 पास किया है ।

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विधेयक

BILLS AS PASSED BY RAJYA SABHA

महा सचिव : मैं, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में निम्नलिखित विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) केरल विधान सभा (कालावधि विस्तारण) संशोधन विधेयक, 1976

(2) गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1976

विधेयकों पर अनुमति

ASSENT TO BILLS

महा सचिव : मैं चालू सत्र के दौरान संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित छः विधेयक सभा पटल पर रखता हूं :

(1) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976

(2) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, 1976

(3) विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976

(4) पांडिचेरी विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976

(5) नागालैंड विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976

(6) तमिलनाडु राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1976

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

RESIGNANATION BY MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, श्री शरद यादव ने लोक सभा में अपने स्थान से त्यागपत्र दे दिया है और मैं ने उनका त्यागपत्र 26 मार्च, 1976 से स्वीकार कर लिया है ।

श्री डी० एन० तिवारी (गोपालगंज) : जब श्री ढिल्लों अध्यक्ष थे तब यह निश्चय किया गया था कि डाक द्वारा प्राप्त होने वाले त्यागपत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : इस बात की जांच करना कि त्यागपत्र स्वेच्छा से दिया गया है दबाव में आकर नहीं, अध्यक्ष पीठ का कार्य है । इस बारे में जांच के पश्चात् ही त्यागपत्र स्वीकार किया है ।

श्री एच० एम० पटेल : क्या उनके पत्र के पढ़ने में कोई आपत्ति है ?

अध्यक्ष महोदय : नियमानुसार त्यागपत्र की सूचना सभा को देनी होती है ।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : This is the second such incident. You may now read the text but please tell us the reasons for the resignation.

Mr. Speaker : It is enough to state that he has resigned voluntarily and without duress.

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

202वां प्रतिवेदन

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता-दक्षिण) : मैं श्री एच० एन० मुकर्जी की ओर से आपूर्ति विभाग के सम्बन्ध में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के वर्ष 1972–73 के प्रतिवेदन, संघ सरकार (सिविल) के पैरा 44 से 47 पर लोक लेखा समिति के 144वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 202वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

49वाँ और 50वाँ प्रतिवेदन

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) गृह मंत्रालय अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक–आर्थिक दशा के सम्बन्ध में 25वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 49वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) वित्त मंत्रालय (बैंककारी विभाग) बैंक आफ इंडिया में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन के सम्बन्ध में 37वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 50वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

JOINT COMMITTEE ON OFFICE OF PROFIT

17वां प्रतिवेदन

श्री पट्टाभिराम राव (   ) : मैं लाभ के पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का 17वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

दिल्ली परिवहन निगम की बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE: ACCIDENT TO A D.T.C. BUS

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : 12–3–76 को दिल्ली परिवहन निगम की डबल डेकर बस संख्या डी एल पी–1512 जो रूट संख्या 750 पर चल रही थी, दुर्घटनाग्रस्त हुई । बस आर के पुरम् से आर्य समाज रोड की ओर जाते समय उस समय उलट गयी जब ड्राइवर सरदार पटेल मार्ग से लिंक रोड की तरफ एक मोड़ काटने की कोशिश कर रहा था । दुर्घटना के बारे में सूचना मिलने पर निगम के सम्बन्धित डिपो मैनेजर घटनास्थल पर गये । उनकी रिपोर्ट के अनुसार 80 व्यक्ति, जो बस में सवार थे, में से 45 व्यक्तियों (ड्राइवर और 2 कंडक्टरों सहित) को हल्की चोटें आयीं । जख्मी व्यक्तियों को फायर ब्रिगेड स्क्वेड, जो दुर्घटना स्थल पर पहुंचा, डाक्टरी सहायता के लिए विलिंगडन अस्पताल ले गया । जख्मी व्यक्तियों में से 41, जिसमें 1 कंडक्टर भी शामिल है, उसी दिन अर्थात् 12-3-76 को अस्पताल से छोड़ दिये गये । बस का ड्राइवर और दो अन्य यात्री 13–3–76 को डिसचार्ज किये गये । आखरी व्यक्ति जो अस्पताल में रहा, अर्थात् दूसरा कंडक्टर, भी 14 मार्च, 1976 को अस्पताल से डिसचार्ज कर दिया गया । घटना स्थल पर या अस्पताल में दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई । डिपो मैनेजर जो घटनास्थल पर गए, ने किसी भी यात्री को ऐसी स्थिति में नहीं पाया जिसे निगम से तत्काल अनुग्रहपूर्वक वित्तीय सहायता दी जाए । सभी जख्मी व्यक्तियों को दिल्ली परिवहन निगम द्वारा चाय, रोटी और दूध दिया गया ।

डिपो मैनेजर की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि डबल डेकर बस के उलट जाने का कारण बस ड्राइवर का तेजी और लापरवाही से गाड़ी चलाना था । पुलिस ने चाणक्यपुरी पुलिस स्टेशन में एफ आई आर संख्या 69 में आई पी सी की धारा 279 और 337 के अन्तर्गत ड्राइवर के विरुद्ध मामला दर्ज किया है । उसी दिन ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया परन्तु बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया । पुलिस जांच चल रही है ।

ड्राइवर और कंडक्टर जो बस में ड्यूटी पर थे, को चोटें आयीं और अभी मैडीकल छुट्टी पर हैं ।

दुर्घटना की विस्तृत विभागीय जांच उनके ड्यूटी पर आ जाने पर ही की जा सकती है ।

यह ज्ञात हुआ है कि पुलिस ने तेज गति से मोड़ काटने से गाड़ियों के ड्राइवरों को रोकने के लिए और तेज गति से और लापरवाही से चलने को नियन्त्रित करने के लिए सरदार पटेल मार्ग पर डिवाइडर की व्यवस्था के बारे में नई दिल्ली नगरपालिका के साथ लिखा-पढ़ी की है । इसके अलावा पुलिस ने सभी

प्रकार के सड़क प्रयोक्ताओं को सड़क सुरक्षा शिक्षा देने के लिए भी कार्यवाही की है और सड़क सुरक्षा व्याख्यानों, फिल्मों, दूर-दर्शन और रेडियों बातचीत, सुरक्षा सप्ताह के पालन, प्रायोजित रेडियो नाटक पोस्टर, बेनर, स्लाइड, पम्फलेट और अन्य सड़क सुरक्षा साहित्य के माध्यम से एक बहु-माध्यम अभियान चलाया है। दिल्ली परिवहन निगम ने भविष्य में ऐसी दुर्घटनाएं रोकने के लिए कर्मचारियों को उपयुक्त अनुदेश जारी किये हैं।

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरमैया) : मैं आज सभा में घोषणा करता हूं कि सोमवार 29 मार्च, 1976 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा :—

(1) गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(2) केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) संशोधन बिधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(3) न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(आगे विचार तथा पास करना)

(4) विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(5) बतवा नदी बोर्ड विधेयक, 1976।

(विचार तथा पास करना)

(6) भारतीय मानक संस्था (प्रमाणन चिन्ह) संशोधन विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(7) प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(विचार तथा पास करना)

(8) सड़क विकास सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा।

[श्री के० रघुरमैया]

वर्ष 1976-77 के बजट (सामान्य) के बारे में अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान 31 मार्च, 1976 से दिनांक 23 मार्च, 1976 के समाचार भाग 2 में प्रकाशित समय-सारणी के अनुसार आरम्भ होगा।

गुजरात विनियोग विधेयक, 1976

GUJARAT APPROPRIATION BILL, 1976

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : श्री सी० सुब्रह्मण्यम् की ओर से, मैं प्रस्ताव करती हूं कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1976-77 की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, अनुसूची, खण्ड—1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, अनुसूची खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2, 3, The Schedule Clause 1, The Enacting Formula and The Title were added to the Bill.

श्री मती सुशीला रोहतगी : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक।

और

लौह अयस्क खान और मैंगनीज अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक—जारी

Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Cess and Iron Ore Mines and Manganese Ore Mines Labour Welfare Fund Bill—contd.

अध्यक्ष महोदय : उपरोक्त विधेयकों पर चर्चा के 30 मिनट पहले ही समाप्त हो चुके हैं और और अब केवल $2\frac{1}{2}$ घण्टे बचे हैं। श्री झारखण्डे राय अपना भाषण जारी रखें।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi) : Yesterday, I was saying that the mines deserve maximum welfare from the society, State and other Welfare Organisaion. This Bill is sertainly a good step in this direction. The basic intention of this Bill is evident in this Single sentence in the Statement of Objects and Reasons which says : "Welfare Facilities which are at present being enjoyed in mica, coal, iron ore and lime stone and dolomite mines industries are proposed to be made available to workers in the manganse mines also."

Therefore this Bill is quite progressive and much beneficial for the mines.

The nature of this Bill in my view is a leftist one; although it has been being vehemently propagated throughout India by the monopolist and capitalist newspapers that there is no left or right thereby introducing new Masihas like Jai Prakash Narayan, on the political front, which led him to Chandigarh Jail and later on to the last scene of his life. The history of our struggle for freedom also shows that there has been rightist and leftist thinking throughout the country. The supporters and willwishers of the British were termed as lightists and those who were a verse to the foreign rule were known as leftists. In Congress itself right from Tilak & Gokhale to Indira Ji and Morarji Desai there has been a struggle between the leftist and the rightists. None should try to undo the history. Attacking our colleague Shri Chandrappan, hon. Mr. Stephen had said that there was neither left nor right in Congress.

Mr. Speaker : Please come to the Bill you have replied to some extent to what Shri Stephen had said. But now please come to the Bill.

Shri Jharkhande Rai : I was saying that efforts should not be made to subvert the history. Also the Government and the leaders should stand guard against the propaganda being carried out by the capitalist newspapers of India.

[Shri Jharkhande Rai]

This Bill lacks in adequate guarantee in respect of the Labour-participation in the management although it forms a part of 20-point programme and there has been wide demand all over the country for labour participation in the management. Therefore labour, paticipation should be made an essential ingredient among all the welfare steps for the miners in all the fields. The nature in which the wokers should participate should be left on their recognised trade unions to choose.

This Bill affect about 80,000 miners and in other words about 4 lakh individuals. If we take as many as five members in each miner's family. Therefore I fully support the provision of various facilities being provided in this Bill more particularly the facility of according them participation in the management. But that guarantee should be made more clear and specific with these words I support the Bill.

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : I rise to support this Bill. It was a must for the welfare of the workers in the Iron Ore mines and the mangnese Ore mines. However I am constrained to say that although we have legislated numerous and tremendous labour-laws for the upliftment and welfare of our Labour population; but the machinery to implement these laws is so weak that the Government are not able to achieve what they expect or wish to achieve.

How much welfare fund for the Mica workers as come to by now ? Crores of rupees are deposited with the Government but except running a canteen there has been absolutely no welfare work. In 1972, when late Shri Mohan Kumaramanglam had brought in the Bill in respect of lime-stone miners I had requested him to provide for at least drinking water for these workers.

There are many Iron-Ore mines in my State. Beladila is the biggest Iron-Ore mine in the Country. Rajgarh mine's raw iron goes to Bhilai. I visited that Place and found that the labourers drink that water which comes out of the iron-ore mines during rainy season, and gets collected out side the mines. This water has been badly effecting their constipatioors. Thus how can these workers remain healthy ? I have been receiving complaints from all sides that there is no arrangement for proper drinking water for the miners. Then, at the moment they are working only on the open ground; what would happen when they would start working in side the mines. There immediate arrangements shluld be made for drinking water there.

It is very amusing to see that there is no arrangement for drinking water but there are certainly a number of wine-shops where mining work is going on. The Mining Act, 1952 requires adequate arrangements for drinking water, sanitation bath etc. by the management prior to starting the work in the mines. But despite that in the evening we find the miners returning to their homes with their faces like those of ghosts.

You have assured of transport facilities for them. What to speak of transport, they do not have good foot-paths even so as to reach the mines conveniently during rainy season.

The priority should have been given for building houses for the miners, preferable who work inside the mines.

At Beladila, bus facilities are available only on two routes. I suggest that the rail-dolly used for transporting iron ore for onward export to Japan. i.e. Should be equipped with one or two boggies for transporting the miners also. The Government have got a sum of Rs. 8 crores belonging to the labour welfare fund. Why don't they start giving maximum facilities to the workers. You should utilise that cess amount for providing drinking water, sanitary and bath facilities to them.

In Russia, Yugoslavia and Sweden there are beautiful sanitoria, swimming pools for the workers. I know we can't have these things in India but we can certainly provide for toilet and bath-rooms at least. The original act had sought the provision of separate toilets for women, but nothing has been done in that regard. On the other side you have certainly provided beautiful bungalows, bus, car and trolly facilities for the officers in the mines. But you have done nothing for the poor miners who work there.

Similarly the trade union leaders also get a red-carpet welcome and all facilities whenever they visit these areas only because they play in the hands of the officers and betray their own miner-brethren. These unionists and unions do nothing for the welfare of the workers.

The hon. Minister has said that efforts are being made to give maximum facilities under the 20-point programme of which he has made so much mention. But the facilities which I have mentioned above should have been given as per your earlier and old legislations also. Anyhow, I once againest request to you to please arrange for drinking water consumers stores, fair price shops so as to help them in getting the essential commodities at cheap prices. Workers in Chhatisgarh are craving for rice. The behaviour of the shopkeepers their is cheatful and contemphous. Why not have cooperative stores ? Don't rely on labour unions. Cheating by certain labour leaders should also be checked.

With these words I support this Bill.

Shri M. C. Daga (Pali) I do appreciate the Minister of Labour's deep sense of sincerity towards the labourers; and whenever he speaks he does so from his very innermost. But he is perhaps not aware that most of the laws are made just to confine them to the almirahs and this amount of Rs. 10 lakh may be spent on Government officers. With atmost honesty I am saying that the entire money allocated for the welfare of the workers is never spent on that count but is most of its part is spent for the benefits] and comforts of the officers in the administration. I mean to say that a major part of the welfare funds is spent not on the welfare programmes of the workers but only on the comforts of the officers responsible for implementing these welfare programmes.

Government proposes to set up advisory boards wherein there will be equal number of members from workers' side as well as management's side. But do they even appoint the representative of workers as the chairman of such a board ? They have appointed one body member also to this board; why one, why not two ? Then what are the qualifications of a member on this board, and also who shall be its chairman ? Will he be full time or not ?

Government appoints so many officials and spends so big an amount for such small jobs. The facilities like that of reading rooms meant for the labourers and their family-members are first availed by the officers and their family members; the poor labourers get only the second hand books and magazines. However a good out look and show is made these officers whenever the representatives of the labourers visit those places so as to earn a good report of their work.

I therefore request the Minister to please prepare a proper plan and set up a proper machinery for the utilisation these lacks of rupees only for the welfare of the poor workers. I suggest that their should be some consumers' stores from where they could purchase good food stuffs of good quality and also at cheeper rates. Adequate residential and civic facilities should also be made available to the workers you can make 3 colonies with this amount of Rs. 10 lakh; and , otherwise, this amount would go waste on useless things.

The governments talks of education facilities. Who is goirg to get it. The colleges would be so for that there labourers would be able to avail themselves of these. So why no distribute this money to their school going children. Government can save their from the clutches of money-lenders by paying their loans. They may charge normal rates of interest from them.

Then the honest minimum member of administrators should be appointed so that the least possible money is dwindled away and maximum money is tilised for the welfare of the labour class. I don't think much benefit would reach the labours as a result of this Bill.

Shri Srikishan Modi (Sikar) : I welcome this Bill; but I would like to know whether there is a scheme for the welfare of the entire class of labourers as a whole. I don't understand why separate Bills are being brought in for separate class of workers. Then about 30 to 35 per cent of the fund collected as a cess is spent on the administrative heads and only 10, 15 or 20 per cent thereof is made available for the welfare of the workers. The rest of it remains of it deposited in the treasury. It stands at Rs. 10 crores now.

We have about 20 lakhs mine workers in India. Government should plan about their housing near the mines itself. I know not many of them would opt for a house near the mines beacuase they live in the villages. But others should get a house to live in. Then you should prepare a budget for providing there medical facilities and scholarships. Cess should be fixed in accordance with the quantum of productions of the minerals. There should be a five-year plan or a 10-year plan for the welfare of these miners.

[Shri Srikishan Modi]

No big a machinery is required to collect cess. Iron-ores and manganese ores are exported and cess thereon can be collected directly. Also there should be one comprehensive Bill for all the miners of all the minerals in the country.

A scheme indicating the facilities to be given to the 2 million miners should be presented and a budget for the same should be made known to the House.

It is good that Governments have allocated 10 lakh for the loans to be given to the workers. I suggest that the interest rate theron should be 7.5 per cent. Some money should be allocated for providing financial help the talented children of the miners for their higher studies and training.

With these words I conclude.

श्री बी० वी० नायक (कनारा): मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। खण्डवार चर्चा के समय पैदा होने वाले झंझट से बचने के लिये मैं अपने संशोधन के बारे में इसी समय ही मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनके मतानुसार लौह अयस्क खानों का तथा मैंगनीज अयस्क खानो के श्रमिकों के कल्याण निधि विधेयक के वर्तमान उपबन्ध मेरे संशोधन में निहित आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त हैं, और यदि वह यह समझें कि मेरे संशोधनों की आवश्यकता है तो फिर वह उन्हें स्वीकार कर लें। मेरे संशोधन का अभिप्राय यह है कि पत्तनों पर इन खनिजों का लदान करने वाले श्रमिकों को भी खनिकों की ही श्रेणी में रखा जाये। और उन्हें भी वही सुविधायें दी जायें जो खानों में काम करने वाले श्रमिकों को दी जाती हैं। पश्चिमी पठार पर तीन या चार मध्यवर्ती पत्तन कार्य कर रहे हैं और उनके बाद गोआ पत्तन है। उन गोदियों पर स्टेवेडोर्स के साथ-साथ काम करने वाले मजदूरों की दशा भी वैसी ही है जैसी कि खनिकों की। जब खान-क्षेत्रों की कैन्टीनों, क्रेचों तथा कार्यालयों में काम करने वाले श्रमिकों को इस योजना का लाभ मिल सकता है तो फिर गोदी पर काम करने वाले इन मजदूरों को क्यों नहीं? वे लोग भी तो खनिकों के लदान का कार्य करते हैं। फिर ये लोग ऐसे हैं जो तपेदिक रोग का शिकार हो सकते हैं क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। वैसे तो लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के परिवहन-कार्य में लगे मजदूरों को भी इनमें शामिल करने की उदारता दिखाई जा सकती है।

प्रशासन करने का मूल मन्त्र है कि वायदे कम करो और कार्य अधिक। विधेयक के अनुसार श्रमिकों को सफ़ाई, रीडिंग रूम, शिक्षा, मनोरंजन, स्वास्थ्य, निवास सार्वजनिक स्वास्थ्य, जल सप्लाई, परिवहन आदि की सुविधायें प्रदान की जायेंगी। मन्त्री महोदय के पास 3½ करोड़ रुपये इसके लिये हैं। इस विधेयक के फलस्वरूप उन्हें 1.07 करोड़ रुपये उपलब्ध होगा। यदि आप वास्तव में ही इन श्रमिकों की सहायता करना चाहते हैं तो उन्हें महाजनों के पंजों से मुक्ति दिलायें। उन्हें आप ब्याज-मुक्त ऋण देकर उनके कर्ज़ समाप्त करायें। इससे प्रशासन पर भी कम खर्च होगा। 5 लाख रुपये राज सहायता देने के लिये रख लीजिये। हमें इस सम्बन्ध में अमरीका, यू०के० अथवा पश्चिम जर्मनी जैसे देशों का अनुकरण नहीं करना चाहिये। हमारे यहां इतनी सुविधाएं प्रदान नहीं की जा सकतीं क्योंकि हम इतने ऊंचे स्तर का समाज कल्याण कर सकने में समर्थ नहीं हैं भले ही मन्त्री महोदय बार-बार यह कहें कि हमारा देश एक कल्याणकारी राष्ट्र है। न जाने क्यों उन्होंने 'समाजवाद' शब्द का उपयोग नहीं किया। मेरा अभिप्राय यह है श्रमिकों के कर्ज़ों को समाप्त करना ही उनका बहुत बड़ा उपकार करना होगा। हमारा औद्योगिक क्षेत्र विशेषकर खनिज और खनन क्षेत्र—तीन बातों का शिकार है। पहला है गैर जिम्मेवाराना पूंजीवादी

दृष्टिकोण। हमारे यहां का सबसे बड़ा कर-दाता 30–40 वर्ष पहले तो कुछ भी नहीं था परन्तु अब वही व्यक्ति लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क श्रमिकों के खून-पसीने द्वारा इतना धनी हो गया। दूसरा है उनका निकम्मा मजदूर संघ आन्दोलन और तीसरी चीज है यह हमारी सरकार जो उन्हें सब्ज बाग दिखाती रहती है क्योंकि इसकी भावना तो नेक है ही।

मुझे आशा है कि प्रगतिशील और जानकार मन्त्री महोदय मजदूरों तथा उनके संघीय आन्दोलन के लिये वास्तविक रूप में कुछ कर सकेंगे।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह): श्रीमन्, मैं इस विधेयक का तहे-दिल से स्वागत करता हूं। वास्तव में यह तो बहुत पहले ही आ जाना चाहिये था। खनिकों के कल्याण का विचार कोयला-क्षेत्र से आरम्भ हुआ और कोयला खान कल्याण संगठन उसकी गतिविधियों, सफलताओं और विफलताओं ने हमें इस सम्बन्ध में मार्ग दर्शन दिया है। इन संगठनों ने आगामी वर्षों में अपनी खामियों को दूर करना है। हमारी महत्वाकांक्षी योजना के अनुसार लौह-अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क का उत्पादन बहुत ही काफ़ी बढ़ना है और इसी के साथ खनिकों की संख्या भी बढ़ेगी। लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क के उत्पादन में क्योंकि एक समान ही उतार-चढ़ाव आते हैं इसलिये इन दोनों क्षेत्रों के खनिकों को समेकित करना ठीक ही है। लौह अयस्क तथा मैंगनीज अयस्क की खानें बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र के भण्डारा जिले में और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में अधिकांश लोग आदिवासी तथा हरिजन हैं। इन में से कुछ क्षेत्र बड़े नाजुक हैं। अतः वहां कल्याणकारी गतिविधियों के विस्तार की अविलम्ब व्यवस्था की जानी चाहिये। कुछ सन्देह इस बात से पैदा होता है कि इस विधेयक की धारा 13(2) में कहा गया है कि उपकर (सैस) की जो राशि एकत्रित होगी वह भारत की संचित निधि में शामिल कर दी जायेगी।

जहां तक कल्याणकारी-गतिविधियों की मात्रा का सम्बन्ध है, कोयला खान कल्याण निधि और अभ्रक कल्याण निधि के सामने मुख्य समस्या यह है कि क्योंकि ये निधियां भारत की संचित निधि का एक भाग है अतः उन्हें श्रमिकों की दशा में सुधार करने और उन्हें अधिकाधिक कल्याणकारी सुविधायें देने पर खर्च करने की बजाये, अधिकांशतः बजट सम्पूर्ति पर खर्च कर दिया जाता है।

कल्याणकारी गतिविधियों में केन्द्रीय अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल, सामुदायिक परियोजना अस्पताल हैं जहां शिक्षा और इलाज की व्यवस्था है; स्कूल हैं, छात्रवृत्तियां और वृत्तिकायें हैं। परन्तु अधिक आवश्यकता इस बात की है कि महिला श्रमिकों तथा खनिकों की पत्नियों को बड़े-बड़े सेविका संगठनों के माध्यम से, उनके फ़ालतू समय में सक्रिय बनाकर उनके जीवन को नयी दिशा दी जाये।

कोयला खान कल्याण संगठन ने 70 फिट गहरे और 10 फिट व्यास के कुएं खोदने हैं। ये कुएं 20 फिट व्यास के तथा 40 फिट गहरे होने चाहिये ताकि पेय जल के साथ सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध हो सके। इससे उस क्षेत्र की अर्थ व्यवस्था को सहायता मिलेगी।

इन श्रमिकों को मनोरंजन के तौर पर कृषिकार्यों में लगाने की तुरन्त आवश्यकता है ताकि व्यावसायिक रोगों से उनकी रक्षा की जा सके। तांबा खानों को आपने छोड़ दिया है जब कि, विशेषकर बिहार की सिंहभूमि स्थित तांबा खानों में बहुत बड़ी संख्या में तपेदिक के रोगी हैं जिनके

[श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य]

कारण वहां के दो अस्पतालों का निरन्तर विस्तार करना पड़ा है। इन उद्योगों में श्रमकों का संक्रामक बना अन्य व्यवसायिक रोगों से बचाने के लिये इन संगठनों को एक विभिन्न दृष्टिकोण से सोचना होगा । केवल रोगोपचार काफी नहीं है रोग से बचाना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिये चलते-फ़िरते एक्सरे चिकित्सालयों इन क्षेत्रों में भेजा जाना चाहिये और हर श्रमिक का एक्स-रे स्वतः ही हर दूसरे अथवा तीसरे महीने किया जाना चाहिये ।

कठिनाई यह है कि ये संगठन आरम्भ में तो बड़ी आशायें लेकर काम करते हैं परन्तु बाद में धीरे-धीरे एक विभाग-सा बन जाते हैं और वहां शिथिलता आ जाती है । मंत्री महोदय इस पहलू पर विशेष ध्यान दें और श्रमिकों के जीवन को एक नया स्तर प्रदान करने के लिये उचित कदम उठायें।

श्रम मंत्री (श्री के० वी० रघुनाथ रेड्डी) : इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेने तथा अपने मूल्यवान सुझाव देने वाले सदस्यों के प्रति मैं अत्यन्त आभारी हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

[Mr. Deputy Speaker in the chair]

इस संदर्भ में श्री डागा अथवा श्री रामजीभाई वर्मा अथवा श्री आर० एन० शर्मा द्वारा व्यक्त निराशा से मैं सहमत नहीं हूं । विभिन्न कल्याणकारी कार्यवाहियां करने के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर यथा संभव पूरी तरह ध्यान दिया जायेगा और हम उन्हें क्रियान्वित करने का भरसक प्रयास करेंगे ।

लोह-खानों से जो उपकर एकत्रित किया गया है उससे उनके अस्पतालों का निर्माण किया गया है और अनेक चिकित्सा तथा कल्याणकारी-सुविधायें प्रदान की गई हैं । इस प्रकार डोलोमाइट के सम्बन्ध में भी कई अस्पताल, चलते-फ़िरते अस्पताल तथा अन्य कल्याणकारी उपायों की व्यवस्था की गई है ।

यह कहा गया है कि सभी खनिजों के लिए एक ही कल्याण-निधि होनी चाहिये । यद्यपि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने यह सुझाव दिया था परन्तु तुरन्त ही तो इस निधि की स्थापना करना संभव नहीं है । हां, लोह तथा मैंगनीज अयस्कों के खनिकों के लिए एक संयुक्त कल्याण निधि हमने आरम्भ कर दी है । यदि कुछ समय बाद स्थिति ऐसी हुई कि सभी खनिकों सम्बन्धी कल्याण-निधियों को मिलाकर एक निधि कर दिया जाये तो हम अवश्य ही इस पर विचार करेंगे । यह आश्वासन मैं माननीय सदस्यों को दे सकता हूं ।

मेरे मित्र श्री बी० वी० नायक ने परोक्ष रूप में मुझ पर कटाक्ष किया कि मैं "समाजवाद" शब्द न कह कर "कल्याणकारी राष्ट्र" कहा । वह जानते होंगे कि एक कल्याणकारी देश हुए बिना अथवा उसमें ऐसे सभी सद्गुण हुए बिना वहां समाजवादी आर्थिक ढांचा नहीं बन सकता । इसीलिये मैंने 'समाजवाद' शब्द की जगह 'कल्याणकारी राष्ट्र' शब्द कहे थे क्योंकि एक समाजवादी राष्ट्र की परिभाषा में समाजवादी राष्ट्र का स्वरूप भी शामिल होता है । पूंजीवादी आर्थिक ढांचे वाला कोई "कल्याणकारी राष्ट्र", एक समाजवादी राष्ट्र नहीं कहला सकता ।

श्री नायक के संशोधन के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि यह विधान खनिजों को निकालने वालों के लिये नहीं है उनकी ढ़ुलाई करने वालों के लिये नहीं। कुली सम्बन्धी कमेटी के लिये अनेक अन्य कानून हैं जिनके अन्तर्गत उन्हें स्वास्थ्य तथा कल्याण सम्बन्धी सुविधायें प्राप्त हैं। अतः यह संशोधन स्वीकार करना संभव नहीं है। पत्तन और गोदी श्रमिकों के लिये अन्य कल्याणकारी विधान बने हुए हैं।

यह एक उत्तम विधेयक है जिसका यहां सभी वर्गों ने स्वागत किया है, उसे समर्थन दिया है हालांकि विभिन्न सुझाव भी दिये गये हैं। सलाहकार समिति में प्रबन्धकों तथा श्रमिक संघों के सदस्य होते हैं। न जाने क्यों कुछ सदस्यों ने उसमें महिला सदस्य होने का विरोध किया। मेरे विचार से तो वहां एक नहीं बल्कि कई महिला सदस्यायें होनी चाहियें क्योंकि पुरुषों की अपेक्षा महिलायें बात को अच्छे ढ़ंग से समझ लेती हैं। यह भी हमेशा सोचा गया है कि कल्याण निधि के सम्बन्ध में नौकरशाही रवैया नहीं अपनाया जाना चाहिये। इसीलिये सलाहकार समिति रखी गई है और उसमें श्रमिकों की ओर प्रतिनिधित्व श्रमिक संघों के नेतागण होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि सभा विधेयक पर विचार करे तथा उसे स्वीकृत करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लौह अयस्क खानों और मैंगनीज़ अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण करने के लिए लौह अयस्क और मैंगनीज़ अयस्क पर उपकर का उदग्रहण और संग्रहण करने और उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लौह अयस्क खानों और मैंगनीज़ अयस्क खानों में नियोजित व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के क्रियाकलापों के वित्तपोषण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम लौह अयस्क खान और मैंगनीज़ अयस्क खान श्रम कल्याण उपकर विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 14 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 14 were added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1 Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम लौह अयस्क खान और मैंगनीज़ अयस्क खान श्रम कल्याण निधि विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे। श्री बी० वी० नायक यहां नहीं हैं। श्री रामसिंह भाई, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं ?

श्री राम सिंह भाई : जी नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 12 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2 से 12 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 2 to 12 were added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक और बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक के सम्बन्ध में नियम 66 के परन्तुक के निलम्बित करने के बारे में प्रस्ताव

Motion re : Suspension of Proviso to Rule 66 in relation to Beedi workers welfare Cess Bill and Beedi Workers Welfare Fund Bill.

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 66 के परन्तुक को निलम्बन के लिये प्रस्ताव ।

श्रममंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक वह बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1976 तथा बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक 1976 पर विचार करने और उन्हें पास करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बित करें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आप इस नियम के परन्तुक के निलम्बन किये जाने के कारण बता सकते हैं ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : इन दोनों विधेयकों का विषय एक जैसा है । सदस्य लोग इन दोनों विधेयकों पर एक ही बार भाषण दे सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : जब एक विधेयक दूसरे पर निर्णय करता है, तो जब तक पहला विधेयक पास नहीं होता और उस पर राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त नहीं होती तो दूसरे विधेयक पर विचार नहीं किया जा सकता । अतः आप दोनों विधेयक एक साथ लेना चाहते हैं । इसी कारण आप इस नियम का निलम्बन चाहते हो ।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 66 के परन्तुक को, जहां तक वह बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक, 1976 तथा बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक, 1976 पर विचार करने और उन्हें पास करने सम्बन्धी प्रस्तावों पर लागू होता है, निलम्बित करें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

बीड़ी कर्मकार कल्याण उपकर विधेयक

और

बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि विधेयक

BEEDI WORKERS WELFARE CESS BILL

&

BEEDI WORKERS WELFARE FUND BILL

श्रममंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि बीड़ी बनाने के लिये दिये गये तम्बाकू पर उपकर के रूप में उत्पादन शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

[श्री रघुनाथ रेड्डी]

"कि बीड़ी स्थापनों में लगे हुए व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के उपायों के वित्तपोषण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

बीड़ी उद्योग कर्मकारों के काम की दशा की रायल कमीशन ग्रान लेबर (1931) तथा लेबर इन्वेस्टीगेशन कमेटी (1944) द्वारा ग्रालोचना की गई थी। नेशनल कमीशन ग्रांन लेबर द्वारा पांच वर्ष पूर्व किए गए ग्रध्ययन में विचार व्यक्त किया गया था कि इस उद्योग में लगे व्यक्तियों के काम के हालात तथा रहने की स्थिति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुग्रा है। कारखाना ग्रधिनियम, 1948 तथा ग्रन्य श्रमिक कानून कर्मकारों की दशा में सुधार लाने में विफल रहे। न्यूनतम मंजूरी ग्रधिनियम प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका तथा नियोजक लोग ग्रधिनियम से बचने के रास्ते लगातार निकालते रह हैं। वर्तमान ग्रधिनियम की ग्रक्षमता को ध्यान में रखत हुए सरकार ने बीड़ी ग्रौर सिगार कार्मकार सेवा की शर्तें) ग्रधिनियम 1966 पास क्रिया जिसमें ग्रन्य बातों के साथ साथ बीड़ी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की दशा में कुछ सुधार बताये मये।

जब उक्त ग्रधिनियम को लागू किया गया तो उसका नियजकों द्वारा स्वागत नहीं किया गया ग्रौर किसी न किसी ग्राधार पर उसकी वैधता को चुनौती दी जाती रही। ग्रधिनियम की संवैधानिक वैधता की हाल ही में ठहराई गई थी किन्तु उस ग्रधिनियम का क्षेत्र सीमित था क्योंकि वह केवल बीड़ी ग्रौर सिगार उद्योगों पर ही लागू होता था। जहां तक श्रमिकों का सम्बन्ध था उसमें उनके लिए शैक्षणिक सुविधाग्रों, मनोरंजन सुविधाग्रों, ग्रादि का उपबन्ध नहीं था, जो कोयला, लौह ग्रयस्क, ग्रभ्रक, डोलोमाइट ग्रौर चूना उद्योगों के श्रमिकों को उपलब्ध थी।

बीड़ी उद्योग में नियुक्त व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक कल्याण निधि स्थापित करने का प्रस्ताव है। उस उद्देश्य के लिए उपकर के रूप में किसी एक व्यक्ति को किसी गोदाम से बीड़ी बनाने के लिए दिये गये तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क लगाया गया है।

तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क बीड़ी कर्मकार उपकर विधेयक, 1976 के उपबन्धों के ग्रन्तर्गत लगाया गया है जिसे उगाही पर किये गए व्यय को निकाल कर प्रस्तावित बीड़ी कर्मकार के कल्याण निधि में जमा कर दिया जाएगा।

बीड़ी प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मकारों तथा उनके ग्राश्रितों की जीवन दशा में सुधार करने के लिए उनके मालिकों या राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देना इस निधि का उद्देश्य है ना कि उसमें बाधा डालना।

बीड़ी कर्मकारों के लिये कल्याण निधि बनाने का उद्देश्य इन कर्मकारों तथा इनके ग्राश्रितों को वही लाभ देना है, जो कोयला ग्रभ्रक, लौह ग्रयस्क, चूने ग्रौर डोलोमाइट की खानों में काम करने वाले श्रमिकों तथा उनके ग्राश्रितों को दी जाती है।

यह निधि त्रिपक्षीय सलाहकार समितियों की सलाह से उपयोग में लाई जायेगी जो मुख्य बीड़ी विनिर्माता राज्य में बनाई जायेगी। मालिकों ग्रौर कर्मकारों के ग्रतिरिक्त इन समितियों में राज्य सरकारों का सहयोग लेने का भी हमारा उद्देश्य है। यदि ग्रावश्यक समझा जायेगा तो दो या ग्रधिक बीड़ी

निर्माता राज्यों के लिए एक सलाहकार समिति बनाई जायेगी। राज्य सलाहकार समितियों के कार्यकलापों का समन्वय करने तथा उनके कार्य को और कारगर बनाने हेतु केन्द्रीय सरकार भी एक त्रिपक्षीय केन्द्रीय सलहाकार समिति गठित कर सकती है।

चूंकि निधि केन्द्र द्वारा उपयोग में लाई जायेगी इसलिए कोयला, अभ्रक, लौह अयस्क, चूना तथा डोलोमाईट की खानों की तरह बीड़ी उद्योग कर्मकारों को भी डाक्टरी सहायता, अस्पतालों, औषधालयों, पानी सप्लाई योजना, आवासीय कालोनियों आदि की सुविधा दी जायेगी और बीड़ी निर्माता कर्मकारों तथा उनके आश्रितों की उचित मनोरंजन और सांस्कृतिक सुविधाएं देने हेतु जैसे बहुउद्देश्यीय संस्थान खोलने का विचार है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि बीड़ी बनाने के लिये दिये गये तम्बाकू पर उपकर के रूप में उत्पादन शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

"कि बीड़ी स्थापनों में लगे हुए व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के उपायों के वित्त पोषण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : जहां तक बीड़ी कर्मकार कल्याण निधि का सम्बन्ध है, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी और सभी इसकी सराहना करेंगे। लेकिन हम मन्त्री जी से यह जानना चाहते हैं कि बीड़ी और सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 का क्या हुआ है? 10 वर्ष बीतने के बाद भी इस अधिनियम को किसी राज्य में लागू नहीं किया गया है। नया कानून पास करने से पहले मन्त्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिए कि पुराना अधिनियम समुचित रूप से क्रियान्विन किया जायेगा।

वर्तमान विधेयक बीड़ी कर्मकारों के कल्याण के लिए है। लेकिन 1966 में जो विधेयक पेश किया गया उसका नाम बीड़ी और सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) विधेयक था, उस समय बीड़ी और सिगार का प्रचलन था। लेकिन अब 'सिगार' को भुला दिया गया है। क्योंकि यह दोनों समानान्तर चल रहे हैं, इसलिए सरकार को विधेयक के नाम के साथ 'सिगार' जोड़कर इस विधेयक को संशोधित कर दिया जाना चाहिए।

यदि लगाये जाने वाले उपकर से वास्तव में बीड़ी कर्मकारों का कल्याण होगा तो क्या विधेयक में ऐसा कोई खण्ड है जिससे कि इस उपकर को न देने वालों को दण्डित किया जा सके?

फिर इस बात की क्या गारण्टी है कि यह विधेयक कार्यान्वित किया जायेगा और यदि राज्य सरकारें इसे लागू नहीं करेंगी तो केन्द्रीय सरकार इसे लागू करेगी।

ऐसा कानून पास करने से कोई लाभ नहीं जो लागू न किया जाये। कानून पास करने के बाद लागू करने के बजाय उसे खत्ते की टोकरी में डालने से संसद् को कोई सम्मान नहीं मिलेगा। राज्य सरकारों से यह कहा जाना चाहिये कि यदि बीड़ी कारखानों के मालिक विधेयक की आवश्यकताओं का पालन नहीं

[श्री ए० के० गोपालन]

करते तो उन्हें अवश्य दण्ड दिया जाना चाहिये। होता क्या है कि कर्मकार जब न्यूनतम मजूरी मांगते हैं तो उन्हें पीटा जाता है और जेलों में डाल दिया जाता है। मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि कर्मकारों के कल्याण सम्बन्धी विधेयक को लागू किया जाना चाहिये और प्रत्येक व्यक्ति को उपकर देना चाहिए। एक रजिस्टर खोला जाना चाहिये। यह बात देखी जानी चाहिये कि कम से कम इस उपकर और कल्याण निधि का कर्मकारों के लाभ के लिये उपयोग किया जाना चाहिये। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri Ram Singh Bhai (Indore) : I fully support the Bill but it is wrong that it wil bel enforced in different areas on different dates. It should be implemented in all states simultaneously.

The number of beedi workers has been stated to be 10 lakhs but it is not so, because more than 20 lakhs of workers are employed in this industry. The Beedi and Cigarette Workers' Act has been passed as long as in 1966 but it has not been implemented so far in all the states. When this Act was passed, the establishments manufacturing beedis were shifted to rural areas to escape the provision of that Act. It was laid down that not more than 5 per cent of the beedis that were manufactured, would be rejected but repeated complaints were received that not less than 20 per cent of the beedis were rejected at present. It means that workers are being denied 20 per cent of their wages. This sort of exploitation should be ended.

Earlier, the cess was imposed at the rate of 25 paise per kilo but now it is being raised to one rupee. As a result of it, an amount of Rs. 182 lakhs will be collected in a year. But keeping in view the number of beedi workers being 20 lakhs, that amount will rise upto Rs. 4 corers. It is not known why the Bill includes a provision for spending for water and sanitation facilities out of this fund that has to be raised for the welfare of the workers. It is absolutely wrong. When the Beedi industry came within the ambit of Factories Act, there is no reason why Beedi workers should be covered under the ESI Scheme.

The amount collected for the purpose of welfare of workers should be increased more and so, the cess might be rasied to Rs. 2 per kilo instead of Re. 1/-. Out of this fund so collected, houses should be constructed for Beedi workers. Some rent might be fixed for them but the ownership of these houses might be transferred to them when they retire from their work.

Shri Ishaque Sambhali (Amroha); I congratulate the hon. Minister for presenting a Bill which seeks to give relief to Beedi workers. But I am forced to say, as my predecessors have stated, that when the Bill was presented 10 years ago, it was promised to bring a comprehensive Bill. But that promise has not been honoured so far. However, whatever has been brought now, is a good measure. But I am unable to understand how with the methods, which have been adopted, this Bill can be a success.

The implementation of Beedi and Cigar Workers Act, 1966 was left to State Governments. As a result most of the states did not make any effort towards its implementation. There is no reason why it was not implemented in Madhya Pradesh so far.

The Welfare Fund is no doubt necessary but most essential thing is certainty of work and employment. The wages of Bidi workers should be fixed state by state. Bidi Industry shifts from one state to other just to escape the provisions of law. The hon. Minister should pay attention towards this. According to the present measure, the Welfare includes even the provisions of water supply and educational facilities. It should be made clear in specific terms as to what kinds of facilities would be provided out of this fund.

Bidi workers have to work in polluted atmosphere and 75 percent of Bidi workers suffer from T.B. and so this Bill must include provision of medical assistance to such workers. Hospitals should be opened near the Bidi centres.

The Bidi industry is a shifting industry. If a welfare fund is started in one State, the manufacturing of Beedis in that State would become costlier and as a result, the industry would shift to another state, which would cause unemployment. Therefore, some provision must be made to ensure certainty of employment to Beedi workers.

With these observations, I support the Bill.

Shri M.C. Daga (Pali) : The details of the State Advisory Body, its composition and qualifications of its members have not been given. It is also not known whether its decisions will be binding or not? According to the clause (5) half of the members will be from the Government side and another half may consist of workers and employers. It is also not known as to who will be the Chairman of the body. Nothing has also been said about the coordination between state and Central Advisory Committees. I suggest that I.A.S. officer should not be appointed Chairman of this body. It is also not known as to what type of facilities will be provided by this Committee.

The hon. Minister should tell the amount of T.A. and D.A. to be given to the members

You have constituted a Central Advisory Committee in addition to State Advisory Committee. What will be the functions of these Committees? You are going to appoint some I.A.S Officers as Commissioners but what type of functions will be performed by them ?.

I want to know the time and date of meeting of the State Advisory Board at the State level. What will be the role of the Central Advisory Committee. The welfare measures adpoted in the mines are also proposed to be applied in this field/A uniform law will be applicable on both side. It is good that funds have been provided for the welfare of workers. At the same time I would like to bring to your notice that the workers are not getting medicines even after the constitution of E.S.I. Corporation. The workers are not getting even minimum facilities.

Shrimati Roza Deshpande (Bombay Central) : I Support this Bill. We are freeing the owners from discharging their responsibilities by creating this fund. We are even providing for water and sanitation. Are not the provision of such facilities, responsibility of the employers? You are helping the owners by way of passing this Act.

You have taxed the production of brand beedi. As a result Beedi industry will do away with the brand name and beedi may be manufactured on contract basis and Beedi industry may face closure. As a result, Beedis may be manufactured by the housewives and their children at home. How are you providing for the welfare of these women and children. Their welfare should be entrusted to some social organisations. Is it not possible to construct a big hall in a village where women could manufacture beedies so that the work of beedi manufacture could be regulated.

A provision has been made for Advisory Committees. We have also constituted State and Central Level Committees. We should see to it that these Committees work effectively. Only experienced hands should be taken in these Committees. Social organisations should be involved in these Committees. The Advisory Committees should be required to supervise and look after the welfare of these working women. The Government should ensure that the suggestions of these welfare committees are implemented in toto.

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि बीड़ी उद्योग के श्रमिकों की दशा ठीक नहीं है। मेरे विचार में विधेयक का मसौदा तैयार करने वाले इस उद्योग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं रखते।

केरल के बीड़ी उद्योग में 30,000 श्रमिक हैं। एक कम्पनी तो बन्द ही हो गयी है। एक सहकारी संस्था का गठन किया गया। बीड़ी मार्केट में प्रतियोगिता चल रही है ये 30,000 श्रमिक अब बेरोजगार होने जा रहे हैं क्योंकि 1966 के अधिनियम को केन्द्रीय सरकार ने पूर्णत: कार्यान्वित नहीं किया। केवल केरल राज्य ने ही इसे कार्यान्वित किया था। अन्य राज्यों के बीड़ी श्रमिकों की दशा बंधक मजदूरों से कम खराब नहीं है।

[श्री वायालर रवि]

बीड़ी श्रमिकों तथा इस उद्योग के विकास हेतु निधि की व्यवस्था की गयी है। इस निधि का उपयोग करते हुये आपको बीड़ी श्रमिकों की दशा का भी पता होना चाहिये । अब आप कारखाने के मालिकों की ज़िम्मेवारियों को सलाहकार समिति को सौंप रहे हैं । विधेयक के अन्तर्गत जल प्रदाय की व्यवस्था भी की गयी है । बीड़ी उद्योग एक छोटा उद्योग है । कुछ लोग बीड़ियां घरों पर भी बना सकते हैं । इस स्थिति में आप इनके लिये चिकित्सा और सफाई की सविधायें किस प्रकार प्रदान कर सकते हैं । चिकित्सा सुविधायें प्रदान करने के लिये तो आपको 1966 के अधिनियम को कार्यान्वित करना होगा । यह बात भी स्पष्ट नहीं है कि राज्य सलाहकार समिनि के क्या कर्तव्य होंगे । क्या इसका काम जल, चिकित्सा; ऋण तथा सफाई सुविधायें प्रदान करना है ? इस प्रकार तो मालिकों की जिम्मेवारियां समाप्त हो गयी हैं और उन्हें सहायता प्रदान की गयी है । सलाहकार समिति के कर्तव्यों तथा कार्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिये । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि 1966 के अधिनियम को कार्यान्वित किया जाये और यह बात सुनिश्चित करें कि प्रत्येक राज्य इन प्रावधानों का पालन करें ।

श्री के० मायातेवर (डिंडीगुल) : मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं । इसका उद्देश्य प्रशंनीय है । मैं बीड़ी नहीं पीता लेकिन फिर भी मैं बीड़ी बनाने वालों के हितों का समर्थक हूं । बीड़ी बनाने वालों का कल्याण अनिवार्य है । बीड़ी बनाने वालों का शुरू ही से शोषण होता आ रहा है । इस विधेयक द्वारा उनके कल्याण की आशा बहुत कम है । इससे उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिलता ।

बीड़ी श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिये धन इकट्ठा किया जायेगा । श्रमिकों के कल्याण हेतु धन इकट्ठा करने का यह एक विचित्र उपाय है । इस प्रकार एकत्र किया गया धन अपर्याप्त तथा कम ही होगा । इस लिये सरकार को अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये ।

मेरे विचार में बीड़ी बनाने वालों के लिये सरकार को वर्दियां भी देनी चाहियें ।

बीड़ी बनाने वाले रुग्ण लोगों के लिये चिकित्सा की व्यवस्था करना जरूरी है। उन्हें अवश्य ही किसी न किसी रूप में राहत दी जानी चाहिये ।

बीड़ी उद्योग, औद्योगिक विवाद अधिनियम अथवा किसी इसी प्रकार के अन्य अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते। पूंजीवादी वर्ग के बीड़ी निर्माता भी इस कानून से नियंत्रित नहीं होते हैं ।

बीड़ी उद्योग के श्रमिकों के लिये अब तक न्यूनतम मजूरी निश्चित नहीं की गयी है। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है । सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

बीड़ी उद्योग में काम करने वाले सभी पुरुषों तथा नारियो के लिये समान मंजूरी की व्यवस्था होनी चाहिये ।

इन लोगों को दिये जाने वाले लाभों के बारे में स्पष्ट व्याख्या नहीं की गयी है । बीड़ी श्रमिकों के हितों के लिये और अधिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये ।

श्री चपलेन्दु भट्टाचार्य (गिरिडीह) : बीड़ी बनाने के संस्थानों में कार्य करने वाले कर्मकारों के कल्याण सम्बन्धी बित्तीय उपायों वाले इस विधेयक का मैं समर्थन करता हूं । लेकिन इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां हैं ।

बीड़ी कर्मकार, विशेष कर वे, जो घरो में काम के हिसाब से पैसे पाते हैं, खान अधिनियम के अन्तर्गत नहीं आते । कारखाना अधिनियम या दुकान अथवा संस्थान अधिनियम भी उन पर लागू नहीं होता । अभ्रक कर्मकारों की भी यही स्थिति है । अत: आवश्यकता इस बात की है कि उनकी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित कर दी जाये ।

बीड़ी कर्मकारों के लिए एक नीधि बनायी जाये ताकि वे अपनी सहकारी समितियां बनायें और स्वयं बीड़ियों का उत्पादन करें। आदिवासी क्षेत्रों में इस बात की बहुत जरूरत है क्योंकि वहां बीड़ी निर्माता कर्मकारों का बहुत शोषण करते हैं । इस निधि का प्रयोग कर्मकारों की भलाई के लिए किया जाये ।

हमें ठीक ठीक पता नहीं कि देश में बीड़ी कर्मकारो की संख्या कितनी है । मशीनों द्वारा बीड़ियां बनाये जाने के कारण कई कर्मकार विस्थापित हो गये हैं । कर्मकारों के लिए चिकित्सा का उचित प्रबन्ध होना चाहिए । उन्हें उपयुक्त दवाई नहीं मिलती । सभी को एक ही प्रकार की दवा दी जाती है । कर्मकारों के बच्चों की शिक्षा का उचित प्रबन्ध नहीं है । उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रबन्ध किया जाना चाहिए । इन सब बातों की ओर ध्याम देना अति आवश्यक है, अन्यथा कल्याण निधि आदि की बात शीघ्र ही अपना महत्व खो बैठती है और नौकरशाही के तंत्र में सभी कुछ समा जाता है । आप सभी कर्मकारो के लिए ऐसा संगठन बनायें जो दूर-दूर कार्यरत कर्मकारों का जीवन स्तर ऊपर उठा सकें तथा 20 सूत्री कार्यक्रम का परिपालन हो सके ।

श्री चन्द्रप्पन (तेल्लीचरी) : वास्तव में सरकार वस्तु स्थिति को नहीं समझती इसलिए एक के बाद एक विधेयक लाया जाता है और सभी उसका विरोध करते हैं । यद्यपि सरकार सद्इच्छा से विधेयक ला रही है लेकिन उस त्रुटियां रह जाती हैं ।

पहले सरकार बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 को कार्यान्वित कराने में असफल रही । यही हाल आज वाले विधेयक का होगा । सरकार के अनुसार इस उद्योग में 10 लाख लोग काम करते हैं लेकिन 20–25 लाख लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस धन्धे से सम्बद्ध हैं । इस उद्योग में लगे लोगों का एक तिहाई भाग संगठित क्षेत्र में है जहां कारखाने हैं जिनमें अधिनियम लागू किये जा सकते हैं । लेकिन बकाया दो-तिहाई लोग असंगठित क्षेत्र में हैं । न्यूनाधिक रूप से यह एक कुटीर उद्योग है । जब तक यही पता नहीं कि इस उद्योग में कितने कर्मकार कार्य कर रहे हैं तब तक इन लोगों के कल्याणार्थ कोई भी कानून गम्भीरता और निष्ठा से किस प्रकार कार्यान्वित किया जा सकता है ? अत: मैं श्री ए० के० गोपालन के उस संशोधन का स्वागत करता हूं जिसमें कहा गया है कि ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में जहां बीड़ी उद्योग केन्द्रित है, सरकार को एक रजिस्टर रखना चाहिये । उस रजिस्टर में कर्मकारों के नाम तथा अन्य ब्यौरे लिखे जाने चाहियें । ऐसा पता चला है कि इस उद्योग में पुरुष, स्त्रियां और बालक सभी काम करते हैं और 12–12 घटे तक कार्य करते हैं । सरकार सारे तथ्य एकत्र करके ही कल्याणकारी योजना बनाये ।

सरकार को पिछली घटनाओं से सबक लेना चाहिये । केरल में सरकार बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (रोजगार की शर्तें) अधिनियम कार्यान्वित करना चाहती थी । लेकिन वहां गणेश बीड़ी वालों ने अपना उद्योग कर्नाटक में स्थानान्तरित कर दिया । इस कारखाने में लगभग 22,000 कर्मचारी काम करते थे । लेकिन चूंकि कर्नाटक में वे कर्मचारियों का शोषण कर सकते थे अतः

[श्री. चन्द्रप्पन]

केरल से वे हट गये हैं। अतः यदि सरकार वास्तव में इस कानून को कार्यान्वित करना चाहती है तो इस समूचे उद्योग को सहकारी ढंग पर चलाया जाये। आप सारे ढांचे का पुनर्गठन करें।

आप उपकर के रूप में 180 लाख रुपये एकत्र कर रहे हैं। लेकिन इस अल्प राशि से बीड़ी कर्मकारों को सफाई, पेय जल और शिक्षा सम्बन्धी पर्याप्त सुविधायें नहीं दी जा सकतीं। आप किसी ढंग से राजस्व में वृद्धि कीजिये ताकि कर्मकारों की भलाई पर सन्तोषजनक धन खर्च किया जा सके।

मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि यही एक ऐसा उद्योग है जिस में स्त्रियां बड़ी संख्या में काम करती हैं। लेकिन स्त्रियों की हैसियत सम्बन्धी आयोग ने अपने प्रतिवेदन में बताया है कि कि उनका अत्यधिक शोषण किया जाता है। सरकार को अधिक व्यापक विधान लाना चाहिये और कर्मकारों को उसमें शामिल करना चाहिये।

Shri Ram Hedaoo (Ramtek) : Sir, I rise to support this measure. It is more or less a cottage industry and workers do their jobs in their houses. In Maharashtra this industry is Centred in Bhandara, Chandrapur and Nagpur. The factory owners have become millionaires by exploiting the workers. People work some times from 12 to 20 hours a day and still they are not paid their full amount. There is a unique way of exploiting the workers. Suppose one worker has made 1000 beedis. When he takes them to the manufacturer, he will reject at least 300 to 500 beedis terming them unfit for smoking. The worker will be paid only for the remaining number of beedis. The representatives of workers unions have raised this point several times but the Government have failed to take any step.

Many beedi workers are suffering from T.B. They work for such long hours yet they cannot make both ends meet. They are living in miserable conditions. Bidi and Cigar (Conditions of Employment) Act has also not been implemented. The middle man is another menace. He is extracting money from the workers. Although majority of the workers are women and of those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Yet they are badly exploited.

The factory owners are very shrewd and powerful persons. They have infilterated into the Congress organisation to cover up their misdeeds. They in connivance with the persons in high authority, exploit the workers. The Government should pay attention to this aspect also.

I welcome this Bill but representatives of beedi workers should also be included in the Committee which may be formed to chalk out welfare activities for beedi workers.

श्रम मंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है और आलोचना के साथ अथवा कोई सुझाव देकर भी विधेयक का समर्थन किया है मैं उनका आभारी हूं।

वास्तव में हमने शुरू-शुरू में विधेयक को सीमित मात्रा में लागू करने का उद्देश्य रखा है। जहां तक लेवी का प्रश्न है, यद्यपि कानून के अनुसार हम 1 रुपया तक ले सकते हैं, हमने केवल 25 पैसे लेवी रखी है। समाजवाद केवल विचारधारा ही नहीं आज तो यह अनिवार्य आवश्यकता हो गया है।

हमने इसे लागू करने की पूरी व्यवस्था कर ली है। यह शुल्क, उत्पाद शुल्क जैसा समझा जायेगा। उत्पाद शुल्क पर लागू सभी उपबन्ध इस शुल्क के बारे में लागू होंगे। बाद में यदि किसी संशोधन की आवश्यकता होगी तो उसके लिये भी विधेयक लाया जा सकता है।

सभी कल्याणकारी विधानों में परामर्शदात्री समितियों का गठन किया जाता है जिसमें कर्मचारियों, मालिकों और सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। इन निकायों में कर्मचारियों के प्रतिनिधि होने से उन्हें पता चल सकेगा कि ये निकाय किस प्रकार कार्य करते हैं।

जहां तक आंकड़े एकत्र करने का सम्बन्ध है इस विधेयक में यह उपबन्ध किया गया है कि केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य से निर्धारित अवधि के अन्दर किसी भी राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार के आंकड़े तथा अन्य प्रकार की जानकारी देने के लिए कह सकती है।" इससे यह उद्देश्य पूरा हो जायेगा ।

सिगार कर्मकारों और बीड़ी कर्मकारों में अन्तर है। सिगार कर्मकार कारखानों में काम करते हैं जो कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत आ जाते हैं। उन्हें सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं। जहां तक बीड़ी कर्मकारों का प्रश्न है यह एक कुटीर उद्योग है जिसमें अधिकतर महिलायें काम करती हैं। उनके हितों की देख-भाल के लिए कोई संगठन नहीं है। अतः पिछले अधिनियम और इस अधिनियम के बीच अन्तर को समझा जाना आवश्यक है। इस अधिनियम का सम्बन्ध इस बात से है कि बीड़ी के काम में भी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हों जिस प्रकार कारखानों में होती हैं।

अतः कल्याणकारी गतिविधियों के दो पहलुओं पर परिपाटी से भिन्न रूप से विचार करना होगा। हमें महिला बीड़ी मजदूरों के लिए कल्याणकारी उपाय ढूंढने चाहिए। इसी उद्देश्य के लिये यह विधान लाया गया है।

यह प्रश्न भी पूछा गया है कि बीड़ी सिगार अधिनियम क्रियान्वित क्यों नहीं किया गया है? माननीय सदस्य जानते हैं कि यह कानून 1966 में लाया गया था और वर्ष 1974 में उच्चतम न्यायालय ने इसकी वैधता के बारे में निर्णय दिया था। इसे क्रियान्वित करना अब राज्य सरकार का काम है ।

जहां तक बीड़ी मजदूरों के लिये न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने का प्रश्न है, हम सभी राज्यों में एक समान मजदूरी की दर नियत करना चाहते हैं। श्रम मंत्रियों की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि प्रत्येक राज्य बीड़ी मजदूरों के लिये मजूरी की दर नियत करे। अब बीड़ी निर्माता एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं और उनका तर्क है कि दूसरे राज्य में मजूरी की दर अपेक्षाकृत कम है। श्री चन्द्रप्पन ने तेंदू के पत्त के बारे में पूछा है। उदाहरण के तौर पर जिस राज्य में तेंदू पत्ता अधिक मात्रा में उपलब्ध है और परिवहन व्यय कम है, वहां मजूरी की दर अधिक है और यही कारण है कि उद्योग दूसरे राज्य में ले जाया जाता है। इसके परिणामस्वरूप राज्य में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। **(व्यवधान)**

श्री ए० के० गोपालन (पालघाट) : समस्या का समाधान करने के लिए सरकार कानून में संशोधन क्यों नहीं करती ?

श्री रघुनाथ रेड्डी : प्रश्न संशोधन का नहीं है। हमें कई व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। केरल राज्य में सरकारी कारखानों और गैर-सरकारी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की मजूरी अलग अलग है। यह समस्या संशोधन करने से हल नहीं की जा सकती।

[श्री रघुनाथ रेड्डी]

यह समस्या मजदूर संघों के नेताओं, सरकारी प्रतिनिधियों तथा बीड़ी निर्माताओं की आपसी बातचीत से हल की जा सकती है। हम इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। हम इस समस्या को हल करने के लिए वचनबद्ध हैं। इसी उद्देश्य के लिये यह विधेयक लाया जा रहा है। इससे उन बेचारें मजदूरों को लाभ होगा जो यह कठिन कार्य करते हैं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी बनाने के लिए दिए गए तम्बाकू पर उपकर के रूप में उत्पादन शुल्क का उद्ग्रहण और संग्रहण करने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बीड़ी स्थापन में लगे हुए व्यक्तियों के कल्याण की अभिवृद्धि करने के उपायों के वित्तपोषण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3

श्री ए० के० गोपालन : जब तक राज्यों के कारखानों में रजिस्टर नहीं रखा जाता तब तक यह पता नहीं चल सकता कि कितनी महिला बीड़ी मजदूर काम कर रही हैं। और कहां काम कर रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि प्रत्येक राज्य में बीड़ी और सिगार श्रमिकों का रजिस्टर बनाया जाए और यह रजिस्टर कार्यकारी प्राधिकरण के पास हो। जब तक ऐसा न किया जाए यह पता नहीं चल सकता कि कल्याण निधि को किस प्रकार व्यय किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपना संशोधन पेश कीजिए।

श्री ए० के० गोपालन : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 2 was negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3—4 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 3-4 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 3 and 4 were added to the Bill

खंड 4क (नया)

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : मैं संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 4 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 से 7 विधेयक का अग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 5 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 5 and 7 were added to the Bill

खंड 1

श्री ए० के० गोपालन : मैं सशोधन सख्या 1 प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 1 was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खड 1 विधेयक का अंग बने "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

ENACTING FORMULA

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 1, पंक्ति 1—

Twenty -Sixth year

(26वें वर्ष) के स्थान पर

Twenty seventh year

(27 वें वर्ष) प्रतिस्थापित किया जाए ।

(संशोधन सख्या 3)

(श्री रघुनाथ रेड्डी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The Title was added to the Bill

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, सशोधित रूप में, पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, सशोधित रूप में, पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम बीड़ी मजदूर कल्याण निधि विधेयक पर खंडवार चर्चा शुरू करते हैं । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

खंड 4

श्री बी० वी० नायक: (कनारा) : मैं सशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं ।

मजदूरों के सामूहिक बीमे के बारे में अतिरिक्त प्रावधान होना चाहिए । इन मजदूरों का शोषण किया जा रहा है । विचौलिये, बीड़ी निर्माता और संस्थापना के मालिक मजदूरों का खून चूस रहे हैं । अतः यह योजन, लागू करने पर अधिक व्यय नहीं होगा । जहां 10 से अधिक मजदूर काम करते हैं उन्हें सामूहिक बीमा योजना के अन्तगत ले लेना चाहिए । इससे बीड़ी मजदूर की मृत्यु पर उसके परिवार को कुछ हजार रुपये मिल सकेंगे ।

श्री **रघनाथ रेड्डी** : यह एक अच्छा सुझाव है पर यह विधेयक के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आता ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No. 4 and was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill.

खंड 4क

श्री ए० के० गोपालन: मैं सशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

बीड़ी मजदूर संगठित रूप में भी है और गैर संगठित रूप में भी । कुछ मजदूर बीड़ी के पत्ते घर लेजाकर बीड़ी बनाते हैं । इसलिए रजिस्ट्रर का होना आवश्यक है ।

श्री रघुनाथ रेड्डी : माननीय सदस्य का सुझाव अच्छा है । लेकिन यह सुझाव अधिनियम के खण्ड 11 तथा 12 मे आ जाएगा । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि इन दो उपबन्धों के अन्तर्गत इस सुझाव को नियम के रूप में रखा जाएगा ।

श्री ए० के० गोपालन : मंत्री महोदय के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

The amendment was, by leave, withdrawn.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 से 12 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 5 से 12 विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 5 to 12 were added to the Bill.

खंड 1

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खंड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 1 was added to the Bill.

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

Amendment made

पृष्ठ 1 पंक्ति 1 —

Twenty- Sixth year (26 वें वर्ष) के स्थान पर Twenty-Seventh Year (27वें वर्ष)

प्रतिस्थापित किया जाए।

(संशोधन संख्या 2)

(श्री रघुनाथ रेड्डी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

The motion was adopted.

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया.

The enacting Formula, as amended, was added to the Bill

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया

The title was added to the Bill

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

Shri B.S. Bhaura (Bhatinda) ; The Creation of a welfare Fund is a good step, I would like to know whether the persons who bring kendu leaves from forests would also be included in the Category of Bidi workers ? This is a basic question and must be replied to by the hon. Minister.

श्री रघुनाथ रेड्डी : आशा है कि केंदू पत्ते के उल्लेख से विचारों की रूपरेखा बन सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

न्यायालय अवमान (संशोधन) विधेयक

CONTEMPT OF COURTS (AMENDMENT) BILL

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि न्यायालय अवमान अधिनियम 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए"

[डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद]

माननीय सदस्यों को यह स्मरण होगा कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 न्यायालयों में अवमान के लिए दंड देने और इस सम्बन्ध में प्रक्रिया को नियमित करने के बारे में न्यायालयों की शक्तियों को परिभाषित तथा परिसीमित हेतु पारित किया गया था। अधिनियम की धारा 14 में ऐसे मामलों को निपटाने की प्रक्रिया दी गई है, जहां उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के सामने अवमान किया जाता है। धारा 15 में उपरोक्त न्यायालयों को अपने अथवा महाअधिवक्ता या महान्यायवादी की लिखित सहमति से अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए प्रस्ताव पर विचार करने का अधिकार है।

दिल्ली संघशासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है। इस उच्च न्यायालय में कोई महाधिवक्ता नहीं है। यदि किसी संघशासित प्रदेश में अधीनस्थ न्यायालय का अवमान किया जाता है तो धारा 15 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई भी विधि अधिकारी उच्च न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रस्ताव कर सकता है। किन्तु किसी संघशासित प्रदेश में उच्च न्यायालय का दांडिक अवमान करने पर कार्यवाही करने के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। अतः उच्च न्यायालय को स्वयं निगरानी रखनी पड़ती है और ऐसे सभी मामलों में प्रस्ताव करके कार्यवाही करनी पड़ती है। इसलिये अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) में संशोधन करने की आवश्यकता है ताकि दिल्ली उच्च न्यायालय दाण्डिक अवमान के मामले में कार्यवाही कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"कि न्यायालय अवमान अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा दवारा पास किए गए रुप में. विचार किया जाए"

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

(भाग तीन का संशोधन)

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री भोगेन्द्र झा के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक पर आगे विचार करेगा।

श्री जगन्नाथ राव (छतरपुर) : हालांकि मैं विधेयक को पेश किए जाने के पीछे सिद्धान्तों, उद्देश्यों और कारणों का समर्थन करता हू फिर भी मैं संविधान का खण्डशः संशोधन करने के पक्ष में नही हूं। सारा देश इससे परिचित है। देश में समाजवादी समाज की स्थापना हेतु संविधान के केवल भाग तीन का ही नहीं अपितु अन्य अनुच्छेदों का भी संशोधन करना होगा।

प्रस्तावक ने अनुच्छेद 15 में संशोधन करके 'आर्थिक' शब्द को शामिल करने के लिए कहा गया है। "सामाजिक" शब्द के होते हुए 'आर्थिक' शब्द जोड़ना आवश्यक नहीं है। "सामाजिक" शब्द व्यापक शब्द है और इसमें "आर्थिक" का भाव निहित है। एक व्यक्ति जो आर्थिक रुप में पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप में आगे नही हो सकता। 'सामाजिक' शब्द व्यापक शब्द है और इसमें आर्थिक रुप से पिछड़ेपन का भाव आ जाता है। अतः इस संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं।

[श्री भागवत झा आज़ाद पीठासीन हुए]

[SHRI BHAGWAT JHA AZAD *in the chair*]

प्रस्तावक ने अनुच्छेद 16 में 'राजनीतिक विचारों' शब्दों को जोड़ने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावक का कहना है किसी भी व्यक्ति के साथ उसके राजनीतिक विचारों के कारण भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन 'राजनीतिक विचारों' की परिभाषा नहीं की गई है। इन शब्दों को जोड़ने से कई कठिनाईयां उत्पन्न हो सकती हैं।

प्रस्तावक ने अनुच्छेद 19 के खंड (2), (3), (4) को हटाने का प्रस्ताव किया है। मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हूं। अनुच्छेद 19 में दिए गए मौलिक अधिकारों पर संगत प्रतिबन्ध लगाए जा सकते है। हर अधिकार के साथ कर्त्तव्य जुड़ा होता है।

जहां तक अनुच्छेद 19(1) (च) जिसमें नागरिक द्वारा सम्पत्ति खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार की व्यवस्था है, को हटाने का सम्बन्ध हैं, मैं उनसे सहमत हूं उस समय भी नागरिक सम्पत्ति खरीदते थे और बेचते थे लेकिन उस समय सम्पत्ति या आजादी का अधिकार न था। इसलिए इस अधिकार को खंड (च) में से निकाल देने पर नागरिको को कोई हानि नहीं होगी। अनुच्छेद 19 में दिये गये मूलभूत अधिकारों में से इस अधिकार को निकालने का अब समय आ गया है। अनुच्छेद 31(1) में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी नागरिक से उसकी सम्पत्ति नहीं छीनी जायेगी। तदुपरांत अनुच्छेद 39(ख) और (ग) को कार्यान्वित करने के लिए हमने 25 वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31ग को पुरः-स्थापित किया। अनुच्छेद 39(ख) और (ग) में निहित है कि सम्पत्ति का अधिग्रहण सार्वजनिक हित में ही किया जायेगा। यह बात भी लागू है। हम सम्पत्ति का पूर्णतया उन्मूलन नहीं चाहते। बल्कि हम कृषि भूमि, शहरी भूमि पर अधिकतम सीमा की पाबंदी लगाना चाहते हैं ताकि आर्थिक सत्ता कुछ हाथो में ही केन्द्रित न हो जाये। हम नया समाज बनाना चाहते हैं जिसमें समता हो। अनुच्छेद 21 और 22 पर उच्चतम न्यायालय में विचार किया जा रहा है। हमें निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिये। तब हम निश्चित रुप से इस बात पर विचार कर सकते हैं कि अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपतीय आदेश जारी होने के दौरान अनुच्छेद 21 और 22 तथा उनसे मिलने वाले अधिकार बने रहते हैं।

हमें संविधान के खण्डवार संशोधन के बारे में नहीं सोचना चाहिये। सारा देश इस विषय के बारे में सोच रहा है। हमें संविधान का संशोधन इस ढंग से करना है जिससे कि जनता और सत्तारुढ़ दल के समाजवादी सिद्धान्तों और उद्देश्यों को कार्यरुप दिया जा सके। मैं सिद्धान्त रूप में विधेयक का समर्थन करता हूं। अतः मेरा सदस्य महोदय से अनुरोध है कि वह विधेयक को वापस ले लें।

Shri Jagannath Mishra (Madhubani) : The intelligents and the legal experts of the Country have started consultations for the amendment of the Constitution. The whole country is seized of the matter. so I cannot doubt the objective of Sh. Bhogendra Jha. But I take exception to Certain things said by him.

Shri Bhogendra Jha has suggested that the words political—view should also be added in article 16. But political view is a very contradictory expression. Political view continues to change. So I can not support this amendment.

[Shri Jagannath Mishra]

The hon'ble Member has said that Article 19 imposes restrictions on freedom of parties and individuals. Freedom does not mean impertinence. It carries certain responsibilities. Liberty has to be limited in order to be effectively expressed. The question, therefore, arises in each case of adjusting the conflicting interests of the individual and of society.

So far as the right to property is concerned there is no difference between our intentions. We have all declared our aim as socialism. We also want an egalitarian society and we are already taking steps in this direction. I have heard the hon'ble members of the opposition. Some of them have said contradictory things. On the one hand they decry indiscipline and on the other they criticise press control. There were cirtain elements in the country who wanted to replace democracy by fascism. Such elements were being financed by outside forces. We have enforced press censorship to weaken those elements and this has shown good results. Emergency was also declared with this sole aim in view. In the absence of these stern measures, Government would have been criticised for being complcent.

The country has gained much from the emergency. We are developing, production is increasing and there is lot of activity to be seen.

Ours is a large country. So we have moulded our Democracy a little to make it more suitable for our masses. We want to solve problems in our own way. We are fully capable of handling the reigns of administration as has been proved.

This Bill has been brought forward a bit early. I shall request the hon'ble Member to withdraw the same.

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : विधेयक का उद्देश्य अनुच्छेद 15 का संशोधन करना है। उसमें राजनीतिक विचारों को अन्तःस्थापित किया जाना है। मैं चाहता हूं कि 'संवैधानिक रूप से उचित राजनीतिक विचाराधारा' शब्द रखे जायें। हम प्रत्येक राजनीतिक विचार धारा को स्थान नहीं दे सकते क्योंकि आनन्द मार्ग जैसी खतरनाक विचार देश के लिए अहितकर हो सकती है। क्या इस प्रकार के विकृत विचरों को भी हम अनुच्छेद में शामिल कर सकते हैं ? इसी प्रकार क्या हम नक्सलवादियों का समर्थन कर सकते हैं। अतः 'संवैधानिक रूप से उचित विचारधारा' शब्द ठीक रहेंगे।

मनुष्य के कृत्य उसके विचारों पर निर्भर करते हैं। यदि विचार अच्छे हैं तो कार्य भी अच्छे होंगे। जो लोग मन से और तथा बाहर से कुछ और होते हैं उनमें नैतिक साहस नहीं होता।

सम्पत्ति के अधिकार का अब कोई महत्व नहीं। यदि यह अधिकार दुखता दांत हो गया है तो उसे निकाल बाहर करना चाहिये।

यह कहा गया है कि क्रान्ति से बढ़ कर धरती पर और कोई शक्ति नहीं। क्रान्ति के कारण कई देशों की काया कल्प हो गई है। लेकिन हमारे संविधान में आधुनिकीकरण की आवश्यकता है। आज मार्क्स का जमाना नहीं रहा है। आज का युग विज्ञान का युग है। मानवीय चेतना में बहुत परिवर्तन हो गया है। ज्ञान बहुत बढ़ गया है। लेकिन कठिनाई यह है कि मार्क्स के अनुयायी उसके दर्शन को सार्वभौम मानते हैं जो प्रत्येक युग में लागू हो सकता है (**व्यवधान** ....)।

आज मानवतावाद का युग है। अतः मैं सदस्य महोदय से अनुरोध करूगा कि वह 'संवैधानिक रूप से उचित विचार धारा' शब्दों के लिए सहमत हो जायें।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : देश की सामाजिक और आर्थिक प्रगति में आड़े आने वाले उपबन्धों का संशोधन आवश्यक है। इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। कई कारण हैं जिनके कारण संविधान के उपबन्धों में संशोधन की जरूरत है।

पहला कारण तो यह है कि जब संविधान तैयार किया गया था तो कई विषयों पर समझौता करना पड़ा। एक प्रकार से हम इसे समझौता बद्ध दस्तावेज कह सकते हैं। उस समय देश कठिनाइयो के दौर से गुजर रहा था। साम्प्रदायिक झगड़े इतने बड़े बड़े पैमाने पर हुए कि विश्व भर में शायद ही कभी हुए हों या आगे होंगे। फिर उस समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य था नवप्राप्त स्वतंत्रता को सुदृढ़ करना।

दूसरे जब संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं के लिए उस समय उन कठिनाइयों के बारे में परिकल्पना करना कठिन था जो समय के गुजरने के साथ देश के सामने आईं। इसलिए एक हद तक समझौता करना पड़ा। कई बार संसद के निर्णयो के विरुद्ध न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाते हैं। अतः संविधान में परिवर्तन विचारणीय विषय है।

लेकिन तदर्थ संशोधनों से हमारा काम नहीं चल सकता। अब तो समय है कि सम्पूर्ण संविधान पर ही अलग से विचार किया जाये। इसके लिए एक व्यापक विधेयक लाया जाये।

विधेयक के कारणों और उद्देश्यों के विवरण में कहा गया है कि भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिये गये हैं जो हमारे लोकतंत्र का आधार हैं। परन्तु मैं कहना चाहता हूं कि हमारे गणतंत्र के लोकतांत्रिक तत्व मूल अधिकारों में नहीं अपितु राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों और संविधान की प्रस्तावना में निहित हैं। ये सिद्धान्त मूल अधिकारो से ऊपर हैं। अतः मूल अधिकारों में अवश्य परिवर्तन किया जाये।

अनुच्छेद 16 में संशोधन द्वारा इस बात की व्यवस्था करनी चाही है कि राजनैतिक विचारों के आधार पर किसी से भेद-भाव नहीं किया जाना चाहिये। अनुच्छेद 16(1) के द्वारा सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किये गये हैं। हमने जब लोकतंत्र को अपने राजनीतिक जीवन की आधारशिला मान लिया है तो रोजगार के मामले में राजनैतिक विचारों के भेद-भाव का प्रश्न ही नहीं उठता। अन्यथा वह व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है कि अनुच्छेद 16 का उल्लघन किया गया है। अतः यह आवश्यक नही है। "राजनीतिक विचार" एक ऐसी शब्दावली है जिसकी परिभाषा करना कठिन है और वास्तव में यदि पृथकता की नीति का समर्थन करने वाला व्यक्ति यह कह सकता है, "मेरे यह राजनीतिक विचार हैं।" यदि यह संसद यह कानून पास करती है कि पृथकता को नीति अपनाने वाले व्यक्ति के साथ भेद-भाव बरता जाये। यदि आप राजनीतिक विचारों को शामिल करते हैं तो निश्चय ही वह इसे अनुच्छेद 16 के अन्तर्गत चुनौती देगा क्योंकि एक संशोधन के द्वारा हमने "राजनीतिक विचारों द्वारा" शब्दों के माध्यम से एक उपबन्ध किया है जिसके आधार पर भेद-भाव दिया जा सकता है।

जहां तक अनुच्छेद 19(1) में संशोधन करने का सम्बन्ध है, सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों के अध्याय से हटा देना चाहिये। अनुच्छेद 19 के अन्तर्गत सम्पत्ति के अधिकार को 25 वें संशोधन ने बेकार कर दिया है। मेरे विचार में सम्पत्ति के अधिकार का मूल अधिकारों में अस्तित्व ही नहीं।

केवल सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करने से ही स्थिति सुधर नहीं सकती। इसके विपरीत लोगों की विचारधारा पर प्रभाव पड़ेगा। एक छोटे किसान के पास भी भूमि का टुकड़ा

[श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी]

हो सकता है जिसके जरिये वह अपना जीवनयापन करता है। अतः रोजगार के साधन के रुप में सम्पत्ति तथा शोषण के साधन के रूप में सम्पत्ति में अन्तर करना होगा। यदि सम्पत्ति को शोषण का साधन बनाया जाता है तो निश्चय ही सरकार को उसपर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। केवल यह कहने से कि अनुच्छेद 19 अथवा अनुच्छेद 31 को हटा दिया जाये, कुछ लाभ नहीं होगा। जन साधारण को किसी किसम की सुरक्षा प्रदान करने के लिये पर्याप्त उपबन्ध किये जाने चाहिये। उसके जीवन-यापन के साधारण साधनो को प्रशासनिक शक्ति के दुरुपयोग द्वारा नही छीना चाहिये। यद्यपि सिद्धान्त रुप में मैं इसका समर्थन करता हूं फिर भी मैं यह महसूस करता हूं कि जिस रुप में यह संशोधन लाया गया है उससे समाज के उन वर्गों के प्रति जो अपने अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरुक नहीं हैं प्रशासनिक अधिकारो का दुरुपयोग हो सकता है।

हमें संविधान में आवश्यक उन सभी संशोधनो पर गम्भीरता से विचार करना है जिनपर आज देश के विभिन्न मंचों पर चर्चा हो रही है। हमें वर्तमान विधेयक जैसे तदर्थ संशोधनो को नहीं अपनाना है। एक समाजवादी समाज की स्थापना के लिये निकट भविष्य में सरकार को सभी आवश्यक संशोधन करने चाहिये। अतः प्रस्तावक को विधेयक वापस लेना चाहिये।

Shri B. S. Bhaura (Bhatinda): It is a welcome measure. It relates to a matter which is being widely debated in the country. Even those who have opposed the provisions of the Bill have welcomed its spirit.

[श्री वसंत साठे पीठासीन हुए]

[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]

Although it has been provided in the Constitution that there will be equality of opportunity in the matter of public employment but the equality does not exist. Students who studies in ordinary schools cannot compete with those students who study in public schools in the examinations conducted for recruitment.

Property right should not be a fundamental right in our constitution. People who have amassed property exploit those who do not have property. We cannot have socialism in the country so long as right to property is a fundamental right. We will have to change our constitution so that its provisions are in consonance with socialist pattern.

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur) : I fully support this Bill. The Bill deals with certain important matters which are of far-reaching significance.

The Bill seeks to amend Article 15 (4) of the Constitution, so as to include the word 'economically' in it. At present what is happening is that backwardness is determined on the ground of birth.

The result is that even if a person born in a backward community is rich he can avail of the concessions given by Government to backward Communities whereas an economically backward person but not born in a backward community will be deprived of such concessions although he badly needs them. The amendment proposed in the Bill to Article 15 is fully justified.

It will not be proper to amend Article 16 to make a provision that 'Political views' should not stand in the way of a person getting public employment. We have seen how people with certain political views can be harmful to the interests of the country.

Right to property is not sacrosanct. It has to be taken away from the fundamental rights. Haves cannot be allowed to exploit the have nots for all times to come.

Article 311 which gives protection to civil servants has also to be amended. It is necessary to amend it so as to make it easy to usher in socialism in the country.

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : इस विधेयक में पहला संशोधन अनुच्छेद 15 का है। अनुच्छेद 15 के जिस खण्ड का संशोधन इस विधेयक में किया जा रहा है वह एक समर्थकारी खण्ड है। यह सरकार को सामाजिक और शिक्षा में पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये विशेष व्यवस्था करने की शक्ति प्रदान करता है। विधेयक के प्रस्तावक अब इसमें "आर्थिक दृष्टि से" शब्द जोड़ना चाहते हैं। हमारा उनसे कोई विवाद नहीं है क्योंकि संविधान की आत्मा आर्थिक उन्नति की नीति से सम्बन्धित है। संविधान की प्रस्तावना में ही नागरिकों को सामाजिक और राजनीतिक न्याय ही प्रदान नहीं किया गया वरन् आर्थिक न्याय तथा समान अवसर प्रदान किए जाने की बात भी कही गई है।

अनुच्छेद 16 के संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव का कहना है कि राजनीतिक विचारधारा रोजगार के आड़े नहीं आनी चाहिए। क्या सदस्य का यह विचार है कि सभी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति कांग्रेस ने की है। यदि ऐसा होता तो सरकारी कर्मचारियों में विपक्षी दलों के संघ न होते। रोजगार देने में हम राजनीति विचारों में कोई भेदभाव नहीं करते, और न ही ऐसा कोई उपबन्ध है। परन्तु यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति रोजगार चाहते हैं वे संविधान के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हों।

एक अन्य प्रस्ताव में धारा 19(ङ) का लोप करने की बात है। इस उपबन्ध पर दोनो सदनों तथा बाहर भी पर्याप्त चर्चा हुई है। यह अनुच्छेद अपने आप में पूर्ण नहीं है वरन् यह उपखंड 5 के प्रतिबन्धों के अनुसार लागू होता है। सम्पत्ति धारण करना, प्राप्त करना और बेचने का अधिकार उप-खण्ड 5 के अन्तर्गत आते हैं। यह एक उचित प्रतिबन्ध है जो कि सरकार जन सामान्य और अनुसूचित जातियों के हित के लिए लगा सकती है। जैसाकि बहुत से लोगों का विचार है कि सम्पत्ति रखने, प्राप्त करने और बेचने का अधिकार पूर्ण नहीं है--इस सम्बन्ध में अनेकों विधान पारित किए गए है। शहरी भूमि पर अधिकतम सीमा लगाई गई है, भूमि सुधार सम्बन्धी कानून पास किए गये हैं, तथा कृषि भूमि पर अधिकतम सीमा भी लगाई जा चुकी है। हाल ही में हमने शहरी भूमि अधिकतम सीमा विधेयक पास किया है। सदस्य इस सम्बन्ध में और उपाय भी सुझा सकते हैं। इस सम्बन्ध में सुझाव कभी भी दिए जा सकते हैं। इस समय सरकार का विचार उपखण्ड (5) के अनुसार अनुच्छेद 19(1) में प्राप्त सम्पत्ति के अधिकार को समाप्त करने का नहीं है। परन्तु भविष्य में इस पर क्या निर्णय किया जाएगा नहीं बताया जा सकता क्योंकि इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श हो रहा है।

अन्तिम संशोधन प्रस्तावक ने अनुच्छेद 22(3) (ख) में किया है। इस समय संविधान के इस सम्बन्ध के अन्तर्गत निवारक निरोध विधान के अन्तर्गत नजरबन्द व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया जायगा, और न ही उसे किसी वकील को परामर्श लेने और गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अन्दर न्यायाधीश के सामने पेश किए जाने की मांग करने का अधिकार है। यह सुझाव दिया गया है कि यह अधिकार केवल उन लोगों को नहीं होना चाहिए जो तस्करी, विदेशी मुद्रा के गोलमाल, आर्थिक अपराध तथा हिंसात्मक कार्रवाइयों द्वारा सरकार का तख्ता पलटने के दोषी हों। परन्तु ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां सेना को सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने को उकसाया जाये हिंसात्मक कार्य तो नहीं। संवैधानिक रुप में चुनी गई सरकार को अन्य तरीके अपना कर लोगो में असंतोष फैला कर गिराने के प्रयत्न भी

[श्री एफ़० एच० मोहसिन]

किये जा सकते हैं यद्यपि ये शान्तिपूर्ण तरीके हैं परन्तु देश की प्रतिष्ठा और हित के लिये बड़े खतरनाक हैं। यदि इस संशोधन को स्वीकार किया जाता है तो ऐसे लोक बेदाग बच जायेंगे। अतः इन कारणों से श्री भोगेन्द्र झा के संशोधनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

देश में संवैधानिक परिवर्तनों के बारे में वाद विवाद चल रहा है और हमारे दल ने संवैधानिक परिवर्तनो का सुझाव देने के लिये एक समिति गठित की है। सदस्य यह सोचें कि हम उन से कम प्रगतिशील है। वास्तव में हम उन से अधिक प्रगतिशील है। सम्पति रखना आपत्तिजनक नहीं है। अन्य व्यक्तियों का शोषण करने के लिये सम्पत्ति रखना अवांछनीय है। हमें शोषण के विरुद्ध शिकायत करनी है। यदि किसी व्यक्ति के पास अपने रहने के लिये मकान हैं, अन्यों का शोषण करने के लिये नहीं तो क्या उसे इतनी भी सम्पत्ती रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

जहां तक मुझे पता हैं साम्यवादी देशों में भी व्यक्ति अपने रिहायशी मकान का मालिक हो सकता हैं। हम किसी के देश की नकल नहीं करना चाहते। यदि कोई विदेशी राजनैतिक विचारधारा को यहां लागू करने का सुझाव देता है तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। अतः हम इससे सम्बन्धित संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकते।

में माननीय सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वे अपने संशोधन को वापस ले लें।

श्री भोगेन्द्र झा : मार्क्सवाद के मूल्यों के बारे में कुछ चर्चा हुई है। मार्क्सवाद सभी युगों के मानव विकास का एक शाश्वत दर्शन है।

कुछ लोगों का कहना है कि यदि सम्पत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में से निकाल दिया गया तो हिंसक क्रांति हो जायेगी। हम एक क्रांति चाहते हैं जिसमें समाज का पुनर्गठन हो। हम सामाजिक, आर्थिक और प्रशासन के क्षेत्र में क्रांति चाहते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या क्रांति का हिंसक होना अनिवार्य है। हिंसक होना जरूरी नहीं है क्योकि मार्क्स एलगिन और लेनिन ने भी यही कहा है। यह विधेयक इस उद्देश्य से पेश किया गया था कि मजदूरों में बढ़ती हुई जागरूकता तथा विश्व में समाजवाद के प्रचार को देखते हुये ऐसी स्थिति आ गयी है जब हम शोषण को शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त कर सकते हैं।

अब तक इस संविधान में 39 संशोधन हो चुके हैं क्योंकि इसके कुछ सिद्धान्तो को हम लागू नहीं कर सके। संविधान सभा में बहुत कुछ करने के लिये शेष रहा।

न्यायपालिका स्वतंत्रता से पहले विद्यमान ब्रिटिश पद्धति पर आधारित है। वही पद्धति अब भी चल रही है। इसी कारण जिम्मेदारी उन्मूलन आदि प्रगतिशील विधानों को भी अदालत में चुनौती दी गई। सामंतशाही, एकाधिकार और पूंजीवाद के रोड़ो को हटाने का भी न्यायालय में

विरोध किया गया अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय के अनेक मामलों में सम्पत्ति के अधिकार को लेकर कहा कि राष्ट्रीयकरण, बैंको का राष्ट्रीयकरण तथा शाही थैलियों के मामलों में सरकार ने संविधान में उल्लिखित सम्पत्ति के अधिकार सम्बन्धी प्रावधानों का उल्लंघन किया है ।

इस प्रकार के 39 मामले अब भी अनिर्णित पड़े हैं । देश भर में इस प्रकार की दलीलें भी चल रही हैं कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रकार का निर्णय दिया है कि जहां तक मूल ढांचे का सम्बन्ध है, मूलभूत अधिकारों का संशोधन नहीं किया जा सकता है । सामंतवादी, एकाधिकार-वादी, पूंजीवादी बाधाओं को दूर करने सम्बन्धी हमारे प्रयासों का हमेशा ही विरोध होता आ रहा है ।

हम संविधान की प्रस्तावना का विरोध करते आ रहे हैं। क्या न्याय की समानता है? सर्वोच्च न्यायालय में जाने मात्र के लिये आम व्यक्ति को 25,000 रुपये व्यय करने पड़ते हैं । न्याय बिकता है। किसी अच्छे वकील की सेवाएं लेने पर मुकदमा जीतना निश्चित है। यह न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकारो का उल्लंघन है।

जहां तक सामाजिक समानता प्राप्त करने का सम्बन्ध है हम इसमें भी असफल रहे हैं । जीवन के हर क्षेत्र में असमानता व्याप्त है । इसमें धन की सबसे बड़ी भूमिका है । कुछ परिवारों के पास सब प्रकार की सम्पत्ति है और वे आम जनता का शोषण करते हैं। उसका एक मात्र मूल है, सम्पत्ति का अधिकार ।

हमें विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता भी है । कुछ बड़े बड़े पूंजीपति अनेकों दैनिक समाचार पत्र चला रहे हैं। धन शक्ति के कारण उन्होंने समाचारपत्रों को भी परतंत्र बना लिया है अर्थात् अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर भी अंकुश लगा दिया है । इसी प्रकार धर्म के नाम पर चोर बाजारी, तस्करी और जमाखोरी से सम्पत्ति बनाई जा सकती हैं। धर्म भी बिकता है । इसका कारण है सम्पत्ति का अधिकार। सम्पत्ति के मामले में असमानता होने पर अन्य क्षेत्रों में समानता कैसे हो सकती है ।

संविधान के निदेशात्मक सिद्धान्तो के बीच कई अच्छी बातें भी हैं। लेकिन ये सिद्धान्त अब तक व्यवहार्य नहीं रहे हैं ।

संविधान के अनुसार इसके लागू होने के दस वर्ष के अन्दर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिये अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये थी। हम इस लक्ष्य को अब तक भी नहीं प्राप्त कर सके ह । अगले पांच वर्षों तक भी इस लक्ष्य की पूर्ति संभव नहीं है इस प्रकार संविधान का अनेक बार उल्लंघन हुआ है ।

इसी प्रकार भाग 4 के भी सभी अनुच्छेदों और खंडों का, जो निदेशात्मक सिद्धान्तों से सम्बन्धित है, उल्लंघन किया गया है क्योंकि उन्हें लागू नहीं किया जा सकता है । ऐसी स्थिति में मूलभूत अधिकारों में संशोधन किये जाने की अनिवार्य आवश्यकता है । सम्पत्ति का अधिकार मानव प्रतिष्ठा और देश हित के विरुद्ध है

सभापति महोदय : इस बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। कृपा करके इसे दोहरायें नहीं ।

श्री भोगेन्द्र झा : समाजवादी देशों में, यहां तक कि साम्यवादी देशों में भी अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा है कि अपने उपयोग की किसी वस्तु पर व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा ।

किसी व्यक्ति के अपने राजनैतिक विचार होने ही चाहिये लेकिन इस प्रकार के विचारों द्वारा प्रजातंत्रीय ढांचे को तहस नहस नहीं होने देना चाहिये और मेरे संशोधन का उद्देश्य भी यही है ।

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रति आस्था रखने वाले असंख्य कर्मचारियों को उस समय तक नहीं हटाया जा सकता जब तक संविधान में अनुच्छेद 311 है ।

आर्थिक विषमता दूर करने की चर्चा भी हुई है । सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि अपनी अर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिये सभी लोगों को समान अवसर दिये जायें ।

मैं मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि न्यायालयों के न्यायाधीश भी अपनी राजनैतिक विचारधारा से प्रेरित होकर ही निर्णय देते हैं । 1967 में गोलखनाथ मामले में भी निर्णय उस समय आया जब देश में अनेक राज्यों में जनसंघ की सरकारें थीं । प्रधान मंत्री के मामले में भी ऐसे समय में निर्णय आया जब विधान सभा तथा लोक सभा भंग करने की मांग हो रही थी । न्यायाधीश भी सामाजिक वातावरण से प्रभावित हुये बिना नहीं रह सकते । ये न्यायाधीश हमें न्याय नहीं दे सकते । कुछ न्यायाधीश ईमानदार होते हैं, परन्तु विवश हैं । जितनी जल्दी हो सके हमें लज्जाजनक अनुच्छेद 19(च) को संविधान से हटा देना चाहिए ।

श्री रघुरामैया : यह व्यवस्था का प्रश्न है । हम सबने संविधान की शपथ ली है । उसके किसी भाग को लज्जाजनक नहीं कहना चाहिए । (**व्यवधान**)

श्री भोगेन्द्र झा : विधेयक का संबंध संविधान के अध्याय तीन के मूलभूत अधिकारों से है । अनुच्छेद 31 और 32 को भी हटाया जाना चाहिए । आपात स्थिति ने लोकतन्त्र की रक्षा की है ।

मुझे पता है कि शासक दल ने एक समिति गठित की है । हमें उम्मीद है कि इस बारे में एक व्यापक विधेयक लाया जायेगा । इसलिये मैं अपने विधेयक को वापस लेता हूं ।

श्री मूल चन्द डागा : मैं सभा से अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

सभापति महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है ?

कई माननीय सदस्य : हां ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

श्री भोगेन्द्र झा : मैं सभा से अपने संशोधन विधेयक को वापस लेने की अनुमित चाहता हूं ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है : "कि श्री भोगेन्द्र झा को भारत के संविधान का मेरे संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : आप अपना विधेयक वापस ले सकते हैं।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं अपना विधेयक वापस लेता हूं ।

भारत रक्षा (संशोधन) विधेयक

DEFENCE OF INDIA (AMENDMENT) BILL

(धारा 6 का संशोधन)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत रक्षा अधिनियम, 1971 संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

भारत रक्षा अधिनियम 1971 की धारा 6 का संशोधन करने वाला विधेयक 25 जुलाई, 1972 को विचार के लिये रखा गया था । आज यह और भी संगत और आवश्यक हो गया है क्योंकि सरकार आंतरिक सुरक्षा अधिनियम का जानबूझ कर दुरूपयोग कर रही है ।

दिसम्बर 1971 में आपातस्थिति की घोषणा के पश्चात् भारत रक्षा अधिनियम अधिनियमित किया गया था । भारत रक्षा अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 6 के बने रहते आंतरिक सुरक्षा अधिनियम में यह संशोधन किये गये प्रतीत होते हैं। देश में उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं इस संशोधन का आग्रह करता हूं । राजनीति को दूर रख कर इस पर विचार किया जाना चाहिए । किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध बताये दंडित नहीं किया जाना चाहिए । इस बारे में कोई दूसरी राय नहीं हो सकती । तर्क दिया जा सकता है कि निरोधक नजरबन्दी की संविधान में व्यवस्था है । परन्तु संविधान के अनुच्छेद 22(5), (6) और (7) को देश का सामान्य नियम बनाया जायेगा, ऐसा कभी नहीं सोचा गया था । हमारा संविधान जनता की भलाई के लिये था । इसकी नवीं सूची में काले कानून सम्मिलित कर दिये गये हैं । यह वे कानून हैं जिनकी निहित स्वार्थ तत्वों से रक्षा की जानी चाहिए । 1950 म सरदार पटेल ने विवशता से नजरबन्दी निरोधक विधेयक रखा था । यह कदम दुबारा उठाया गया तथा 1960 के बाद वापस लिया गया । यह कदम 1971 में पुनः उठाया गया तथा एक प्रकार से स्थायी कानून बना हुआ है । मुझे उम्मीद है कि आपात स्थिति के समाप्त होते ही आंसुका समाप्त हो जायेगा । परन्तु आप इन कानूनों का राजनीतिक दृष्टि से उपयोग कर रहे हैं । आज आप लोगों के दिलों से उतर गये हैं । तभी तो आपने जनता की सभी स्वतन्त्रताएं छीन ली हैं । आज स्थिति यह है भारत के नागरिक को उतनी स्वतन्त्रता भी नहीं जितनी दासता के युग में अमरीका के दासों को उपलब्ध थी । संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 22 में दिये गये सभी अधिकार समाप्त कर दिये

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

गये हैं। यदि आप एक भी व्यक्ति को अनुचित रूप से नजरबन्द करते हैं तो इसका अर्थ है कि कानून के पालन में कोई आधारभूत त्रुटि है। अतः यदि आप इस कानून को जारी ही रखना चाहते हैं तो इसका उचित उपयोग किया जाये वरन् हम तो इसको पूर्णतया समाप्त कर देने की मांग करते आ रहे हैं।

'आंसुका' (मीसा) आज देश में एक घृणित शब्द बन गया है क्योंकि इसका जाल इतना व्यापक बना दिया गया है, इसका इतना अधिक और बार-बार उपयोग किया जाता है कि यह दमन करने का एक सफ़ल साधन बन गया है। इसका मतलब है कि आप लोगों को आतंकित करना चाहते हैं; उनका मुख बन्द करना चाहते हैं। अतः यदि इसके उपयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं रखेंगे तो देश में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सत्तारूढ दल तथा अधिकारियों द्वारा समाप्त कर दी जायेगी जैसा कि की भी जा चुकी है।

[श्री इसहाक़ सम्भली पीठासीन हुए]
[SHRI ISHAQUE SAMBHALI *in the Chair*]

आप जानते ही हैं---और दूसरे पक्ष के लोग इसे मानें चाहे न मानें---कि वर्ष 1971 में भी इसी शक्ति का उपयोग श्रमिकों, कर्मचारी संघों के कार्यकर्ताओं, सरकारी कर्मचारियो, अध्यापकों, छात्रों, पत्रकारों, वकीलों तथा डाक्टरों सभी के विरुद्ध किया गया था। कोई भी इसके शिकंजे से नहीं बचा। आज भी इसके अधीन बन्दी व्यक्ति को न तो उसके बन्दी बनाये जाने के लिये उसका अपराध ही बताया जाता है और न ही उसे न्यायालय में न्याय मांगने का अवसर दिया जाता है। वर्ष 1971 में जब जब श्री कृष्ण चन्द्र पन्त ने यह आन्तरिक सुरक्षा कानून (विधेयक) पेश किया था तो उन्होने यह आश्वासन दिया था कि यह विधेयक श्रमिकों और किसानों अथवा छात्रों के न्यायोचित आन्दोलन को दबाने के लिए नहीं लाया गया है। उन्होंने कहा था कि मेरा यह आश्वासन रिकार्ड पर जा रहा है और मैं यह बात बड़ी गम्भीरता से कह रहा हूं। श्री मनहीन के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री महोदय ने तब यह कहा था कि इस कानून का उपयोग असाधारण मामलों में ही होगा तथा राजनैतिक उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जायेगा।

श्री के० सी० पन्त के हर शब्द का, हर वचन का उल्लंघन हुआ है और यह बड़े शर्म की बात है। मैं जानता हूं कि न्यायोचित' शब्द का अर्थ ये क्या लेते हैं। इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय तो पुलिस का सिपाही या इन्सपैक्टर जिला मजिस्ट्रेट या फ़िर स्वयं मंत्री महोदय करते हैं। आप स्वयं को कानून के ऊपर मानते हैं। आप ही मेरे भाग्य-विधाता हैं। कोई इस पर अंगुली नहीं उठा सकता। आज कानून यह है कि मैं यह भी नहीं जान सकता कि मुझे अवैध कार्य के लिये दोषी कहा गया है अथवा नहीं। आंसुका आज शक्ति के भूखे अधिकारियों के हाथों में लोगों को आतंकित करने का एक शस्त्र है। वे राजनैतिक लोगों के साथ राजनैतिक व्यवहार करना ही भूल गये हैं। राजनैतिक चुनौतियों का आप इस कानून के द्वारा सामना करते हैं।

यह विधेयक वस्तुतः 'आंसुका' में संशोधन के उद्देश्य से ही नहीं लाया गया है। मैं तो भारत रक्षा अधिनियम के कुछ ऐसे प्रावधानों में संशोधन करवाना चाह रहा हूं जिनसे 'आंसुका' में, यद्यपि अस्थायी रूप में काफी परिवर्तन किये गये थे। परन्तु कोई नहीं जानता कि यह अस्थायी रूप कब खत्म होगा और कब आपात स्थिति का अन्त होगा। जब पहले पहले आंसुका बना तो उसमें किसी

व्यक्ति को बन्दी बनाये रखने की अधिकतम अवधि 12 मास थी । जब तत्सम्बन्धी खण्ड पर विचार शुरू हुआ था तो श्री कल्याणसुन्दरम ने इस अवधि को घटा कर छः मास करने का संशोधन पेश किया था । इस पर श्री पन्त ने कहा था कि 12 मास की अवधि निश्चित करने का अभिप्राय यह नहीं कि हर व्यक्ति 12 महीने तक ही बन्दी रखा जायेगा । हर मामले के गुण दोषों को देख कर उस क्षेत्र का प्रशासन ही यह निश्चय करेगा कि किसी को कितनी अवधि तक बन्दी रखा जाये और अधिकतम अवधि 12 मास होगी । मुझे आशा है कि ऐसे भी अवसर अधिक नहीं आयेंगे कि किसी व्यक्ति को रिहा होने पर पुनः कारागार में डाल दिया जाये । यह आश्वासन श्री पन्त ने दिया था । यह कानून 1971 में आपात् स्थिति की घोषणा के बाद बना था और बाद में भारत रक्षा अधिनियम बना था । आपात् स्थिति की घोषणा का यहां सभा में सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया था । क्योंकि उस समय वास्तव में ही आपात् स्थिति पैदा हुई थी । परन्तु अब हम जाली आपात् स्थिति, दिखावटी आपात् स्थिति का समर्थन नहीं करेंगे ।

वास्तविक आपात् स्थिति के समय कहा गया था कि यह स्थिति समाप्त होते ही भारत रक्षा अधिनयम भी समाप्त हो जायेगा । जब तक भारत रक्षा अधिनियम है तब तक आंसूका भी जारी रहेगा और लोग पकड़े जाते रहेंगे । अब स्थिति यह है कि यदि यह आपात् स्थिति वर्ष 1990 या 2000 तक भी चलती है तो वर्ष 1971 में हुआ बन्दी तब तक और इसके छह महीने बाद तक भी बन्दी बना रहेगा । क्या पता यह स्थिति कब तक चलती रहेगी । यह तो आपकी मर्जी पर है। वर्ष 1971 में बिना अदालती जांच बन्दी बनाया गया व्यक्ति वर्षों तक जेल में रहेगा जिसका अर्थ उम्र कैद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । भारत रक्षा अधिनियम के इस उपबन्ध का जो उपयोग भारत सरकार ने किया है उसे संविधान में शामिल करने का अर्थ यही था कि वर्ष 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण के समय उत्पन्न हुई स्थिति का मुकाबला किया जाये; परन्तु अब तो यह देश के संविधान का एक नियमित अंग बना दिया गया है । पाकिस्तान के साथ युद्ध केवल 13 दिन चला था। बंगला देश की जनता और हमारे जवान अपने उद्देश्य में सफल हुए थे और फिर स्थिति सामान्य हो गई थी । आपात् स्थिति का आधार समाप्त हो गया था परन्तु देश की रक्षा के उद्देश्य से आंसुका के अधीन बनाया गया कानून मुख्यत रूप से आज तक इस्तेमाल हो रहा है । तदुपरान्त नजरबन्दी की अवधि की कोई सीमा नहीं रही । इस कानून को उच्चतम न्यायालय में चुनौती भी दी गई परन्तु वह चुनौती सफ़ल नहीं हुई । तथापि उस संदर्भ में अपने अल्पमतीय निर्णय में न्यायाधीश भगवती ने फोगणा मामले के अन्तर्गत कहा था 'कि संविधान में लोकतांत्रिक गणतन्त्रीय सरकार होने की व्यवस्था है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को मान्यता देती है । इसलिये इसका हमें संविधान के उपबन्धों का हनन किये बगैर इस स्वतंत्रता की हिमायत नहीं करनी चाहिये । हमें संविधान की केवल शाब्दिक और तकनीकी शब्दावली में ही जाने के बजाये इसके रचयिता द्वारा इसमें निहित की गई भावना का अनुसरण करना चाहिये । तर्क के हिसाब से तो अधिकतम अवधि किसी बन्दी व्यक्ति के जीवन की अधिकतम अवधि के संदर्भ में भी हो सकती है और यदि अधिकतम अवधि निश्चित की गई तो फिर विधान मण्डल को यह अधिकार होगा कि वह उस व्यक्ति को उसके जीवन काल तक बन्दी बनाये रखने का प्राधिकार सरकार को दे । इसका परिणाम अत्यन्त भयंकर और विनाशकारी होगा ? यह सर्वथा अविश्वसनीय है कि संविधान के रचियताओं ने जो कि स्वयं भी ब्रिटिश शासन काल में लम्बी अवधि तक रह चुके थे, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता की अवहेलना करके किसी व्यक्ति को, बिना अदालती जांच के जीवन भर तक बन्दी बनाये रखने का प्रावधान करते । लोकतंत्र में बिना अदालती जांच बन्दी बना लेना स्वयं में ही एक अभिशाप है । ऐसी दमनकारी शक्ति को हमारे संविधान में कोई स्थान प्राप्त नहीं है। ऐसी शक्ति प्रदान करने का मतलब है जीवन के लोक-

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

तांत्रिक ढंग का विनाश कर देना। इससे तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विचार तक को ही समाप्त कर देना होगा।'

यहां मेरा उद्देश्य उक्त निर्णय की समीक्षा करना नहीं बल्कि केवल इतना कहने का है कि उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के ये विचार हैं।

दूसरी आपात् स्थिति की घोषणा के पहले भी 'आंसुका' के अधीन हजारों लोग बन्दी बनाये गये थे। भारत रक्षा अधिनियम में संशोधन के पश्चात् उन्हें भी एक वर्ष से अधिक समय तक बन्दी रखा जा सकता था। फिर दूसरी या दोहरी आपात् स्थिति की घोषणा के बाद से तो न जाने कितने व्यक्ति बन्दी बनाये गये हैं। हमें तो उनकी संख्या जानने का भी हक़ नहीं है। तत्सम्बन्धी प्रश्न स्वीकार नहीं किये जाते। पहले तो 'आंसुका' के सम्बन्ध में संविधान में कुछ एक संरक्षण भी थे। गिरफ्तार के आधार बताने पड़ते थे, सलाहकार बोर्ड का गठन करना पड़ता था। मामले पर पुनः विचार हो सकता था, बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका द्वारा अभ्यावेदन किया जा सकता था हालांकि न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल इतना ही था कि कानून के उद्देश्य और बन्दी बनाने के आधारों में तो कोई अन्तर नहीं है। इस सीमित सुरक्षण में भी कुछ राहत का रास्ता तो था। जब 'आंसुका' को चुनौती दी गई थी तब उच्चतम न्यायालय ने भी इस कानून को इसी आधार पर वैध ठहराया था कि इसमें कुछ सुरक्षण का प्रावधान था। हाराधन बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि निष्पक्षता और स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तों के अन्तर्गत जब तक गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर प्राप्त है, जब तक सलाहकार बोर्ड द्वारा उक्त अभ्यावेदन पर विचार किये जाने का प्रावधान है तब तक यह क़ाननी प्रक्रिया गलत नहीं है। अभ्यावेदन पर विचार करने के दायित्व का यह अर्थ नहीं है कि व्यक्तिगत रूप से सुनवाई भी हो या गिरफ्तारी के कारण बताये जायें—गिरफ्तार करने वाले प्राधिकरण का यह दायित्व है कि वह अभ्यावेदन पर विचार करे परन्तु यह उनके लिये अनिवार्य नहीं है कि वह बन्दी को किसी साक्ष्य अथवा जानकारी से अवगत कराये। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सलाहकार बोर्ड के सामने अपने विचार रखने का प्रावधान है और वह बोर्ड उसका अभ्यावेदन पर विचार करके निर्णय करेगा।

अतः इन सुरक्षणों के होने के कारण यह प्रक्रिया अवैध नहीं है। परन्तु जिस आधार पर इस प्रक्रिया को वैध ठहराया गया वही आधार समाप्त हो गया है। सरकार ने जब देखा कि यह कानून अब और आगे न्यायालय के सामने नहीं टिक सकेगा, तो उसने उसे संविधान की नवीं अनुसूची में रख कर उसको न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया है। मैं चुनौती देता हूं कि सरकार इसका औचित्य सिद्ध करे। यह कार्य देश के संविधान के अनुरूप नहीं है।

'आंसुका' के बनाये जाने के समय श्री कृष्ण चन्द पन्त ने भी यह कहा था कि इस कानून के मनमाने उपयोग के विरुद्ध काफी सुरक्षण प्रदान किया गया है तथा कोई भी अधीनस्थ प्राधिकरण किसी बन्दी को 12 दिन से अधिक बन्दी नहीं रख सकेगा जब तक कि राज्य सरकार उस गिरफ्तारी को वैध स्वीकार न कर ले। उपरोक्त अवधि विशिष्ट मामलों में बढ़ाकर 22 दिन करने के मामले भी बहुत ही कम रहेंगे। विदेशियों को छोड़ कर अन्य सभी मामले गिरफ्तार से 30 दिन के भीतर सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाये जायेंगे और बोर्ड का निर्णय सरकार के लिये मान्य होगा। फिर भी यदि किसी को कोई सन्देह रह जाये तो कोई शक्ति उसे ऊंचे से ऊंचे न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश करने से नहीं रोक सकेगी।

अब इस सरकार के महाधिवक्ता तथा सॉलिसिटर जनरल उच्चतम न्यायालय में तर्क दे रहे हैं कि देश में जीने का कोई अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है। आप न्यायालयों में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका तक नहीं पेश कर सकते।

इस तरह श्री पन्त ने सुरक्षण के रूप में जो आश्वासन दिये थे, या जो सुरक्षण–प्रावधान थे वे सब समाप्त हो गये हैं। उन्होंने कहा था कि इस विधेयक से अनुच्छेद 226 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उच्च न्यायालय में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका पेश करने का अधिकार नहीं छीना गया है।

अब तो यह न्यूनतम अधिकार भी नहीं रहा। किसी को बन्दी बना कर कोई कारण नहीं बताया जाता। कोई सलाहकार बोर्ड नहीं है। सरकार के मतानुसार बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिका में कोई तर्क नहीं दिये जा सकते। इस प्रकार का यह जीवन एक दासता से भरे जीवन से भी बुरा नहीं है? आपात् स्थिति में इन सब को औचित्यपूर्ण मानने के लिये कहा जाता है। आज नजरबन्दी रखने की अवधि तक नही बताई जाती।

Mr. Chairman : He may continue on the next sitting we now rise to reassemble again on Monday at 11 O'Clock.

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 29 मार्च, 1976/9 चैत्र, 1898 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Monday, March 29, 1976/Chaitra 9, 1898 (Saka)

GMGIPND—M—993 LS (1450)—29-7-76—200